इग्नू
जन-जन का
विश्वविद्यालय

इन्दिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
समाज कार्य विद्यापीठ

# BSW-121
# व्यावसायिक समाज कार्य और इसके मूल्य

खंड

# 1

## व्यावसायिक समाज कार्य का परिचय


इकाई 1
समाज कार्य अवधारणाओं का परिचय-I 5

इकाई 2
समाज कार्य अवधारणाओं का परिचय-II 21

इकाई 3
विदेशों में समाज कार्य का आविर्भाव 44

इकाई 4
भारत में समाज कार्य परम्परा और शिक्षा का विकास 63


ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

## विशेषज्ञ समिति

प्रो. पी.के. गांधी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली

डॉ. डी.के. लाल दास
आर. एम. कालेज ऑफ
सोशल वर्क, हैदराबाद

डॉ. पी.डी. मैथ्यू
भारतीय सामाजिक संस्थान
नई दिल्ली

डॉ. एलेक्स वड़वुम्मथला
सी.बी.सी.आई. सेंटर, नई दिल्ली

प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. ए.पी. बर्नबास (सेवानिवृत्त)
आई.आई.पी.ए.
नई दिल्ली

डॉ. रंजना सहगल
इंदौर स्कूल आफ सोशल वर्क
इंदौर

डॉ. रमा वी. बारू
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

डॉ. जेरी थॉमस
डॉन बास्को
गुवाहाटी

प्रो. सुरेन्द्र सिंह, कुलपति
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी

प्रो. ए.बी. बोस (सेवानिवृत्त)
सतत् शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. के. के. मुखोपाध्याय
दिल्ली विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

प्रो. ए.आर. खान
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. आर.पी. सिंह
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. ऋचा चौधरी
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. प्रभा चावला
इग्नू, नई दिल्ली

## विशेषज्ञ समिति (संशोधन)

प्रो. सुषमा बत्रा
समाज कार्य विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. आर. आर. पाटिल
समाज कार्य विभाग
जामिया मिलिया, नई दिल्ली

डॉ. बीना एन्थोनी रेजी
अदिति महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. संगीता शर्मा धोर
डॉ. भीम राव अम्बेडर कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. ग्रेशियस थोमस
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. रोज़ नेम्बियाकिम
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. सोम्या
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. जी. महेश
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. सायन्तनी गुईन
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

## पाठ्यक्रम निर्माण दल

**इकाई लेखक**

1.श्री सुरेन्द्र सिंह,
2.श्री जोशलीन लोबो,
3.सुश्री उमा,

**विषय संपादक**
प्रो. पी. के. गांधी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली

**कार्यक्रम संयोजक**
प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इग्नू, नई दिल्ली

**भाषा संपादक**
डॉ. जे. के. चावला
बी.एस.एस.एस., भोपाल

**इकाई रूपांतरण**
श्री जोसेफ वर्गीस
परामर्शदाता, इग्नू, नई दिल्ली

**खंड संपादक**
प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इग्नू, नई दिल्ली

**पाठ्यक्रम संयोजक**
प्रो. ग्रेशियस थॉमस
डॉ. आर. पी. सिंह
डॉ. अन्नु जे. थॉमस

## पाठ्यक्रम निर्माण दल (संशोधन)

**इकाई लेखक**

1.श्री सुरेन्द्र सिंह
2.श्री जोशलीन लोबा
3.सुश्री उमा

**विषय संपादक**
डॉ. फ्रांनसिना पी.एक्स.
लोयोला कालेज ऑफ
सोशल साइंस, केरल

**खंड संपादक**
डॉ. सायन्तनी गुइन
इग्नू, नई दिल्ली

**कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम संयोजक**
डॉ. सायन्तनी गुइन
इग्नू, नई दिल्ली

**संपादक हिंदी**
डॉ. कौशलेन्द्र प्रताप सिंह
राजीव गांधी विश्वविद्यालय,
ईटानगर

## मुद्रण निर्माण

श्री. कुलवंत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

अक्टूबर,2020

*© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2020*

ISBN-81-

*सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ (मुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।*

*इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110 068 से प्राप्त की जा सकती है।*

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, समाज कार्य विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।
लेजर कम्पोजिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, वी–166ए, भगवती विहार, उत्तम नगर, (नजदीक सेक्टर 2, द्वारका), नई दिल्ली–110059

# पाठ्यक्रम परिचय

व्यावसायिक समाज कार्य तथा इसके मूल्य पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। इस पाठ्यक्रम के चार खंड है।

खंड 1 'व्यावसायिक समाज कार्य का परिचय' है। यह खंड समाज कार्य की आधारभूत अवधारणाओं के बारे में बताता है। जिनका समाज कार्य में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इस खंड में हम विभिन्न समाज कार्य अवधारणाओं तथा विदेशों एवं भारत में समाज कार्य के प्रार्दुभाव के बारे में बात करते हैं।

खंड 2 'समाज कार्य के मूल तत्व' के विषय में है। इस खंड में, व्यावसायिक समाज कार्य की प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य, कार्य, सामान्य सिद्धांत, का वर्णन किया गया है। इस खंड में समाज कार्य के अन्य महत्वपूर्ण घटक जैसे स्वैच्छिक क्रिया तथा भारतीय संदर्भ में समाज कार्य नीति–संहिता के बारे में विचारपूर्वक विचार विमर्श किया गया है।

खंड 3 'समाज कार्य के मूल्य-I' के बारे में बताता है। इस खंड में, हम समाज कार्य के विभिन्न मूल्यों जैसे – मानवता की सेवा, सामाजिक न्याय, मानव संबंधों का महत्व, व्यक्ति की अस्मिता तथा मूल्य, सत्यनिष्ठा तथा योग्यता के विषय में विचार विमर्श करते हैं।

खंड 4 'समाज कार्य के मूल्य-II' के विषय में है। यह खंड अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों जैसे व्यावसाय के प्रति वफादारी, देशभक्ति, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, परिश्रम, उत्तरदायित्व तथा प्रतिबद्धता तथा शिक्षकवाद के विषय में व्यवस्थित रूप से वर्णन करता है।

यह पाठ्यक्रम आपको व्यवसायिक समाज कार्य तथा समाज कार्य अभ्यास में निहित विभिन्न मूल्यों की व्यापक समझ प्रदान करता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

# खंड 1 का परिचय

इस खण्ड का शीर्षक व्यावसायिक समाज कार्य का परिचय है। यह बी.एस.डब्ल्यू.–121 का प्रथम खण्ड है। यह खण्ड आपको व्यावसायिक समाज कार्य के विषयों से अवगत कराएगा। समाज कार्य को पूरे विश्व में व्यावसायिक विषय के रूप में मान्यता दी गई है। बहरहाल, भारत में, अभी इसे पूर्ण विकसित व्यवसाय के रूप में मान्यता दी जानी है। बहुत सारे लोग इसे स्वैच्छिक कार्य, सामाजिक सेवाओं परोपकारिता और अन्य स्वरूपों के साथ समाज कार्य को जोड़ कर असमंजस में है। इस खण्ड में समाज और समाज कल्याण क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली अवधारणाओं की पहचान और उनका स्पष्टीकरण किया जाएगा।

इसकी प्रथम दो इकाइयाँ समाज कार्य अवधारणाओं का परिचय-I और समाज कार्य अवधारणाओं का परिचय-II, आपको सामाजिक क्षेत्र और समाज कार्य में प्रयोग होने वाली मूल अवधारणाओं को समझने में सहायक होंगी। इसकी तीसरी इकाई 'विदेशों में समाज कार्य का अविर्भाव' में आपका परिचय पश्चिम में समाज कार्य के इतिहास से कराया जाएगा। पश्चिम में व्याप्त समाज कार्य परम्परा ने हमारे देश के व्यावसाय को लगातार प्रभावित किया हैं। भारतीय समाज कार्य शिक्षक और समाज कार्यकर्ता समाज कार्य व्यवहार के लिए देशी प्रणालियों और तकनीकों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। चौथी इकाई भारत में समाज कार्य परम्परा और शिक्षा के विकास से संबंधित है जिसमें भारत में समाज कार्य व्यवसाय और समाज कार्य शिक्षा के विकास को जानने का प्रयास किया गया है।

ये चारों इकाइयाँ आपको आगामी पाठों को समझने के लिए मूल आधार का स्वरूप तैयार करेंगी जिसे अगले खण्डों और अन्य कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों में प्रस्तुत किया गया है। समाज कार्य के सैद्धांतिक और व्यावहारिक घटकों के शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को प्रवीणता प्राप्त करने के लिए आपको समाज कार्य से संबंधित अवधारणाओं की समीक्षा करनी है। यह इकाई आपको शिक्षण प्रक्रिया में प्रगति करने के लिए विषय वस्तु के समझने और सक्षम बनाने योग्य बनाएगी।

# इकाई 1 समाज कार्य अवधारणाओं का परिचय-I

**रूपरेखा**

**श्री सुरेन्द्र सिंह*

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 परोपकार, स्वैच्छिक क्रिया और श्रमदान

1.3 सामाजिक आन्दोलन और समाज सुधार

1.4 सामाजिक संजाल (नेटवर्क)

1.5 सारांश

1.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

## 1.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम विभिन्न अवधारणाओं जो कि व्यावसायिक समाज कार्य प्रशिक्षण और अभ्यास के सम्बन्ध में प्रयुक्त होती है, पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे, उनका अर्थ स्पष्ट करेंगे और उनकी परिभाषाएं प्रस्तुत करेंगे।

इस इकाई के अन्त में आप सक्षम होंगेः

- विभिन्न अवधारणाओं, उदाहरणार्थ परोपकार, स्वैच्छिक क्रिया, श्रम दान, समाज सुधार, सामाजिक आन्दोलन और सामाजिक संजाल (नेटवर्क) का अर्थ जानने में,
- इन अवधारणों को परिभाषित करने में;
- इन अवधारणाओं और अन्य सम्बन्धित अवधारणाओं, जहाँ कहीं आवश्यक हो, के बीच भेद करने में; और
- समाज कार्य के अध्यापन और अभ्यास के लिए इन अवधारणाओं का अभिप्राय समझने में।

## 1.1 प्रस्तावना

समाज कार्य अपेक्षाकृत एक नया और सामाजिक रूप से कम मान्यता प्राप्त व्यवसाय, मुख्यतः इस कारण से है कि इसके परिणामों में सहज प्राप्ति की दृश्यता को प्रमाणित करने की क्षमता नहीं है जो इसके अभ्यास का अनुकरण करते हैं। इस अक्षमता के पीछे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है कि सामाजिक सम्बन्धों का व्यावसायिक अभ्यास/सहायता के मुख्य साधन के रूप में उपयोग जो अपनी यथार्थ प्रकृति से अमूर्त हैं इस अभ्यास/सहायता का मुख्य सम्बन्ध समाज में लोगों की व्यक्तित्व संरचना और सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था में परिवर्तन करने के साथ है और वे दोनों भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं है। व्यवसाय के अभी नये विकास के कारण विभिन्न शब्दों जो कि कक्षा में अध्यापन, समाज कार्य में शोध करने और समाज में आवश्यकता ग्रस्त लोगों के साथ व्यवसाय के व्यवहार करने के दौरान प्रयोग किये जाते हैं, के विषय में अत्यधिक

**श्री सुरेन्द्र सिंह, कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी*

भ्रम की स्थिति है। चूंकि, प्रभावी व्यावसायिक व्यवहार, उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं के भावों की स्पष्टता की मांग करता है, यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें स्पष्ट और पारिभाषित किया जाये तथा समाज कार्य में प्रयोग की जाने वाली समाज अवधारणाओं या अन्य समाज विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली जिनसे समाज कार्य ने अत्यधिक ज्ञान ग्रहण किया है, के बीच भेद को प्रकट किया जाये। कुछ विचारणीय पृथक–पृथक अवधारणायें इस प्रकार हैं: दान, श्रमदान सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रतिरक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक संजाल, सामाजिक नीति, समाज सुधार, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवाएँ, समाज कल्याण और समाज कार्य।

## 1.2 परोपकार, स्वैच्छिक क्रिया और श्रमदान

प्रायः परोपकार को, विशेष रूप से भिक्षा देने को, भी समाज कार्य माना जाता है जो सही नहीं है। शब्द परोपकार, जैसा कि वेबस्टर्स इन्साइक्लोपेडिक अनएम्ब्रिज्ड डिक्शनरी (1996:248) में परिभाषित किया गया है निर्देशित करता है कि ''भौतिक पुरस्कार की आशा किये बिना परोपकारार्थ क्रियाएँ, भिक्षा देने के रूप में या आवश्यकता ग्रस्त लोगों के लिए कोई अन्य प्रकार की परोपकारी क्रियाएं करना।''

सम्पूर्ण विश्व के अधिकांश धर्मों ने दान का आवश्यक नैतिक गुण के रूप में समर्थन किया है जिसका उनके अनुयायियों को धारण करना चाहिये। इसको पुष्ट करते हुए मुजीब (1968 : 324) लिखते हैं : ''प्रत्येक धर्म दान की आज्ञा देता है, और दान के कुछ स्वरूप सभी धर्मों के अभ्यास में एक अत्यावश्यक तत्व है।'' हिन्दू धर्म दान को पवित्र करता है। दान के विषय में अति प्राचीन उल्लेख प्राचीनतम ऋग्वेद में खोजा जा सकता है जिसमें ईश्वरीय शक्ति देने हेतु भगवान शंकर की अत्यधिक स्तुति की गयी। दान को बढ़ावा देते हुए यह उल्लेख करता है ' (1.XIII 2) : ''कोई हो सकता है जो सबसे अधिक चमक देता है।'' सभी हिन्दू धर्म ग्रन्थ बिना भ्रम के परोपकार के प्रभाव का समर्थन करते है जिसका प्रत्येक गृह स्वामी द्वारा निश्चित रूप में और सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रत्येक हिन्दू द्वारा ऋण (विभिन्न प्रकार के ऋणों जिनसे प्रत्येक हिन्दू अनुगृहीत होता है) चुकाने के लिए कर्तव्य को पूर्ण करने के रूप में गौरवान्वित है। किन्तु इस बात के लिए सावधान किया गया है कि दान उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिये जो इसके लिए योग्य हो। अत्रि सहिन्ता स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि एक अयोग्य व्यक्ति जो सहायता प्राप्त करता है, चोरी करता है, और जो व्यक्ति उसे सहायता देता है वह उसे चोरी में सहारा देता है। प्रायः ब्राह्मणों (ज्ञानार्जन के प्रति गम्भीरता से समर्पित विद्यार्थियों) और अशक्तों सहित मनुष्यों को उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में समा जाता था।

प्राचीन बाइबिल ने परोपकार पर अत्यधिक जोर दिया है। यहूदियों ने ईश्वर की आज्ञा का पालन करने और आवश्यकताग्रस्तों की देखभाल के लिए निर्देश किये हैं। जूडिम्म में पड़ोसियों के लिए स्नेह का समर्थन एक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में किया गया है।

ईसाई–धर्म स्नेह द्वारा बन्धुता का समर्थन करता है। ''कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास सांसारिक वस्तुएँ हैं जिनकी इसे इच्छा है, और वह देखता है कि उसका भाई अभाव में है, यदि वह गुप्त रूप से हृदय से अपने भाई के विरूद्ध है, हम कैसे कह सकते हैं कि आपने मुझे भोजन किया, मैं प्यासा था और आपने मुझे पेय दिया; मैं परदेशी था और आपने मेरे लिए आवास का प्रबन्ध किया; मैं वस्त्रहीन था और आपने मुझे वस्त्र पहनायें; मैं बीमार था और आपने मेरी देखभाल की; और मैं एक कैदी था और आप मेरे पास आये. ..... मुझ पर विश्वास किया, जब आपने यह मेरे भ्रातगणों के अल्पतम एक व्यक्ति के लिए किया, तो यह आपने मेरे लिए किया'' (मथाई 1968 : 18–22)।

इस्लाम में, परोपकार का वर्णन प्रार्थना के समतुल्य के रूप में किया गया है, मुजीब 1968 : 324) लिखते हैं ''प्रत्येक मुसलमान के रूप में व्यक्ति का प्रार्थना अवश्य करना चाहिये, यदि यह निर्धारित न्यूनतम सम्पत्ति अधिकृत किये हुए है तो उसे सार्वजनिक कोष (बैत–अल–माल) के लिए अंशदान भी अवश्य देना चाहिये। बाध्यकारी भुगतानों से पृथक, मुसलमानों के ऊपर दानशीलता, अतिथि–सत्कार, भूखे को भोजन कराना और यात्रियों के लिए सुख–साधनों का प्रबन्ध करना दायित्व के रूप में लादा गया हे जो कि लगभग बन्धन के रूप में है जैसे कोई धार्मिक आदेश।'' विशेष अवसरों पर मुसलमान लोग अपने मित्रों, सम्बन्धियों और गरीबों के बीच मिठाइयाँ, फल और यहाँ तक कि धन भी बाँटते हैं। इस्लाम के पाँच मूलभूत सिद्धान्तों में से एक भिक्षा देना है; और वक्फ, दान के उद्देश्य हेतु सम्पत्ति का न्योछावर करना, मुस्लिम कानून का एक महत्वपूर्ण भाग है। ज़कात, फित्रह, सदका या खैरात दान से सम्बन्धित इस्लाम की प्रसिद्ध अवधारणाएँ हैं। ज़कात के अन्तर्गत प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को उसकी वार्षिक आाय का चालीसवाँ भाग दान पर व्यय करना आवश्यक होता है। यह अल्लाह का भाग होता है। फित्रह के अन्तर्गत, वे जो सोना, आभूषण, मकान या किसी भी प्रकार की बहुमूल्य सम्पत्ति रखते हैं उन्हें उनकी बचत के 25 प्रतिशत की दर से भुगतान करना आवयक है जो कि गरीबों और आवश्यकताग्रस्त लोगों के बीच वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को इसके प्रत्येक सदस्य के लिए 3.5 कि.ग्रा. के हिसाब से गेहूँ दरिद्रों के बीच वितरित करना आवश्यक हैं सदका या खैरात, भिक्षा है जिस प्रत्येक व्यक्ति अपनी कामना या इच्छा के अनुसार दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से अक्विका जैसे (प्रथम बार बच्चे के बालों को मूँड़ना) महत्वपूर्ण संस्कारों पर एक धार्मिक मुसलमान को लड़की के मामले मे एक बकरा या लड़के के मामले में दो बकरों की बलि अवश्य देनी चाहिये और उसके मांस को तीन भागों में बाँटना चाहिये, और एक भाग गरीबों में बाँटना चाहिये तथा एक भाग सम्बन्धियों के बीच बाँटना चाहिये, केवल एक भाग को रखते हुए पारिवारिक सदस्यों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि बकरों की खाल की बिक्री की आमदनी और बच्चे के बालों के वजन के समतुल्य नकद या चांदी गरीबों के बीच वितरित की जानी चाहिये।

पारसी धर्म के अनुयायी, जाराथ्रुसतरा का अनुसरण करने वाले और भारत में साधारणतया पारसियों के रूप में जाने जानें वाले 'उष्ता अहमाई येहमाई उष्ता केहमाईचित'' (गाथा उष्तावैती) में विश्वास करते हैं जिसका अर्थ है ''सुख उसके पास होता है, जो दूसरों को सुख देता है'' पारसियों की पंचायतों और अन्जमनों तथा पारसी न्यासों ने भी गरीबों और दीन–दुखियों की सहायता के क्षेत्र में एक प्रशंसनीय कार्य किया है। (देसाई : 1968 : 328–34)

सिक्ख इतिहास ईश्वर की प्रसन्नता या ईश्वरीय कृपा के लिए किसी सम्प्रदाय या धार्मिक विश्वास पर विचार किये बिना, सम्पूर्ण मानवता के प्रति स्वैच्छिक सेवा के असंख्य उदाहरणों से परिपूर्ण है। गुरू नानक देव ने स्पष्ट रूप से कहा है : ''वह जो संसार में दूसरों की सेवा करता है, ईश्वर के दरबार में एक आसन प्राप्त करता है।'' गुरू गोविन्द सिंह ने एक राजाज्ञा प्रकाशित की जिसके अनुसार प्रत्येक सिक्ख को अपने समुदाय के पक्ष में अपनी आय का दसवाँ भाग (दसावन्ध) त्याग करना आवश्यक है। (सिंह, 1968 : 334–340)

बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के गरीबों और दन दुखियों के लिए करूणा का समर्थन किया है जहां से सभी प्रकार का दान उत्पन्न होता है।

दान चाहे नकद में हो या वस्तु के रूप में, समाज कार्य से इस अर्थ में भिन्न है कि पहले अस्थायी सहायता में परिणत होता है और प्राप्त करने वाले को दान देने वाले पर आश्रित

बना देता है परन्तु इसकी जड़ें हलांकि दान में निहित है, यह लोगों के मध्य स्वयं सहायता के लिए क्षमता का विकाय या तो उन्हें सेवायें देते हुए या अवरोधक और हरण करने वाली सामाजिक व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न करते हुए करता हैं

## स्वैच्छिक क्रिया

कष्ट से पीड़ित भाई–बन्धुओं के प्रति करूणा मानव प्रकृति का एक स्वाभाविक गुण है। यह एक सहज मानवीय प्रेरणा है। यह इस आधारभूत आवेग के कारण से है कि लोग अपनी इच्छा से निरन्तर आगे आते हैं और विपत्ति में व्यक्तियों की सहायता का प्रबन्ध करने हेतु राजी होते हैं। यदि हम लोगों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि इन आवश्यकताओं को विस्तृत रूप से भौतिक, मनोवैज्ञानिक, साामजिक और आध्यात्मिक के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। लोग मात्र अपनी आत्म–वास्तविकीकरण और उपरिलिखित सभी नैतिक और आध्यात्मिक विकास जिसके लिए वे दान के वितरण का सहारा लेते हैं और विभिन्न प्रकार की सहायता का प्रबन्ध करते हैं। सामान्यतः यह उनकी परोपकारिता की स्वाभाविक अनुभूति, सम्पूर्ण मानव जाति या कम से कम, उनके स्वयं के समाज के सदस्यों की सेवा करने की निष्ठा और समर्पण के कारण है कि लोग अपने सहायता के हाथ आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के लिए बढ़ाते हैं, यह जरूरी नहीं है कि पूर्ण निस्वार्थता के साथ हो (निश्चित रूप से प्रायः यह दान या समाज में उत्पीड़ित और दमित व्यक्तियों के प्रति अन्य प्रकार की सहायता के माध्यम से बचाव द्वारा उनकी मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग जाने की इच्छा या जन्म, मृत्यु और पुर्नजन्म के चक्र से मुक्ति पाने के कारण होता है कि लोग स्वयं को स्वैच्छिक क्रिया में सम्मिलित करते हैं)। तथापि, वे जो दान देते हैं या जो सहायता वे उपलब्ध कराते हैं या जो सेवायें वे देते हैं उसके लिए कोई मूर्त वस्तु की अपेक्षा सामान्यतः नहीं करते हैं। स्वैच्छिक क्रिया वह है जो लोगों द्वारा स्वेच्छापूर्वक उनकी स्वयं की मनोकामना और अभिलाषा के परिणाम स्वरूप किए गये कार्य के बदले में किसी भी प्रकार की मूर्त वस्तु की प्राप्ति की अपेक्षा किये बिना करूणा की स्वाभाविक अनुभूति और दूसरों के कल्याण के सम्बन्ध रखने के कारण उनकी स्वयं की इच्छा और अनुरूपता के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में, यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता या सेवा हे जो लोग अपनी करूणा की अनुभूति के कारण वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से दूसरों की सहायता, विशेष रूप से वे लोग गरीबी, खराब स्वास्थ्य, निष्क्रियता, निरक्षरता, दमन, अत्याचार, दुर्व्यवहार, शोषण इत्यादि के पीड़ित होते हैं के लिए उपलब्ध कराते हैं।

स्वैच्छिक क्रिया प्रमुख रूप से निम्नलिखित के द्वारा गुणयुक्त है :

1) सभी सम्भव तरीकों द्वारा दूसरों की सहायता और उनके कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वाभाविक प्रेरणा–मौद्रिक रूप से जरूरी नहीं।

2) सहायता दिये जाने के बदले में कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की अपेक्षा का लोप होना।

3) सामाजिक सम्बद्धता की समझ और आवश्यकता में दूसरों को सहायता का पूर्वाभिमुखीकरण।

4) मानवता के लिये सेवा की श्रेष्ठ निष्पत्ति में विश्वास।

5) एक व्यक्ति के अधिकार के विषय में एक व्यक्ति और कर्तव्य की प्रमुखता में विश्वास।

कदाचित बहुत से स्रोत है जो स्वैच्छिकवाद को सृदृढ़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ नैतिक/धार्मिक उपदेश स्वैच्छिक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेरण को

शक्तिशाली बना सकते हैं। इसी तरह, कुछ लोकोपकारी/धर्मार्थ संगठनों के अनुकरणीय कृत्य मानवीय दुखों की सहायता के लिए अनुभूति को तीव्र कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ वीभत्स घटनायें या त्रासदी पीड़ितों के लिए कुछ करने की अनुभति उत्पन्न कर सकती है। माता–पिता/शिक्षकों/संतों द्वारा सिखया गया नीतिशास्त्र और अन्य आदर्श व्यक्ति भी एक व्यक्ति को कुछ प्रकार की परोपकार सम्बन्धी कार्यों के लगने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। इस भौतिक संसार की नश्वरता और इसके सृष्टिकर्ता की अनंतता, के बोध कारण आध्यात्किता का विकास दूसरों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए त्याग का अनुभव करने और भौतिक वस्तुओं के अधिपत्य को छोड़ देने की एक इच्छा को उत्पन्न कर सकता है।

## श्रम दान (स्वैच्छिक शारीरिक श्रम)

अधिकाश लोगों में श्रमदान को समाज कार्य का नाम देने की प्रवृत्ति है जो कि सिरे से गलत और भ्रामक हैं श्रमदान की उम्पत्ति हिन्दी भाषा में हुई है। यह दो शब्दों श्रम (शारीरिक श्रम) और दान (दान देना) से मिलकर बना है। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाने पर इसका तात्पर्य है कि भवन–निर्माण या निर्माण वृक्षारोपण के कार्य के कुछ प्रकारों के माध्यम से सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने हेतु स्वैच्छिक रूप से श्रम करने का कृत्य। श्रमदान की महत्ववूर्ण विशेषतायें है : (अ) शारीरिक श्रम; (ब) स्वेच्छापूर्वकता; (स) सामूहिक और सहकारी रूप से प्रयास करना; (द) कुछ सामान्य जनता की भलाई को बढ़ावा देना या कुछ सामान्य जनता के हितों की सुरक्षा। सारे विश्व में, विशेष रूप से भारत में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए साथ–साथ कार्य करने की एक बहुत स्वस्थ परम्परा है। सामाजिक उद्विकास की प्रारम्भिक अवस्था में जब जीवन अत्यन्त कठोर था क्योंकि लोगों को केवल विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का ही सामना नहीं करना पड़ता था बल्कि सभी प्रकार के जोखिमों, विशेषतः पशुओं और विषैले सर्पों से बचाव भी करना होता था। परिष्कृत औजार और साधन उपलब्ध नहीं थे, और लोगों को अपनी वास्तविक उत्तरजीविता के लिए स्वैच्छिक रूप से अपने श्रम का योगदान करते हुए साथ–साथ कार्य करना पड़ता था। यह या तो चट्टानों का तोड़ना या विस्थापन करना था या फिर यह घने जगलों के बीच संकीर्ण मार्गों के निर्माण हेतु झाड़ियों की कटाई था या जानवरों का शिकार उनका मांस खाने के लिए या नालों और नदियों के ऊपर काम चलाऊ पुलों का निर्माण या किन्हीं नदियों के तट पर तट–बन्धन अथवा बोध का निर्माण या पीने के पानी के उद्देश्य से कुओं या तालाबों की खुदाई करना या यात्रियों के लिए उन्हें आराम हेतु समर्थ करने के वास्ते मार्गों के किनारे आश्रय–स्थानों का निर्माण या सामुदायिक उत्सवों के लिए भोजन पकाना, स्वैच्छिक शारीरिक श्रम अनिवार्य था। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से जारी रही जब तक कि सामुदायिक जीवन भ्रातृभाव या एकरूपता की अनुभूति के साथ या समुदाय का सदस्य होने के द्वारा विशिष्ट गुण युक्त था और उनके द्वारा किये गये कार्य के बदले में क्षतिपूर्ति के लिए श्रम को किराये पर लेने के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन के माध्यम से लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के उत्तरदायित्व को राज्य द्वारा समाज की एक संसार के रूप में ग्रहण करने तक। यहाँ तक कि वर्तमान में असंख्य उदाहरण है जहाँ कि लोग समूह में एकत्रित हो कर लोगों के जीवन और जीवन–निर्वाह की दशा में सुधार को उत्पन्न करने के लिए –सम्भवतः सड़कों, नहरों, सिंचाई के साधनों, नालियों इत्यादि के निर्माण के माध्यम से या तालाबों, कुओं, कूड़ा–खाद के गड्ढ़ों इत्यादि की खुदाई के माध्यम से या नदियों, झीलों, तालाबों इत्यादि के बांधों अथवा तट–बन्धनों के निर्माण अथवा मरम्मत के माध्यम से या सामुदायिक झोपड़ियों, सरायों धर्मशालाओं इत्यादि के निर्माण के माध्यम से अपने शारीरिक श्रम के योगदान द्वारा साथ–साथ कार्य करते हैं।

वस्तुतः सरकार ने इस प्रकार के कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडट कोर, इत्यादि को विशेष रूप से श्रम की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने और इसको युवकों के व्यक्तित्व के एक भाग के रूप में अन्तर्निवेशन करने के एक प्रयोजन के साथ प्रारम्भ किया है। जहां लोगों की परिस्थितियों को बेहतर बनाने हेतु वह क्षेत्र जिसमें कि उन्होंने कार्य करने का निश्चय किया है, शिक्षित युवकों से उनका स्वैच्छिक शारीरिक श्रम अपेक्षित है। निर्विवाद रूप से, श्रमदान सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से स्वैच्छिक शारीरिक श्रम का एक विशाल भण्डार सुलभ होता है जो अन्ततः निश्चित उपलब्धियों के अनेक प्रकारों में चरम बिन्दु पर पहुँचता है। तथापि, यह समाज कार्य से भिन्न है न केवल उद्देश्यों के विशेष ढंग से बल्कि पद्धतियों और प्रविधियों के अतिरिक्त दर्शन के विशेष ढंग से भी। श्रमदान कुछ ठोस कार्य की कुशल प्राप्ति का उद्देश्य रखता है, विशेष रूप से लोगों के समूह के शारीरिक श्रम के स्वैच्छिक एकत्रीकरण करने के द्वारा जोकि जनता की भलाई के लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व जो उन्होंने लिया है के बदले में किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं । इसका आधारभूत दर्शन है। सह–बन्धुओं के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक व्यक्ति का अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का कर्तव्य। इसी प्रकार उल्लेखनीय कर्तव्य जिसे शारीरिक श्रम लोगों के व्यक्तित्व और सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के भी विशुद्ध, बहुमुखी और समन्वित विकास में निभाता है। श्रमदान के विपरीत, समाज कार्य एक विशेषीकृत प्रकृति का क्रियाकलाप है जिसके प्रभावशाली निष्पादन के लिए जान के एक विशिष्ट निकाय के अतिरिक्त तकनीकी कौशल भी आवश्यक होता है।

इसके लक्ष्यों में व्यक्ति की समाज में सामाजिक क्रिया में सुधार करना या सामाजिक व्यवस्था में इच्छित परिवर्तनों को उत्पन्न करना ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार की अवांछनीय पीड़ा या रूकावट से वशीभूत हुए बिना स्वयं के सामर्थ्य की अनुकूलतम उपलब्धि के लिए अवसरों को प्राप्त करे। इसी प्रकार जो समाज उससे अपेक्षाएं करे और उसके लिए योगदानों को उत्पन्न करना और न्यायोचित–प्रतिफल–आर्थिक, मानसिक और सामाजिक प्राप्त करना है।

यह प्रजातांत्रिक और मानवीय दर्शन पर आधारित है जो समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बन्धुत्व के मूल्यों को सुदृढ़ करता है और जो सभी के कल्याण को बढ़ावा देता है जैसा कि हमारे महान् संतों और ज्ञानियों ने हजारों वर्ष पूर्व समर्थन करने के द्वारा कल्पना की थी (सभी प्रसन्न रहें, सभी रोगों से मुक्त रहे; सभी कुशल रहे और कोई भी दुखों को न भोगे।

**बोध प्रश्न I**

**टिप्पणी :** क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) परोपकार क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) स्वैच्छिक क्रिया की प्रमुख विशेषताएँ क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 1.3 सामाजिक आन्दोलन और समाज सुधार

### सामाजिक आन्दोलन

प्रजातन्त्र का वर्तमान युग वैधानिक युग वैधानिक रूप से अनुज्ञेय एवं सामाजिक रूप से वांछित कुछ भी करने के माध्यम से एक स्वतंत्र, शालीन एवं सम्मानिक जीवन व्यतीत करने के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाने हेतु व्यक्तियों को आश्वासन देता है जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अनेक प्रयास करते हैं दूसरे शब्दों में, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, आन्दोलन बहुत सामान्य और स्वाभाविक हैं। परन्तु सामाजिक आन्दोलन शब्द को सामान्यतः विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप करने वालों, राजनीति विज्ञान वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों इत्यादि के द्वारा भिन्न–भिन्न रूप में प्रयोग किया गया है। दियानी (1992 : 2) के कथन से स्पष्ट है कि : ''वस्तुतः शब्द में प्रयोग के विषय में एक सन्निहित, ''अनुभवसिद्ध'' सहमति का पूर्णतया अभाव है।''

सामाजिक आन्दोलन शब्द ''सामाजिक पुर्नसंगठन का लक्ष्य रखते हुए सामूहिक क्रिया के विभिन्न प्रकारों को सम्मिलित करता है'' साधारण रूप से, सामाजिक आन्दोलन श्रेष्ठ तरीके के प्रतिस्थापित नहीं है और विशिष्ट या व्यापक परिवेदनाओं की ओर निर्देशित स्वतः विरोध प्रकटन से उत्पन्न हुए हैं (एम्बरकाम्बी, हिल एवं टर्नर, 1986:197)। पॉल विल्किन्सन (1971 : 27) के शब्दों में, ''एक सामाजिक आन्दोलन किसी भी साधन द्वारा, उग्रता, अवैधता, क्रान्ति या आदर्शवादी समुदाय में परावर्तन को न छोड़ते हुए किसी भी दिशा में परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु एक सुविचारित सामूहिक प्रयत्न है ..... एक सामाजिक आन्दोलन को व्यवस्थापन की एक न्यूनतम मात्रा अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये भले ही यह व्यवस्थापन के एक असंगठित अनौपचारिक या आंशिक स्तर से उत्कृष्ट रूप से प्रतिस्थापित या दफ्तर शाही तरीके से व्यवस्थित आन्दोलन और निगमित समूह तक फैला हो सकता है ..... एक सामाजिक आन्दोलन की परिवर्तन के लिए वचनबद्धता और इसके व्यवस्थापन के निर्धारण के कारण चेतन संकल्प, आन्दोलन के लक्ष्यों के प्रति आदर्श वचनबद्धता या अनुयायियों अथवा सदस्यों की ओर से विश्वास और सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। मैंकएडम एटल एवं अन्य (वीणा दास (सम्पादित) : 2003 : 1525) में उल्लिखित (1988) के अनुसार, ''सामाजिक आन्दोलन' सामूहिक सामाजिक और राजनैतिक परिदृश्य के एक असमान प्रतिबिम्ब की ओर संकेत करता है जैसे विषय जातीय क्रान्तियाँ, धार्मिक सम्प्रदाय, राजनीतिक संगठन या एकल विषम अभियान, या उपनिवेश–रोधी मुकाबला और कथित बाहरी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रतिरोध।''

मैड्डेन (1995 : 1253) के शब्दों में, ''एक सामाजिक आन्दोलन बड़ी संख्या में लोगों के संगठित होने के द्वारा गैर–संस्थापित साधनों के जरिये विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन को प्रभावित करने या सामना करने के लिए सम्मिलित विश्वास के माध्यम से एक संगठित प्रयास करना है।''

फक्स और लिंकेम्बेक (2003 : 1525) के अनुसार, ''एक सामाजिक आन्दोलन सामाजिक मान्यता की प्राप्ति और अधिकारों के दावे या एक समूह या लोगों की श्रेणी के बारे में अस्तित्वपरक हित जो जब तक अस्वीकृत थे के लिए सामूहिक स्वयं–संगठन का स्वरूप ग्रहण करना है। यह खतरे के विरूद्ध मुकाबला करने या एक समूह के अथवा लोगों की श्रेणी के अधिकारों और अस्तित्व के आधार में कार्यरत रहता है।'' यहाँ हम सामाजिक आन्दोलन को समाज में परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु जिसे वे अपने सामान्यतः विचारित आदर्श मानदण्डों के साथ अनुरूपता में एक उपयुक्त और गौरवशाली जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के विषय में अनुकूल और आवश्यक समझते हैं, कोई सुविचारित और लोगों द्वारा किसी संस्थागत संरचना को स्थापित किये बिना सामूहिक कार्य करने के रूप में पारिभाषित कर सकते हैं।

एक सामाजिक आन्दोलन की प्रमुख विशेषताएँ हैं :

1) विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था से कुछ प्रकार का उत्पन्न असंतोष या अत्यधिक उपेक्षित हितों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए आवश्यकता या कुछ नवीनीकरण को प्रारम्भ करने हेतु चिन्ताकर्षण या एक पृथक सामाजिक पहचान के लिए मान्यता प्राप्त करने की इच्छा जिसका लोग लम्बे समय तक आनन्द ले सकें और जिसका वे खतरा महसूस कर सकते हैं।

2) सामान्य उद्देश्य और कुछ प्रकार के संगठनों के प्रति समान रूचि रखने वाले लोगों के प्रयासों के माध्यम से सामूहिक कार्य प्रारम्भ करने के लिए वचनबद्धता और समर्पण के प्रति जागरूकता।

3) जैसी कि कार्यक्रम सारिणी निश्चित की गयी हो कुछ निरूपित या रूपरेखित योजना के अनुसार एक या अन्य प्रकार की गतिविधि पर सामान्य रूप सहमति को आरम्भ करना।

4) स्वायत्तता, न्याय, मानव प्रतिष्ठा, मानवाधिकार, सामाजिक मान्यता, सामाजिक बुराइयों के निराकरण के विचारों के लिए कुछ प्रकार का निर्देशन करना।

5) विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियाँ उदाहरणार्थ–विद्रोह, बगावत, सुधार या क्रान्ति और सेवायोजन की पद्धति जैसे–प्रदर्शन, हड़ताल, घेराव, बन्द इत्यादि।

6) अस्थिर और अल्पकालिक प्रकृति और सामाजिक आन्दोलन के प्रारम्भ होने अथवा समाप्त होने के विषय में स्पष्टता का प्रकट न होना।

सम्भवतः विभिन्न कारणों का एकत्रीकरण होने के परिणाम स्वरूप एक सामाजिक आन्दोलन का आरम्भ हो सकता है। सम्भवतः कुछ बुराइयाँ जैसे–सती, अस्पृश्यता, दहेज, वन–कटाई, बाल–श्रम, बंधुआ मजदूरी इत्यादि जो कि विद्यमान परिस्थिति से असन्तोष के उत्पन्न होने के एक स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं। कदाचित लोगों के कुछ प्रभावी समूह/वर्ग उदाहरणार्थ अपराधियों के संगठित समूह, माफिया डान इत्यादि हो सकते हैं जो सम्भवतः उनका दुरूपयोग अथवा शोषण और अनावश्यक उत्पीड़न के लिए दमन कर सकते हैं। कदाचित कुछ धर्म/सम्प्रदाय हो सकते हैं जो कि अपमानजक रूप से टिप्पणियाँ विरोध में कर सकते हैं या कुछ दूसरे धर्मों/सम्प्रदायों का दमन करने का प्रयास कर सकते हैं, सामान्यतः अल्पसंख्यक वर्ग में/कदाचित कुछ सिद्धान्त हो सकते हैं जो कि प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों के विरूद्ध हो सकते हैं – अत्यधिक व्यापक रूप से समकालीन समाज में नियन्त्रण की विचारित पद्धति या व्यापक रूप से स्वीकृत मूल्यों और प्रतिमानों के विरूद्ध। सम्भवतः कुछ प्रबल संस्कृतियाँ हो सकती हैं जो कुछ दूसरी

विभिन्न संस्कृतियों की खुलेआम निन्दा कर सकती हैं और उनके मूलभूत अस्तित्व को खतरे में डालने का प्रयास कर सकती हैं। कदाचित एक विशेष धर्म या संस्कृति के अनुयायी हो सकते हैं जो उसकी मौलिक प्रकृति या संस्कृति को बहुत निपुणतापूर्ण ढंग से परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। सम्भवतः लोगों के सशक्तीकरण या सतत् विकास या संस्कृति की पृथक पहचान के संरक्षण, लोगों के बीच एकता और सहानुभूति को बढ़ावा देने और सामाजिक एकीकरण के दृढ़ीकरण या देशभक्ति के अंतर्निवेशन या उनके धर्म के हितों के संरक्षण जिसे लोग अपने उपयुक्त और गौरवशाली जीवन–निर्वाह हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण समझ सकते हैं, से सम्बन्धित सामयिक हित के कुछ मामले हो सकते हैं तथापि, यह हमेशा याद रखना चाहिये कि शिक्षा के प्रसार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से – सूचना प्रौद्योगिकी, में हुई तीव्रवृद्धि ने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक आन्दोलनों के आविर्भाव को तेज किया है जो कि शालीनता, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

सभी सामाजिक आन्दोलन अपने प्रतिभागियों को परिस्थिति के सही विश्लेषण और व्याख्या में सक्रियता से कार्यरत रहने हेतु प्रेरित करते हैं – यह किस प्रकार उनके सामान्य सामूहिक हितों को आगे बढ़ाता है या उनका विरोध करता है और उनके सर्वश्रेष्ठ ढंग से आगे बढ़ने के लिए ताकि जैसा वे इसे दृष्टिगत करते हैं वैसा भविष्य हो सके, किस प्रकार के कार्यों, एक संगठन की स्थापना सहित का उत्तरायित्व लिये जाने की आवश्यकता है। सामजिक आन्दोलन अनिवार्य रूप से सफल नहीं हो सकते हैं परन्तु वह जो इससे सम्बद्ध होते हैं वे नियम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ सम्भावित प्रयास करते हैं। तथापि, एक बार जब वे इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, वे इसे समाप्त कर देते हैं, अन्य आन्दोलनों के उद्गमन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो कि कदाचित समाज की विद्यमान आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हो सकता है। यह निश्चित है कि सामाजिक आन्दोलन कायम रहने के लिए जारी रहेंगे जब तक इस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठन उत्पन्न होते हैं क्योंकि वे मनुष्यों के उपयुक्त प्रकार के विकास को बढ़ावा देने का आश्वासन दे सकते हैं।

सामाजिक आन्दोलन सम्पूर्ण सामाजिक सरंचना को मूलभूत रूप ये ठीक करने के लिए सक्षम नहीं हैं, और न उसके परम्परागत स्वरूप में कायम रहने के लिए शोषण युक्त के लिए दुर्व्यवहार पूर्ण सामाजिक व्यवस्था से अनुमति देते हैं। तभी, जैसा कि टी. के ओमेन (1977 : 16) द्वारा कहा गया है कि सामाजिक आन्दोलन, '' प्राचीन और नवीन मूल्यों एवं संरचनाओं के बीच संगम के लिए मंच की व्यवस्था करते हैं।''

सामाजिक आन्दोलन समाज कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सामाजिक संरचना में इच्छित परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करते हैं और दुर्व्यवहार एवं शोषण का निवारण करते हैं, और ये सभी समाज कार्य के मुख्य कार्य हैं।

## समाज सुधार

प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक पतन कतिपय समय की परिस्थिति के कारण प्रारम्भ होता है, विशेष रूप से जिस समय इसके अनुयायी विभिन्न प्रकार की प्रथाओं और परम्पराओं के पीछे के मूलभूत उद्देश्यों को भूल जाते हैं। वे विभिन्न संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों के धार्मिक रूप से अनुपालन को कायम रखते हैं और उनसे सम्बद्ध रहते हैं, मुख्यतः इसलिए कि उनके पूर्वजों ने इसका निर्वहन किया है। परिणामस्वरूप, वे विभिन्न प्रकार कि सामाजिक बुराइयों को बढ़ाते हैं जो व्यक्तिगत विकास में रुकावट डालती हैं और प्रभावी सामाजिक क्रिया को अवरुद्ध करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में खुली 'वर्ग'

व्यवस्था बन्द जाति व्यवस्था में अधः पति हो गयी है जो आगे अस्पृश्यता, अदर्शनीयता और यहां तक कि अप्राव्यता में बदतर हो गयी है।

जब सामाजिक बुराइयां का एक बड़े पैमाने पर आविर्भाव प्रारम्भ होता है और स्पष्ट रूप से विशाल होता है, कुछ प्रबुद्ध लोग उन्हें एक गम्भीर विचार देना आरम्भ कर देते हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए साधनों की योजना बनाते हैं; और यह वह परिस्थिति है जब समाज सुधार प्रारम्भ होता है। वेबस्टर्स एनसाइक्लोपेडिक अनएब्रिज्ड डिक्शनरी (1996 : 206) के अनुसार, 'सुधार' शब्द का अभिप्राय है ''जो भी त्रुटिपूर्ण, भ्रष्ट, असंतोषजनक, इत्यादि है उसमें सुधार या संशोधन।'' इस प्रकार समाज सुधार, का कथन वृहत रूप से, अनैतिक, दूषित, भ्रष्ट और त्रुटिपूर्ण कार्यों के उन्मूलन से सम्बन्ध रखता है जो मनुष्य और समाज के विकास में बाधा डालते हैं। एम.एस. गोरे (1987:83) के अनुसार ''समाज सुधार समझाने–बुझाने और जन शिक्षा की प्रक्रियाओं के माध्मयय से एक इच्छित दिशा में सामाजिक मनोवृत्तियों, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित भूमिका की प्रत्याशाओं और लोगों के व्यवहार के वास्तविक प्रतिमानों में परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु एक सुविचारित प्रयत्न को सम्मिलित करता है।''

यहां हम सामाजिक सुधार को समान रूचि रखने वाले लोगों द्वारा बनाये गये सोद्देश्यपूर्वक निर्मित सामूहिक और अहिंसात्मक प्रयासों के रूप में पारिभाषित कर सकते हैं जो सामान्यतः विश्वास करते हैं और अनुभव करते हैं कि उनके समाज में प्रचलित असंदिग्ध कार्य सामाजिक प्रगति को अवरूद्ध कर रहे हैं और मानव विकास में बाधा डाल रहे हैं, जिसका लक्ष्य सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को मौलिक रूप से पूरी तरह ठीक किये बिना उनका उन्मूलन करना है जिसे वे, आमतौर से सन्तोषजनक माने हैं।

समाज सुधार की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

1) कुछ सामाजिक बुराइयों की विद्यमानता की समुचित मानव वृद्धि और सामजिक विकास में बाधा डालते हैं।

2) सामाजिक बुराइयों को कम करने और उन्मूलन करने के लिए लोगों द्वारा सुविचारित सामूहिक और केन्द्रित प्रयासों को किया जाना।

3) समाज में सामान्य रूप से प्रचलित परिस्थिति के साथ पूर्णतया सन्तोष होना और यह विश्वास बना रहना कि सम्पूर्ण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता।

4) जिन क्षेत्रों में बुरे आचरण विद्यमान है उनमें इच्छित परिवर्तनों को उत्पन्न करने के लिए अहिंसात्मक तरीकों और साधनों की नियुक्ति करना और इस तरह के उपायों के प्रयोग जैसे–समझाना, बुझाना, आत्म विवेकीकरण, हृदय परिवर्तन इत्यादि विद्यमान बुराइयों के उन्मूलन के लिए नेतृत्व कर सकते हैं।

यहां पर समाज सुधार और विद्रोह के बीच समानताओं और विभिन्नताओं को भी समझना उचित होगा। अत्यधिक प्रभावी समानतायें हैं : (1) दोनों के ही मामलों में समाज में विद्यमान परिस्थिति के प्रति असन्तोष उल्लेखनीय है। दोनों ही सामाजिक परिस्थितियों में इच्छित परिवर्तनों को उत्पन्न करते या प्रयास करते हैं ताकि मनुष्य और समाज के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। (3) सुधार और विद्रोह के भी मामले में, प्रारम्भ करने वाले/नेता वैध तरीके से समुदाय के आलसी/निष्क्रिय सदस्यों से जागरूक होने की अपील करते हैं और उनके वादों को सम्मिलित करते हैं (4) दोनों, यदि आवयश्कता हो तो, हिंसा के साधनों और तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के बीच जहां तक विभिन्नताओं का सम्बन्ध है, तुलनात्मक रूप से अधिक विचारणीय है : (1) समाज सुधारक सम्पूर्ण परिस्थितियों के साथ कम या अधिक सन्तुष्ट होते हैं जो समाज में विद्यमान हैं

और उनका असन्तोष केवल सामाजिक जीवन के निश्चित विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है। इसके विपरीत, विद्रोह के मामले में, सामान्यतः विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था तथा मूल्यों के प्रति असन्तोष उल्लेखनीय है जो उन्हें विनियमित करता है और जो लोग नेतृत्व करते हैं वे उन्हें समाप्त करने के लिए लोगों को तैयार और संगठित करना चाहते हैं। (2) जब समाज सुधारक सत्ता तक पहुँचते हैं या उसे प्रभावित करते हैं वह सामाजिक जीवन के निश्चित क्षेत्रों में जिसे वे अवांछनीय समझते हैं और जो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं इच्छित परिवर्तनों को आरम्भ करने के लिए इस प्रकार की नीतियों को विरूपित करते हैं और इस प्रकार के अधिनियम बनाते हैं जो मार्गदर्शन कर सके, क्रान्तिकारी मूलभूत रूप से पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं और यहां तक कि, यदि सम्भव तो समाप्त कर देना चाहते हैं, कुछ मामलों में, विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था जिसमें उनके विचार बुनियाद रूप से अपभ्रष्ट हो गये हैं, अनिवार्य रूप से हमेशा रक्तपात के कारण नहीं होते (शर्मा में पिम्पले (सम्पादित); 1987 : 2–3)

समाज सुधार का अध्ययन व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लोगों की सामाजिक क्रिया में सुधार करने और सामाजिक संरचना और व्यवस्था में इच्छित परिवर्तनों को प्रारम्भ करने से सम्बन्धित होते हैं; और ये दोनों उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं जब तक कि समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ और दूषित एवं अवांछनीय प्रथायं और व्यवहार विद्यमान बने रहते हैं। सामान्यतः समाज कार्यकर्ता, उनके गैर–क्रान्तिकारी दृष्टिकोण के प्रति विश्वास के कारण समाज में इच्छित परिवर्तनों को प्रारम्भ करने को ग्रहण कर सकते हैं, सामाजिक सुधार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज, सती, पर्दा–प्रथा, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के साथ प्रारम्भ करके सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करना चाहते हैं।

**बोध प्रश्न II**

**टिप्पणी** : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समाज कार्य के लिए सामाजिक आन्दोलन का क्या महत्व है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 1.4 सामाजिक संजाल (नेटवर्क)

संजाल सामान्यतः तन्तुओं, रेखाओं, शिराओं, उद्धरणों या उसी तरह के किसी जाल के समान संयोजन की ओर संकेत करता है। स्कॉट (कूपर एवं कूपर में (सम्पादित) 996 : 795) के शब्दों में, ''एक सामाजिक संजाल व्यक्तियों, समूहों और अन्य सामूहिक गतिविधियों के सामाजिक सम्बन्धों में संयोजन का कोई मुखर प्रतिमान है।'' इस शब्द की उत्पत्ति को भूतकाल में 1930 के दशक में खोजा जा सकता है जब बहुत से समाज वैज्ञानिकों ने समाज के सन्दर्भ में 'संजाल', 'विन्यास', इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग करना

शुरू किया। बुनियादी रूप से वस्त्रों से लिये गये, ये रूपक सामाजिक सम्बन्धों के गुंथे हुए तथा अन्तर्ग्रथित प्रकृति और लक्षणों की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किये गये थे जिसे समाज में लोग अपनी विभिन्न प्रकार की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और अध्यात्मिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के उद्देश्य से स्थापित करने हेतु प्रयत्न करते हैं। ये शब्द प्रारम्भिक रूप से मानवशास्त्र में रैडक्लिफ ब्राउन और सामाजिक मनोविज्ञान में जेकब एल. मोरेनो द्वारा प्रयोग किये गये थें यह मोरेनो थे जिन्होंने एक आरेख की सहायता से एक सामाजिक संजाल को चित्रित करने के विचार को 'समाजमिति' कहकर प्रतिपादित किया था। यह 1950 का दशक था जब सामाजिक जाल की एक सुस्पष्ट कार्य प्रणाली अस्तित्व में आयी। यह जार्ज होमैन थे जिन्होंने वर्ष 1951 में संजाल रूपक को सुव्यवस्थित किया। संजाल के विश्लेषण का मूल विचार विभिन्न विषयों के क्रम में और विषयों के प्रतिमान का अन्तःसम्बन्ध है जो इन दशाओं को गणितीय रूप से संसाधित करके जोड़ सकता है।

समाज कार्य में 'संजाल' शब्द रखने वालने स्वैच्छिक संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के एक अन्तः सम्बन्ध या जाल या विन्यास की ओर संकेत करने के विशिष्ट अर्थ में किया जाता है जो समान उद्देश्यों के लिए प्रयत्न में लगे होते हैं, एक समन्वित और प्रभावी ढंग से साथ–साथ कार्य करने के विचार से स्थापित हैं। समकालीन सामाजिक व्यवस्था जिसमें राज्य क्रमिक रूप से सामाजिक क्षेत्र से अलग हो रहा है, यह कार्य मुख्यतः स्वैच्छिक संगठनों के करने के लिए छोड़ रहा है, उनके सदसयों में कुकुरमुत्ते जैसी वृद्धि हो रही है; और एकाकी रूप से उनमें से अधिकांश बहुत कमजोर हैं; और यह अनिवार्य हो जाता है कि सामाजिक संजाल को उनके जालपादों अस्तित्व और समन्वित क्रियाओं के माध्यम से उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए स्थापित किया जाये।

सामाजिक संजाल को महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि समाज कार्य में प्रयोग की जाती हैं, निम्नलिखित प्रकार से हैं :

1) समान रूचि रखने वाले गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन समुदाय आधारित संगठन विशिष्ट क्षेत्रों में एक विशेष स्थान में कार्य कर रहे हैं जो कि सम्भवतः ऐसा सीमित जैसे एक कस्बा/शहर या ऐसा विस्तृत जैसे सम्पूर्ण विश्व हो सकता है, अपना स्वयं का एक जाल बनाने के लिए साथ–साथ आते हैं।

2) ये गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन कुछ भली प्रकार से उल्लिखित मामलों या कार्यों के लिए कार्य करने हेतु सहमत होते हैं।

3) ये गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन अपने सामान्य हितों के संरक्षण और प्रोन्नति के लिए सामजिक संजाल स्थापित करते हैं और उसके फलस्वरूप पारस्परिक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से उन्हें पुष्ट करते हैं।

4) ये गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन एक सामान्यरूप से सहमति पर आधारित आचार संहिता के प्रति दृढ़ रहने और उनके अनुपालन के लिए सहमत होते हैं।

5) ये गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन कार्य करने के लिए अपने सामाजिक संजाल को समर्थ करने हेतु एक विधि के गठन के लिए योगदान देते हैं।

6) सामाजिक संजाल सामान्य रूप से पोषण कार्य के विशेष सन्दर्भ में गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के सदस्यों के स्वाभाविक

हितों के संरक्षण और बढ़ावा देने हेतु एक विविधतापूर्ण व्यापक कार्यक्रमों और गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेते हैं और बहुस्तरीय कार्यों को सम्पन्न करते हैं।

7) ये गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन सामान्य रूप से विकसित होने और आचार संहिता पर सहमति के प्रति सहमत होते हैं जब वे अपने कार्यों को सम्पन्न कर रहे होते हैं, इसी प्रकार जब सामाजिक संजाल के दूसरे साझीदारों से या अन्य गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन या सरकारी विभागां या सेवार्थियों या समुदाय के लोगों से सम्बन्ध स्थापित कर रहे हों।

ये सामाजिक संजाल समाज कार्य के लिए अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि ये आवश्यक संसाधनों को गतिमान करने और स्वस्थ जनमत के निर्माण और लोगों के हितों को बढ़ावा देने, विशेष रूप से समाज के कमजोर और आघात पहुँचाने योग्य वर्गों, सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता देने और सामाजिक बुराईयाँ जो मानव विकास और लोगों की प्रभावी क्रिया में बाधा डालती है के त्वरित उन्मूलन में सहायता देने के लिए संगठित मंच की व्यवस्था करते हैं।

**बोध प्रश्न III**

**टिप्पणी** : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समाज कार्य के लिए सामाजिक संजाल का क्या महत्व है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 1.5 सारांश

इस अध्याय में हमने समाज कार्य से सम्बन्धित कुछ मूलभूत अवधारणाओं का अवलोकन किया। हमने दान, स्वैच्छिक क्रिया और श्रमदान के मध्य विभिन्नताओं और समानताओं, यदि कोई हो, की जानकारी प्राप्त की। दान आवश्यकता व्यक्तियों के लिए वस्तु के रूप में या अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध कराने के विषय में सम्बन्ध रखताहै। अधिकांश धर्मों ने धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए दान के अभ्यास का समर्थन किया हैं स्वैच्छिक क्रिया व्यक्तियों द्वारा बदले में किसी ठोस लाभ की अपेक्षा किये बिना दूसरों की परिस्थितियों में सुधार करने हेतु की जाती है। सम्भवतः यह लगाव और करूणा की स्वाभाविक अनुभूति द्वारा अभिप्रेरित हो सकती है। परन्तु आजकल प्रायः हम देखते हैं कि बहुत से लोग जा`स्वैच्छिक क्रिया में लगे होने का दावा करते हैं वे सामाजिक प्रेरकों से कम निर्देशित होते हैं। श्रमदान उन गतिविधियों को करने जो सामान्य हित में परिणत होंगी के लिए निशुल्क शारीरिक श्रम का योगदान करता है। सामाजिक आन्दोलन एक सामान्य समस्या को दूर करने हेतु एक सुस्थिर संस्थागत संरचना के बाहर सामूहिक कार्य है। सामाजिक आन्दोलन की अवधारणा से घनिष्टता से सम्बन्धित है, समाज सुधार

जिसका अर्थ सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन हेतु लोगों के आचरणों में परिवर्तनों को उत्पन्न करना है। आपको यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि एक समाज कार्य व्यावसायिक द्वारा इन शब्दों के प्रयोग के मार्ग में और एक साधारण व्यक्ति द्वारा इनके प्रयोग के मार्ग में पर्याप्त विभिन्नता है। एक विद्यार्थी होने के नाते आपको इन्हें इस प्रकार प्रयाग करना चाहिये जिस प्रकार इन्हें व्यावसायिकों को प्रयोग करना चाहिये।

## 1.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

एम्बरकॉम्बी, निकोलस, (1986), स्टीफन हिलएवं ब्रिन एस. टर्नर, द पेन्गविन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, पेन्गविन बुक्स लि., हार्मन्ड्सवर्थ, मिडिलसेक्स, इंग्लैण्ड।

कैसिडी, एच.एम., (1943), सोशल सिक्योरिटी एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन इन कनाडा, हम्फ्रीज, बोस्टन।

देसाई, ''एच.एम., सोशल वेल्फेयर एक्टिविटीज बाई रिलिजीयास ग्रुप–पारसीज'' इन द प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया (सम्पादित); एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क ऑफ वाल्यूम टू, पब्लिकेशन डिवीजन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, न्यू डेल्ही।

दियानी, मारियों, ''कृद कानसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेन्ट'', (1992), द सोशियोलॉजिकल रिव्यू, 40 (1)।

डनहम, अर्थर, कम्यूनिओ वेल्फेयर आर्गेनाइजेशनः, (1958), प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रेक्टिस, थॉमस वाई कान्वेल कम्पनी, न्यूयार्क।

फक्स, मार्टिन एण्ड एन्जे लिंकेन–बच, (2003), ''सोशल मूवमेन्ट्स'' इन वीणादास (सम्पादित); द ऑक्सफोर्ड इण्डिया कम्पेनियन टू सोशियोलॉजी एण्ड सोशल एन्थ्रोपोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू डेल्ही।

फ्रिडलेण्डर, डब्ल्यू ए., (1963); इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस–हॉल ऑफ इण्डिया, न्यू डेल्ही।

गोरे, एम.एस., (1987), ''सोशल रिफार्म'', इन मिनिस्ट्री ऑफ वेल्फेयर, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया (सम्पादित); इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, वाल्यूम थ्री, पब्लिकेशन डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, न्यू डेल्ही।

जेकब, के.के., (1985), मेंथड्स एण्ड फील्ड्स, ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।

मैड्डेन, पाउल, (1995), ''सोशल मूवमेन्ट्स, इन फ्रैन्क एन. मैगिल (सम्पादित); इन्टरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी, वाल्यूम–टू, फिट्जरॉय डियरबॉर्न पब्लिशर्स, लन्दन।

मैक एडम, डॉग, जॉन डी., मैक क्रेथी एण्ड मायर एन जाल्ड, (1988), ''सोशल मूवमेन्ट्स'', इन एन.जे. स्मेल्सर (सम्पादित), हैण्डबुक ऑफ सोशियोलॉजी, सेज पब्लिकेशन्सन लन्दन।

मूर्थी, एम.वी., (1966), सोशल एक्शन, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।

मुजीब, एम., ''सोशल वेल्फेयर ऐक्टिविटीज बाई रिलिजेन्स ग्रुपस–मुस्लिम'' इन द प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (सम्पादित), इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, वाल्यूम टू।

निकोलस, एम्बरकॉम्बी, (1984), स्टीफन हिल एण्ड ब्रिन एस. टर्नर, द पेन्गविन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, पेन्गविन बुक्स लि. हार्मन्ड्सवर्थ, मिडिलसेक्स, इंग्लैण्ड।

ओमेन, टी.के., (1977), ''सोशियोलॉजिकल इश्यूज इन द एनालिसिस ऑफ सोशल मूवमेन्ट इन इन्डिपेंडेंट इण्डिया,'' सोशियोलॉजिक बुलेटिन, 26(1)।

पिम्पले, पी.एन. (1987), ''सोशल रिफार्मस एण्ड चेन्ज'' इन सतीश के.शर्मा (सम्पादित), सोशल प्रोटेस्ट एण्ड सोशल ट्रान्सफारमेशन, आशीष पब्लिशिंग हाउस, न्यू डेल्ही।

प्रे, केनेथ एल.एम., (1945), ''सोशल वर्क एण्ड सोशल ऐक्शन'' प्रोसीडिंग्स, नेशनल कान्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क।

रिचमण्ड, मेरी ई., (1992), व्हाट इज सोशल केस वर्क? रसले सेज फाउण्डेशन, न्यूयार्क।

स्कॉट, जॉन (1996), ''सोशल नेटवर्कस, ''इन एडम कूपर एण्ड जेसिका, कूपर (सम्पादित), रूटलेज, लन्दन।

सिंह, गोपाल, ''सोशल वेल्फेयर ऐक्टिविटीज बाई रिलिजेन्स ग्रुप–सिक्ख'', इन द प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया (सम्पादित) इन साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन वाल्यूम टू।

विकेन्डन, एलिजाबेथ, (1956), ''सोशल एक्शन'', इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क,'' नेशनल ऐसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क्स, न्यूयार्क।

## 1.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

**बोध प्रश्न I**

1) परोपकार भौतिक पुरस्कार की आशा किये बिना आवश्यकताग्रस्त लोगों के लिए किसी प्रकार की परोपकारी क्रियायें करना हैं। अधिकांश संगठित धर्म परोपकार के व्यवहार का समर्थन करते हैं। समाज कार्यकर्ता विश्वास करते हैं कि जब तक पीड़ित व्यक्ति को अस्थायी राहत प्रदान करता है यह उन्हें लम्बे समय तक के लिए पुष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए स्वयं उस व्यक्ति की क्षमता का विकास और उसे बढ़ावा दिया जाना अनिवार्य है।

2) स्वैच्छिक क्रिया की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

   1) सभी सम्भव तरीकों द्वारा की सहायता और उनके कल्याण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता ओर इसका मौद्रिक रूप से जरूरी न होना।

   2) सहायत दिये जाने के बदले में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की अपेक्षा की अनुपस्थिति।

   3) मानवता के लिए सेवा की श्रेष्ठ निष्पत्ति में विश्वास।

   4) एक व्यक्ति के अधिकार के विषय में एक व्यक्ति के कर्तव्य की प्रमुखता में विश्वास।

**बोध प्रश्न II**

1) सामाजिक आन्दोलन समाज कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सामाजिक संरचना में इच्छित परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, सामाजिक बुराइयों का

उन्मूलन करते हैं और दुर्व्यवहार एवं शोषण का निवारण करते हैं और ये सभी समाज कार्य के मुख्य कार्य है।

## बोध प्रश्न III

1) सामाजिक जाल समाज कार्यकर्ताओं और स्वैच्छिक संगठनों की निम्नलिखित दिशाओं में सहायता कर सकता है : यह उनके बीच संसाधनों और सूचना की सहभागिता में सहायता कर सकता है। दूसरे एक आचार संहिता विकसित की जा सकती है जो कि समाज कार्य व्यावसायिकों के व्यवहार को नियन्त्रित कर सकती है। तीसरे सामाजिक जाल के संगठन के द्वारा व्यावसायिकों के हितों के संरक्षण और बढ़ावा देने को ग्रहण किया जा सकता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

# इकाई 2 समाज कार्य अवधारणाओं का परिचय-II

## रूपरेखा

*श्री सुरेन्द्र सिंह

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 समाज सेवा, सामाजिक प्रतिरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण

2.3 सामाजिक न्याय और सामाजिक नीति

2.4 समाज कार्य और सामाजिक क्रिया

2.5 सारांश

2.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

## 2.0 उद्देश्य

पूर्व की इकाईयों में, हमने कुछ अवधारणाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त किया, जिनका कि व्यावसायिक समाज कार्य प्रशिक्षण और अभ्यास के सम्बन्ध में उपयोग किया जाता है। हम अभ्यास जारी रखते हैं और अवधारणाओं के दूसरे समुच्चय को प्रस्तुत करते हैं।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- विभिन्न अवधारणाओं जैसे–समाज सेवा, समाज कल्याण, समाज कार्य, सामाजिक नीति, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक प्रतिरक्षा का अर्थ जानने में सफल हो सकेंगे;
- इन अवधारणाओं को परिभाषित कर सकेंगे;
- जहां कीं भी आवश्यक हो, इनके तथा अन्य सम्बन्धित अवधारणाओं के बीच भेद कर सकेंगे; और
- समाज कार्य के अध्यापन और व्यवहार के लिए इन अवधारणाओं का महत्व समझ सकेंगे।

## 2.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में हम अवधारणाओं का अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हैं जो कि समाज कार्य व्यवसाय के लिए प्रासंगिक हैं। यहां हम अवधारणाओं जैसे–समाज सेवा, समाज कल्याण, समाज कार्य, सामाजिक नीति, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक प्रतिरक्षा के साथ कार्य करते हैं। आधुनिक राज्य ने इसके नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने में मुख्य उत्तरदायित्व ग्रहण किया है। व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक क्रिया भी इन प्रयासों की कमी को पूरा करने के लिए योगदान देती है। कुछ मामलों में स्वैच्छिक संस्थाएं मानवाधिकारों और सरकार की असंयत गतिविधियों से संबंधित मुद्दों को उठाने के द्वारा सरकार के कार्यों के आलोचक के रूप में कार्य करती है।

*श्री सुरेन्द्र सिंह, कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

## 2.2 समाज सेवा, सामाजिक प्रतिरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण

### समाज सेवा

प्रत्येक सभ्य समाज, अपने सदस्यों को एक बन्धनयुक्त, सम्मानपूर्ण, सुसभ्य और गौरवपूर्ण जीवन के लिए अग्रसर होने हेतु सक्षम करने के उद्देश्य से और उसके लिए उनकी शक्तियों की अनुकूल प्राप्ति, प्रतिभाओं तथा क्षमताओं द्वारा समुचित व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे–स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि की व्यवस्था करता है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, सेवा शब्द का तात्पर्य है ''एक सहायतापूर्ण क्रियाकलाप का कार्य, सहायता करना'' (वेवस्टर्स इनसाइक्लोपेडिक अनएब्रिज्ड डिक्शनरी 1996–1304)। सहायता शब्द का अर्थ सहायता देकर आगे बढ़ाना नहीं है। इसकी उत्पत्ति जर्मन शब्द 'हेल्पन' (Helpan) से हुई है जिसका अर्थ दूसरे को समाज के एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में सामाजिक रूप से अपेक्षित भूमिका के निष्पादन के विशेष ढंग से उसे अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु अन्य क्रियाओं या संसाधनों के कुछ प्रकार के प्रबलीकरण या अनुपूरण के माध्यम से मदद या सहयोग देना है (वेवस्टर्स इनसाइक्लोपेडिक अनएब्रिज्ड डिक्शनरी 1996–659)। इस प्रकार अपने अत्यधिक व्यापक अर्थ में समाज सेवा का अभिप्राय है समाज द्वारा अपने सदस्यों को समर्थ के लिए समाज द्वारा अपेक्षित/विहित भूमिकाओं के प्रभावपूर्ण रूप से निर्वाह करने हेतु उनकी शक्तियों को अनुकूल रूप से वास्तविक बनाने और बाधाओं को दूर करने जो कि वास्तविक बनाने और बाधाओं को दूर करने जो कि व्यक्तित्व विकास और सामाजिक क्रियाशीलता के मार्ग में आती है कि लिए कोई मदद या सहायता प्रदान करना है। एच.एम. कैसिडी (1943–13 के अनुसार शब्द) ''समाज सेवाओं'' का अर्थ है ''वे संगठित क्रियाकलाप जो मुख्यतः तथा प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संसाधनों के साधारण, संरक्षण और उन्नति से संबंधित है,'' और ''सामाजिक सेवाओं के रूप में सम्मिलित है'', सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, बाल कल्याण, संशोधन, मानसिक स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन श्रमिकों का संरक्षण और आवास की सुविधा'' (फीडलेण्डर, 1963–4)।

इस प्रकार सामाजिक सेवाएं वे सेवाएं हैं जो समाज द्वारा उसके सदस्यों को अनुकूल रूप से विकास करने हेतु समर्थ करने और प्रभावपूर्ण रूप से कार्य करने हेतु सहायता करने तथा शालीनता, गौरव और स्वतंत्रता के जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए परिकल्पित और प्रदान की जाती है। ये सेवाएं समाज के सभी सदस्यों को उनके धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा, क्षेत्र संस्कृति इत्यादि का विचार किये बिना प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती हैं।

साहित्य में उपयोग किये जाने वाले दो अन्य शब्द है : लोक सेवायें और सामाजिक कल्याण सेवाएं। 'लोक सेवाओं' और 'समाज सेवाओं' के बीच एक सूक्ष्म भेद है कि पहली, समाज द्वारा एक संस्था के रूप में स्थापित राज्य द्वारा इसके नागरिकों से संबंधित मामलों का प्रबन्ध करने के लिए परिकल्पित और संगठित की जाती है परंतु इसके विपरीत, दूसरी, समाज में प्रबुद्ध व्यक्तियों के रूप में लोगों द्वारा मानव और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए परिकल्पित और संगठित की जाती है। इस सूक्ष्म भेद के बावजूद दोनों शब्द प्रायः अंर्तपरिवर्तन रूप से प्रयोग किये जाते हैं और एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में ग्रहण किये जाते हैं।

वर्तमान में जबकि राज्य क्रमिक रूप से सामाजिक क्षेत्र से हट रहा है और सब कुछ बाजार की शक्तियों/निगमों या निगमित निकायों या संगठनों और नागरिक समाज

संगठनों पर छोड़ रहा है, समाज सेवाओं शब्द का उपयोग 'लोक सेवाओं' शब्द की तुलना में अधिक उचित है।

समाज कल्याण सेवाएं वह 'सामाजिक/लोक सेवाएं है जो कि विशेष रूप से समाज के कमजोर और नष्ट करने योग्य वर्गों हेतु उन्हें समाज के अन्य वर्गों के साथ मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रभावपूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए शक्ति प्रदान करने हेतु परिकल्पित और तैयार की जाती है।

समाज कल्याण सेवाएं वह 'सामाजिक/लोक सेवाएं हैं जो कि विशेष रूप से समाज के कमजोर और नष्ट करने योग्य वर्गों हेतु उन्हें समाज के अन्य वर्गों के साथ मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रभावपूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए शक्ति प्रदान करने हेतु परिकल्पित और तैयार की जाती है।

समाज सेवाओं की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं:

1) सामाजिक/लोक सेवाएँ, समाज/राज्य द्वारा परिकल्पित और संगठित की जाती हैं।

2) ये सेवाएँ समाज के सभी वर्गों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रदान करती हैं।

3) इन सेवाओं का एक अत्यधिक व्यापक कार्य क्षेत्र है, प्रत्येक वस्तु जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है इसमें सम्मिलित है।

4) इन सेवाओं का लक्ष्य मानवीय और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, लोगों के मानवधिकारों का संरक्षण करना और उनके बीच समाज के प्रति एक कर्तव्य बोध को उत्पन्न करना है।

समाज सेवाएँ समाज कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि–

1) समाज कार्य मानवीय और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है।

2) समाज कार्य प्रभावी सामाजिक क्रियाशीलता को बढ़ाने का उपाय खोजता है और नयी सामाजिक संस्थाओं को उत्पन्न करता है जो कि आवश्यक है तथा विद्यमान संस्थाओं का इस उद्देश्य से परिवर्द्धन करता है कि लोग अनुकूल रूप से अपनी शक्तियों का अनुभव कर सकें और समाज की उपयुक्त क्रियाशीलता के प्रति अपने अंशदान का योगदान दे सके।

3) समाज कार्य का लक्ष्य पर्यावरण के संरक्षण और विकास करने के द्वारा 'सतत्' विकास को प्रोत्साहन देना है ताकि पर्याप्त संसाधन भावी पीढ़ी के भी उपयुक्त जीवन को आगे बढ़ाने हेतु शक्ति प्रदान करने के लिए शेष रह सके।

## सामाजिक प्रतिरक्षा

भूल सुधार के वर्तमान काल में जिसके अन्तर्गत दण्ड के सुधारात्मक सिद्धान्त का इस आधार पर कि 'अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि प्रतिकूल और कष्टकर सामाजिक दशाएं जो कि एक सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रचलित होती हैं के द्वारा बनते हैं पुरजोर तरीके से समर्थन किया जाता है। इसी प्रकार, एक मनुष्य के रूप में एक सभ्य समाज का सदस्य होने के नाते अपराधी के हितों को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के संरक्षण हेतु एक कार्य, भी व्यापक रूप से प्रदर्शित होता है।

शब्द 'सामाजिक प्रतिरक्षा' के संकुचित और व्यापक दोनों गुणार्थ है। इसके संकुचित अर्थ में, यह लोगों के उपचार और कल्याण जो नियमों के साथ संघर्ष में आते हैं तक सीमित रहता है। इसके व्यापक अर्थ में, इसके विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष रूप से समाज के

अन्तर्गत साधारण, नियन्त्रण के उपाय और अपराध के लिए सम्पूर्ण निवारक, चिकित्सकीय और पुर्नवासन सेवाएँ सम्मिलित हैं।

सामाजिक प्रतिरक्षा को लक्ष्य समाज की विभिन्न प्रकार के विचलनों से संरक्षण करना है जो कि व्यापक रूप से प्रसारित सामाजिक विघटन में परिणत होते हैं, जो गम्भीर रूप से प्रभावी सामाजिक क्रियाशीलता का भेदन करते हैं। सामाजिक प्रतिरक्षा की किसी विचार पूर्ण नीति और नियोजित कार्यक्रम की अनुपस्थिति में, किसी समाज के सभी सदस्यों के खुशहाल और शान्तिपूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए समाज के आधारभूत उद्देश्य गम्भीर रूप से बाधित हो जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रतिरक्षा विघटनकारी शक्तियों के हमलों के विरूद्ध स्वयं की रक्षा के लिए जो इसकी कानून और व्यवस्था को खतरे में डालते हैं, जिसके फलस्वरूप इसके सामाजिक–आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है, समाज द्वारा निर्मित किया गया एक नियोजित, सुविचरित और व्यवस्थित प्रयास है। समाज के प्रचलित कानून के उल्लंघन के लोगों के कृत्यों की घटनाओं में वृद्धि के साथ, नीतियों एवं योजनाओं और व्यवस्थित कार्यक्रमों को निरूपित करना अनिवार्य हो गया है जो कि गैर कानूनी गतिविधियों के निवारण और अपराधियों के इस उद्देश्य से उपन्यास पुर्नवासन कि वे स्वयं शालीन और गौरवशाली जीवन की ओर आगे बढ़ाने के योग्य हो सके और समाज की प्रभावपूर्ण क्रियाशीलता के प्रति अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके, में सहायता कर सकेगा।

सामाजिक प्रतिरक्षा में बाल अपराध एवं अपराध के निवारण और नियंत्रण, कारागारों में कल्याण सेवाओं, मुक्त किये गये कैदियों के लिए उत्तरकालीन देखभाल सेवाओं, परिवीक्षा सेवाओं, अनैतिक आचरणों के उन्मूलन, भिक्षावृत्ति के निवारण एवं नियंत्रण तथा मादक द्रव्य व्यसनियों तथा मदिरा पान करने वालों के उपचार एवं पुर्नवासन से संबंधित मानक सम्मिलित होते हैं।

सुधारात्मक सेवाएँ जो कि प्रतिरक्षा कार्यक्रम का भाग हैं समाज कार्य व्यवहार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। समाज कार्यकर्ता, देखभाल कार्यकर्ताओं, परिवीक्षा – अधिकारियों बाल सुधार गृहों के प्रबन्धकों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

## सामाजिक सुरक्षा

सुरक्षा, जैसे – खतरे या जोखिम से मुक्ति लोगों की एक स्वीकृत आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना के विरुद्ध संरक्षण चाहता है जो उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और जिससे उसकी आय की निरन्तरता के जोखिम में पड़ने की आशंका हो; और यह सुरक्षा विभिन्न प्रकार की संस्थाओं जो कि तीव्रता से परिवर्तित हो रही हैं के माध्यम से लोगों को आश्वस्त किया जाता है। मूल रूप से, भारत में यह सुरक्षा परिवार की संस्था और व्यवयासायिक सहकारी समितियों के माध्यम से, और आगे क्रमानुसार संयुक्त परिवार व्यवस्था और जाति व्यवस्था द्वारा प्रदान की जाती थी, परन्तु काल के यथाक्रम में इन आधारभूत सामाजिक संस्थाओं का विघटन होना प्रारम्भ हो गया। प्रबुद्ध लोगों द्वारा यह महसूस किया गया था कि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समाज के स्तर पर कुछ सुविचारित प्रयास आवश्यक थे। इंग्लैण्ड में 1935 में यह प्रथम बार था, कि एक अग्रदूत – सर विलियम बेवेरिज, पाँच महा दानवों आवश्यकता, रोग, अज्ञानता, निष्क्रियता, और गलीनता के विरूद्ध मुक्ति के साधन के रूप में 'सामाजिक सुरक्षा' के विचार के साथ आगे आये। तब से सामाजिक सुरक्षा शब्द समाज विज्ञान साहित्य में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने लगा।

समकालीन समाज में, सामाजिक सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि :

1) परम्परागत सामाजिक संस्थाएँ जैसे – संयुक्त, परिवार, जाति, व्यावसायिक सहकारी समितियाँ इत्यादि आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है।

2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक क्रान्ति आयी है जो विश्वव्यापी ग्राम के आविर्भाव तथा लोगों के बीच सुगमता से गतिमान होने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और यहाँ तक कि संसार के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवास, दुर्घटनाओं की उत्पत्ति की बहुलता, यहाँ तक कि वह जो विनाशक हैं और व्यावसायिक बीमारियों सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रकट होने के लिए मार्गदर्शन दे रहा है। ये सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के जोखिम प्रकट कर रहे हैं।

3) लोगों के मूल्यों एवं अभिमुखीकरण में समुद्रीय हो गया है – समष्टिवाद से व्यक्तिवाद की ओर, आध्यात्मवाद से भौतिकवाद की ओर इसी तरह अन्य।

   अतएव, लोगों में आज आधारभूत मानवीय संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति लगाव का अभाव है और वे केवल स्वयं के या अधिक से अधिक अपने पारिवारिक सदस्यों के विषय में चिंतित हैं या अपनी आवश्यकताओंसे घनिष्टता से संबंधित हैं।

4) समाज का एक काफी बड़ा वर्ग है जो कि अशिक्षित, बेरोजगार और गरीब है तथा एक अमानवीय और असुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहा है।

सर विलियम बेवेरिज (1942:120) ने सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित करते हुए विचार व्यक्ति किये हैं ''सामाजिक सुरक्षा'' शब्द का प्रयोग आय–अर्जन का स्थान लेने के लिए एक आय की सुरक्षा को व्यक्त करने, जब वे बेरोजगारी, बीमारी या दुर्घटना द्वारा बाधित हों, अन्य व्यक्ति की मृत्यु द्वारा उत्पन्न क्षति के लिए सहायता उपलब्ध करने तथा अतिरिक्त व्यय जैसे वह जो जम्मू मृत्यु और विवाह से संबंधित हैं, की पूर्ति के लिए किया जाता है।''

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1942:80) ने सामाजिक सुरक्षा को ''एक ऐसी सुरक्षा के रूप में जो समाज, उपयुक्त संगठनों के माध्यम से, अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ निश्चित जोखिमों के विरूद्ध उपलब्ध कराता है,'' परिभाषित किया है।

फ्रीडलेण्डर (1963:5) के अनुसार ''सामाजिक सुरक्षा'' के द्वारा इस हम समाज द्वारा आधुनिक जीवन की उन आकस्मिकताओं – बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, आश्रितता, औद्योगिक दुर्घटनाओं और अशक्तता जिनके विरूद्ध व्यक्ति से स्वयं उसकी योग्यता या दूरदर्शिता द्वारा उसके स्वयं के और उसके परिवार के संरक्षण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, के विरूद्ध प्रदत्त संरक्षण के एक कार्यक्रम के रूप में समझ सकते हैं।''

भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969:162) ने विचार व्यक्त किया है : ''सामाजिक सुरक्षा विचार करता है कि एक समुदाय के सदस्यों का सामूहिक कार्य द्वारा सामाजिक जोखिमों के विरूद्ध, जो व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त विपत्ति और अभाव उत्पन्न करते हैं जिनके व्यक्तिगत संसाधन उनकी पूर्ति के लिए कदाचित ही पर्याप्त हो सकते हैं, संरक्षण किया जायेगा।''

इस प्रकार हम सामाजिक सुरक्षा को, समाज में लोगों द्वारा उनके भाइयों और बहनों की विभिन्न प्रकार की आकस्मिकि परिस्थितियों, जो कि आकस्मिकताएँ कहलाती हैं उदाहरणार्थ, जैविक रूप में जैसे – मातृत्व, आर्थिक रूप में जैसे – बेरोजगारी और जैविक–आर्थिक रूप में जैसे – वृद्धावस्था जो उनकी कार्य करने की क्षमता को खतरे में डालती हैं और उनकीआय की निरन्तरता में बाधा डालती है तथा उसके द्वारा उनकी स्वयं की और उनके

परिवार के आश्रित सदस्यों की उपयुक्त और गौरव के साथ सहायता करने की क्षमता को क्षति पहुँचती हैं और जिसका सामना वे अपने स्वयं के और साथ ही आश्रितों के संसाधनों के उपयोग द्वारा नहीं कर सकते हैं, के अधिकार के विषय के रूप में संरक्षण हेतु किये जाने वाले सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा की प्रमुख विशेषताएँ हैं :

1) सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज में लोगों द्वारा एक अधिकार के विषय के रूप में एक व्यवस्थित ढंग से सामूहिक प्रयास किये जाने के माध्यम से सुविचारित रूप से प्रदान की जाती है।

2) यह सामाजिक सुरक्षा विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं या आकस्मिक परिस्थितियों जिनका लोग पालने से कब्र तक, जन्म से मृत्यु तक सामना कर सकते हैं, के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करती है।

3) ये आकस्मिकताएं कदाचित विशुद्ध रूप से जैविक उदाहरणार्थ – मातृत्व, या ये कदाचित विशुद्ध रूप से आर्थिक उदाहरणार्थ – बेरोजगारी, या ये कदाचित जैविक – आर्थिक, उदाहरणार्थ – अधिवर्षता सेवानिवृत्ति इत्यादि हो सकती है।

4) ये आकस्मिकताएं लोगों की कार्य करने की क्षमता को खतरे में डालती है और आय की निरंतरता को अवरूद्ध करती हैं तथा स्वयं उनके और परिवार में उनके आश्रितों को एक सुसभ्य एवं सम्मानित जीवन के लिए आगे बढ़ने हेतु उनकी योग्यता को क्षति पहुँचाती है।

5) समाज में सामान्य लोगों के लिए स्वयं उनके और उनके आश्रितों के व्यक्तिगत संसाधनों के उपयोग द्वारा इन आकस्मिकताओं द्वारा प्रक्षेपित की गयी चुनौतियों का प्रभावशाली रूप से सामना कर पाना संभव नहीं है।

6) सामूहिक प्रयास हिताधिकारियों के लिए अंशदान करने की अनिवार्यता हो सकने या नहीं हो सकने को सम्भव बनाता है – कदाचित हित लाभ के लिए जिसका कि वे कुछ निश्चित विशिष्ट प्रकार की आकस्मिकताओं की उत्पत्ति की स्थिति में लाभ उठा सकते हैं, केवल नाममात्र का हो सकता है।

7) सामाजिक सुरक्षा हितलाभ कदाचित नकद अथवा वस्तु अथवा दोनों के रूप में हो सकते हैं।

8) सामाजिक सुरक्षा एक मानसिक अवस्था और विषयनिष्ठ तथ्य दोनों है। लोगों को आकस्मिकताओं के विरूद्ध समुचित संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, यह आवश्यक हैं कि उन्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि जब कभी भी आवश्यक हो तो पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा में हितलाभ उपलब्ध होंगे।

सामाजिक सुरक्षा के तीन प्रमुख प्रकार है : (1) सामाजिक बीमा (2) सार्वजनिक/सामाजिक सहायता (3) सार्वजनिक अथवा सामाजिक सेवायें। सामाजिक बीमा के विषय में, भावी हिताधिकारियों के लिए कुछ अंशदान करना आवश्यक है, यह कदाचित हितलाभ के लिए जो उन्हें आकस्मिकताओं की उत्पत्ति के मामले में दिया जाता है, केवल नाममात्र का हो सकता है। ये हितलाभ इतना दृढ़ होते हैं कि ये कदाचित निर्दिष्ट औसत आवश्यकताओं के लिए प्रबन्ध करने के योग्य हो सकते हैं। फिर भी, कुछ निश्चित मामलों में, कदाचित अंशदान के भुगतान की शर्त से विशेष छूट की अनुमति दी जा सकती है।

सार्वजनिक/सामाजिक सहायता विद्यमान वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति और एक न्यूनतम इच्छित जीवन स्तर बनाये रखने के लिए लोगों को शक्ति प्रदान करने हेतु

कदाचित नकद और/या वस्तु के रूप में दी जा सकती है। सार्वजनिक और सामाजिक सहायता के बीच एक सूक्ष्म अन्तर है कि सार्वजनिक सहायता सरकार के राजस्व विभाग के माध्यम से विद्यमान वास्तविक आवश्यकताओं के निर्धारण करने तथा यह सुनिश्चित करने की भावी हिताधिकारियों ने कुछ निश्चित विहित योग्यताओं की शर्तों, पारिवारिक उत्तरदायित्व और ईमानदारी के अनुपालन से संबंधित सहित, की पूर्ति कर ली है, के पश्चात् प्रदान की जाती है। सामाजिक सहायता कुछ नागरिक समाज संगठनों द्वारा कुछ निश्चित विशिष्ट कसौटियों के अनुसार गरीब लोगों को उपयुक्त मानने पर उनकी आधारभूत न्यूतनतम आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए प्रदान की जाती है। सार्वजनिक/सामाजिक सेवायें, सरकार/समाज द्वारा मानवीय/सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं। कभी–कभी सार्वजनिक ओर सामाजिक सेवाओं के बीच एक सूक्ष्म भेद होता है – पहला, सरकार द्वारा संगठित और प्रदान किया जाता है और दूसरा द्वारा कुछ नागरिक समाज की पहल के माध्यम से संगठित और प्रदान किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा का ज्ञान किसी भी व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य होता है क्योंकि वह मानवीय और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता/करती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक न्यूनतम इच्छित जीवन स्तर के आश्वासन की ओर निर्दिष्ट विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में लोगों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाता/बढ़ाती है। यदि, लोगों की आय की निरन्तरता संकट में हो और उनकी कार्य करने की क्षमता दुर्बल हो तो उनके पारिवारिक आश्रितों और उनके स्वयं के संसाधनों के उपयोग द्वारा सामाजिक भूमिकाओं के प्रभावपूर्ण रूप से निष्पादन के लिए किसी भी प्रकार की सहायता की व्यवस्था के बिना, वे स्वयं अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए सक्षम नहीं होंगे।

**समाज कल्याण**

पूरे विश्व में सभी सभ्य समाज सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारत में हमारे ऋषि–मुनियों ने सभी की खुशहाली की आकांक्षा की और ऐसी संस्थाओं को निर्मित करने का कार्य किया है जो सभी के कल्याण को बढ़ावा दे सकें और समय–समय पर उन्हें दृढ़ता प्रदान कर सके। 'कल्याण' शब्द की उत्पत्ति, 'वेल्फेयरेन' (Welfaren) से हुई है, जिसका अर्थ है ''कल्याण, सौभाग्य, स्वास्थ्य, खुशहाली, सम्पन्नता इत्यादि से सम्बन्धित अवस्था अथवा दशा'' (वेबस्टर्स इन साइक्लोपेडिक अनएब्रिज्ड डिक्शनरी, 1996:1619)। कल्याण पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए, सुगाता दास गुप्ता (1976:27) ने कहा है कि ''कल्याण के द्वारा हम सामाजिक और आर्थिक, सेवाओं के सम्पूर्ण पुलिंदे जो कि एक ओर आय की सहायता, कल्याण प्रावधानों और सामाजिक सुरक्षा का वितरण करता है, तथा दूसरे, सामाजिक सेवाओं के पूरे प्रभाव क्षेत्र पर नजर रखता है, को समझ सकते हैं।''

समाज कल्याण, समाज द्वारा एक व्यापक प्रकार के तरीकों और साधनों के माध्यम से लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है। विलेन्स्की एवं लेबेआउक्स (1957:17) ने समाज कल्याण को उन औपचारिक रूप से संगठित और सामाजिक रूप से प्रायोजित संस्थानों, संस्थाओं और कार्यक्रमों के रूप में परिभाषित किया है जो जनसंख्या के कुछ भाग या सभी की आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य या अन्तर्वैयक्तिक क्षमता में सुधार या संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। फीडलेण्एडर (1963:4) के अनुसार, ''समाज कल्याण, सामाजिक सेवाओं एवं संस्थाओं की एक संगठित व्यवस्था हैं, जो व्यक्तियों एवं समूहों को एक संतोषजनक जीवन स्तर और स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्बन्धों को प्राप्त करने; जो उन्हें अपनी पूर्ण योग्यताओं को विकसित करने और उनको अपने परिवार और समुदाय की

आवश्यकताओं के सामंजस्य के साथ उनके कल्याण को बढ़ावा देने की अनुमति देता है, के लिए सहायता देने हेतु नियोजित की जाती है।'' विलेन्सकी एवं लेबेआउक्स (1965:11–19) के मत में : ''आज समाज कल्याण की दो धारणाएं प्रभावी प्रतीत होती हैं अवशिष्ट सम्पत्ति संबंधी और संस्था संबंधी। पहला इस बात को अधिकार में रखता है कि समाज कल्याण संस्थायें उसी समय व्यवहार में आनी चाहिये जब पूर्ति की सामान्य संरचनायें, परिवार और बाजार, नष्ट हो जायें। इसके विपरीत, दूसरा कल्याण सेवाओं को आधुनिक, औद्योगिक समाज के ''अग्रिम पंक्ति'' के कार्यों के सामान्य रूप में देखता है, वे मुख्य लक्षण जो, साथ–साथ होने पर, समाज कल्याण संरचना को पृथक–पृथक करते हैं, वे हैं :

1) औपचारिक संगठन।

2) सामाजिक प्रायोजकता और उत्तरदायित्व।

3) प्रमुख कार्यक्रम प्रयोजन के रूप में लाभ के प्रेरक की अनुपस्थिति।

4) कार्यात्मक सामान्यीकरण : मानवीय आवश्यकताओं की खण्डात्मक की अपेक्षा एकीकृत दृष्टि।

5) मानवीय उपभोग की आवश्यकताओं पर प्रत्यक्ष केन्द्रित।

''एक व्यापक अर्थ में समाज कल्याण'', जैसा कि स्किडमोर, थैकरे और फार्ले (1991:3–4) ने व्यक्त किया है, ''बड़ी संख्या में लोगों के, उनकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ने व्यक्त किया है, ''बड़ी संख्या में लोगों के, उनकी शारीरिक, मानसिक, संवगात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक आवश्यकताओं सहित, कल्याण और रूचियों को परिवृत करता है ..... समाज कल्याण में सामाजिक समस्याओं का सामना करने और उनका समाधान करने से संबंधित आधारभूत संस्थायें और प्रक्रियायें सम्मिलित हैं। ''समाज कल्याण के लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए जास्त्रो (1978:3) ने कहा है : ''समाज कल्याण का लक्ष्य एक समाज में सभी व्यक्तियों की सामाजिक, वित्तीय, स्वास्थ्य सम्बन्धी और मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। समाज कल्याण अमीरों और गरीबों दोनों के, सभी आयु समूहों के लोगों की सामाजिक क्रियाशीलता को बढ़ाने का उपाय खोजता है। जब कभी हमारे समाज में अन्य संस्थायें जैसे – बाजार अर्थव्यवस्था तथा परिवार, व्यक्तियों या लोगों के समूहों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल हो जाती हैं, तब सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता और माँग होती है।''

देश में केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद् की प्रथम सभापति दुर्गाबाई देशमुख (1960:) ने सुस्पष्ट रूप से कहा है कि :''समाज कल्याण की अवधारणा अन्य सामान्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से भिन्न है। समाज कल्याण जनसंख्या के कमजोर तथा अधिक नष्ट करने योग्य वर्गों के लाभ हेतु एक विशिष्ट कार्य है तथा इसमें महिलाओं, बच्चों, शारीरिक रूप से विकलांगों, मानसिक मंदितों तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक रूप से अक्षम लोगों के लाभ के लिए विशेष सेवायें सम्मिलित हैं।''

अतः हम समाज कल्याण को समाज के कमजोर तथा नष्ट करने योग्य वर्गों जो अत्यधिक विकास करने और मुख्यधारा में प्रवेश करने के लिए प्रभावपूर्ण रूप से स्पर्धा करने तथा स्वतंत्रता, शालीनता और प्रतिष्ठा के साथ जीवन निर्वाह करने की स्थिति में नहीं होंगे, इस पर स्वयं को छोड़ दिया है, के हितों के संरक्षण और बढ़ावा देने का लक्ष्य रखने वाली सेवाओं और संस्थाओं की विशेष रूप से नियोजित व्यवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

समाज कल्याण की प्रमुख विशेषताएँ हैं :

1) यह सेवाओं और संस्थाओं की एक सोद्देश्यपूर्वक संगठित व्यवस्था है।

2) ये सेवाएँ और संगठन समाज के कमजोर और नष्ट करने योग्य वर्गों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से प्रबन्ध करते हैं।

3) इन वर्गों की दुर्बलता और भेद्यता अद्भुत हो सकती हैं उसके सदस्य लोगों की किसी व्यक्तिगत गलती से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक प्रतिबन्धों से जिससे सामना हुआ हो सकता है और वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हों।

4) समाज कल्याण का लक्ष्य इन वर्गों को समाज में उनके लिए एक प्रतिष्ठित स्थान को सँवारने और स्थिति जिसका सम्भवतः वे अधिभोग करें, के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को प्रभावपूर्ण रूप से निर्वहन करने हेतु उनके पास जो कुछ भी शक्तियाँ, प्रतिभायें तथा योग्यतायें हैं उनकी अनुकूल रूप से अनुभूति करने के लिए उन्हें समर्थ करने हेतु उनके हितों का संरक्षण करना और उन्हें बढ़ावा देना है।

**बोध प्रश्न I**

**टिप्पणी** : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) सामाजिक प्रतिरक्षा का विषय क्षेत्र क्या है ?

.....

.....

.....

.....

.....

## 2.3 सामाजिक न्याय और सामाजिक नीति

### सामाजिक न्याय

न्याय शब्द की कोई परिभाषा निश्चित नहीं दी गयी है। डायस (1985:65–66) ने ठीक ही कहा है न्याय शब्द एक मस्तिष्क द्वारा समाविष्ट करने के लिए अत्यधिक व्यापक है। कृष्णमूर्थी (1982:18) ने भी विचार व्यक्त किया है। श्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद, न्याय को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना सम्भव नहीं है। यद्यपि सम्पूर्ण मानव इतिहास में प्रत्येक समाज के पास न्याय के प्रशासन के लिए व्यवस्था थी परन्तु इसकी प्रकृति और स्वरूप इसी प्रकार प्रशासन की पद्धतियाँ और ढंग भिन्न थे, जो कि एक समाज विशेष में एक समय की विशेष परिस्थिति में प्रचलित मूल्यों और प्रतिमानों पर निर्भर होते थे। प्रत्येक समाज लोगों के सामाजिक रूप से स्वीकृत अधिकारों के संरक्षण करने और बढ़ावा देने के लिए कुछ पद्धतियों का विकास करता है। ये पद्धतियाँ, स्पष्ट रूप से दो प्रकार के उपागमों द्वारा विशिष्ट गुण युक्त कही जाती है : (1) संरक्षात्मक (2) प्रोत्साहक। संरक्षात्मक उपागम लोगों की दुर्व्यवहार तथा शोषण के विरूद्ध सुरक्षा करता है और प्रोत्साहक उपागम समाज में इस बन्धुत्व को सुनिश्चित कर सके और वह जो कुछ कारण (णो) से पिछड़ गये हैं और मुख्य धारा से बाहर हैं कि लिए विशेष अवसरों की व्यवस्था कर सकें।

अरस्तू ने न्याय को ''अन्तरात्मा के फैलाव के उत्कर्ष जिसके लिए कि प्रत्येक व्यक्ति पात्र है,'' के रूप में परिभाषित किया है। सिसरो के अनुसार, इसकी उत्पत्ति अनादि–अनंत और अपरिवर्तनीय नैतिकता के दैवी सिद्धान्त में खोजी जा सकती है। न्याय लोगों के बीच पवित्रता को उत्पन करता है। न्याय ईश्वर का स्वाभाविक गुण है। यह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अनिवार्य कुछ निश्चित नैतिक नियमों का नाम है। अतः लोग, समाज के सांसारिक मामलों के संचालन करने के लिए अन्य निर्मित नियम संहिताओं की तुलना में न्याय के साथ वृहत्तर सार्थकता से जुड़े होने के लिए कर्तव्य–प्रतिबंधित हैं। समाज में लोगों के प्रति न्याय, ईश्वर के प्रति पवित्रता के बराबर मानी जाती है। यह व्यवहार में सत्य है। इस प्रकार न्याय में सभी नैतिक गुण जो कि नैतिक रूप से विहित आचरण के नियमों के साथ अनुरूपता को सुनिश्चित करते हैं सम्मिलित हैं। अन्तिम विश्लेषण में, न्याय, अन्याय करने से दूर रहने के लिए कायम रहता है। आज 'न्याय' शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है : (1) सार अर्थ (2) ठोस अर्थ। इसके सार अर्थ में यह एक कानूनी और नैतिक, आचरण के नियम की ओर संकेत करता है जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है।

इसके ठोस अर्थ में, यह विद्यमान कानूनों के विश्वसनीय कार्यान्वयन की ओर निर्देशित करता है। परम्परागत रूप से, न्याय का अर्थ है नैतिक गुण जिसके द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति को उसे अनिष्ट या हानि का सामना करने के रूप में क्या देय है, प्रदान करते हैं। आज इसका अर्थ है अधिकारों का संरक्षण, लोग जिसका उपभोग करने के लिए हकदार है।

न्याय किसी सभ्य समाज का प्रमाण चिन्ह है। न्याय को हर कीमत पर किया जाना चाहिये। फिआत जस्टिसिआ रूआत कोलेअम (आसमान भले ही गिर जाये, परन्तु न्याय अवश्य किया जाना चाहिये) निर्देशक सिद्धान्त है जिसका सभी सभ्य समाजों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

न्याय का अत्यधिक सामाजिक महत्व है। यह कर्तव्य बोध और दूसरों के प्रति लगाव का बढ़ाता है। यह लोगों के बीच विश्वास और दृढ़ता को उत्पन्न करता है और कायम रखता है। यह कानून और व्यवस्था को बनाये रखता है। यह बोध शक्ति को बढ़ावा देता है और उसके द्वारा सामंजस्य और एकीकरण को प्रोत्साहन देता है। एक एकता और परस्पर निर्भरता को पुष्ट करता है। यह एक शान्ति और स्तब्धता के एक वातावरण को निर्मित करता है। यह जियो और जीने दो या शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व के सिद्धान्त को रेखांकित करता है। यह सामाजिक आर्थिक विकास की गति बढ़ाता है, और अन्तिम रूप से व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाशीलता के प्रति आशा रखता है।

सामाजिक न्याय, न्याय की सम्पूर्ण रूपरेखा का एक भाग है, जो अपने विस्तार क्षेत्र के अर्न्तगत न्यायपूर्ण वितरण के विचार को अन्तर्निहित करता है और एक न्याय के समाज को उत्पन्न करने के उद्देश्य हेतु सुविधाओं के 'समान वितरण' को अन्तर्निहित नहीं करता। मिलर (1967:1) ने ठीक ही कहा है। ''सामाजिक न्याय की अवधारणा को सामान्यतः न्याय की व्यापक अवधारणा के एक भाग को निर्मित करने के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। न्याय के एक विशेष प्रकार के रूप में, इसका अर्थ है सामाजिक रूप से क्या न्याय है और समय और स्थान के साथ–साथ सामाजिक रूप से न्याय में क्या परिवर्तन होता रहता है। ऐलेन (1950:3) ठीक ही कहते हैं, ''आज हम सामाजिक न्याय के विषय में काफी सुनते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि वह जो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, इससे उनका क्या अभिप्राय है, इस विषय में अत्यधिक सहज रूप से कम जानते हैं। कुछ तात्पर्य सम्पत्ति का 'वितरण' या' पुनर्वितरण,', कुछ इसकी व्याख्या अवसरों की समानता के रूप में करते हैं – एक भ्रामक शब्द है क्योंकि लोगों

के बीच जिनके पास इसे ग्रहण करने के लिए असमान क्षमतायें हैं, अवसर कभी समान नहीं हो सकते, बहुत साधारण रूप से मेरा अनुमान है कि यह अन्यायपूर्ण हे कि कोई भी व्यक्ति उनकी तुलना में अधिक सौभाग्यपशाली और अधिक बुद्धिमान हो सकता है और उसका अभिप्राय न्याय है–मैं वास्तव में उदार रूप से कहना चाहूँगा, कि प्रत्येक प्रयास कम से कम मानवीय असमानता की विषमताओं को कम करने के लिए किया जाना चाहिये और कोई बाधा प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिये बल्कि वास्तव में स्वयं सुधार के लिए उपयोगी सहायता देनी चाहिये।

सामाजिक न्याय एक गतिशील शब्द है जो एक प्रजातांत्रिक समाज में 'कानून के नियम' के संरक्षण की व्यवस्था करता है। यह कानून की सहायता से विभिन्न प्रकार की असमानता को दूर करने के द्वारा एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहायता करता है और व्यक्तियों के अनुकूल व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इसके पास संरचनात्मक और योजनाबद्ध असमानताओं के निराकरण के पक्ष में एक नीति होती है क्योंकि सामाजिक न्याय के मूल में समाज के कमजोर और नष्ट करने योग्य वर्गों के लिए विशेष अवसरों की व्यवस्था करने के द्वारा, जो या तो सामाजिक दमन और उत्पीड़न से वर्गीकृत होने के कारण या विभिन्न प्रकार की अयोग्यताओं और प्रतिबन्धों के शिकार होने के कारण, दुरुपयोग के लिए और यहाँ तक कि दुर्व्यवहार तथा शोषण के लिए तत्पर हैं, आधारभूत धारणा समकरण करना है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिये जाने पर वे समाज की मुख्य धारा का भाग होने में सक्षम नहीं होंगे। अपने संकुचित अर्थ में, सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति का तात्पर्य लोगों के व्यक्तिगत संबंधों में अन्याय का संशोधन करना है और व्यापक रूप से यह लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में असन्तुलन के निराकरण से संबंध रखता है।

जस्टिस कृष्णा अय्यर ने (1980:157–158) के अनुसार, ''सामाजिक न्याय एक उदार अवधारणा है जो समाज के प्रत्येक सदस्य को एक निष्पक्ष व्यवहार का आश्वासन प्रदान करता है। यदि एक सदस्य द्वारा कोई उपचारात्मक क्षति, अन्याय या अयोग्यता या असमर्थता की पीड़ा सहन की जाती है जिसके लिए वह प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, सामाजिक न्याय के उदार लक्ष्यायों के अन्तर्गत स्थान पाता है। ''सामाजिक न्याय की अवधारणा इसके विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत समाज में सर्वत्र केवल साधनों, सुविधओं, बोझों, इत्यादि के वितरण ही नहीं जो कि इसकी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं से परिणत होता है, (मिलर, 1972:22) बल्कि एक समाज में व्यक्तियों के जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास (गोविन्द, 1995:6) को भी सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है। जस्टिज कृष्णा अयर (1980) निश्चित रूप से सही हैं जबकि उन्होंने कहा है कि ''सामाजिक न्याय सीमित विधिक रामबाण नहीं है बल्कि, इसके विस्तृत प्रवाह में, यह अधिकार जमाने वाले अन्याय का मुकाबला करता है और अत्यावश्यक विशेषाधिकारों को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करता है, दमन को ठीक करता है तथा मनुष्यों को उनकी सम्पूर्णता और आध्यात्मिक स्पर्श के साथ थोड़ा सा परिवर्तित एकाधिक रणनीतियों के माध्यम से अभीभूत करता है, अस्वस्थ मानवता के लिए केवल कल्याणकारी आशा को प्रस्तुत करता है।

भारत जैसे विकासशील देश बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, खराब–स्वास्थ्य और गन्दगी की स्पष्ट रूप से व्यापक और गम्भीर समस्याओं द्वारा विशिष्ट गुणयुक्त हें, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की वचनबद्धता पर डटे हैं (उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 स्पष्ट रूप से रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ''राज्य उतने प्रभावपूर्ण ढंग से जैसे कि यह कर सकता है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण द्वारा लोगों के कल्याण के प्रोत्साहन हेतु प्रयास करेगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं में

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय लाया जायेगा)'' लोगों के सशक्तीकरण या क्षमता निर्माण के लिए अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं की सन्तुष्टि की जानी चाहिये, प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए अवसरों और समाज के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों के सदस्य लोगों, उनकी किसी गलती के कारण नहीं बल्कि, असमतावादी और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण जो कि उन्हें सामाजिक सोपानिकी में आरोपण के रूप में आधारित अत्यधिक निम्न सामाजिक स्तर प्रदान करता है, के लिए विशेष सुविधायें दी जानी चाहिये।

सामाजिक न्याय शब्द जैसा कि यहाँ प्रयोग किया गया है, समाज द्वारा जिसकी सामाजिक व्यवस्था है, एक सोद्देश्यपूर्वक प्रस्तुत वैमनस्यकारी व्यवस्था के माध्यम से जिसके द्वारा समाज के कुछ निश्चित वर्ग उत्पीड़न, दमन, उपेक्षा और यहाँ तक कि बहिष्कार से वशीभूत होते हैं और विपत्तियों का एक जीवन जीने और एक निम्न स्तर पर कष्ट सहने के लिए बाध्य होते हैं, इस प्रकार के विशेष सुरक्षात्मक, उपचारात्मक, सुधारात्मक और प्रोत्साहक मानक जो कि उनकी विशेष असमर्थताओं को दूर करने तथा एक सुसभ्य, प्रतिष्ठित, उन्मुक्त और आदरपूर्ण जीवन जो समानता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व द्वारा विशेष गुण–युक्त हो के लिए आगे बढ़ने हेतु उन्हें समर्थ करने में सहायक हो सकते हैं, के अंगीकार करने से संबंधित होता है।

सामाजिक न्याय का सामान्य लक्ष्य समाज के न्याय और सुव्यवस्थित क्रियाशीलता, लोगों के अंशदानों के हकदार होने और आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं के वितरण और उनके समाज के लिए विचलन और हानि उत्पन्न करने की गम्भीरता के अनुसार दण्ड के अधिरोपण को सुनिश्चित करना है।

सामाजिक न्याय के विशिष्ट उद्देश्य हैं :

1) यह सुनिश्चित करना कि 'कानून के नियम' समाज में प्रचलित है।
2) 'अवसरों की समानता' का आश्वासन प्रदान करना।
3) कमजोर और नष्ट करने योग्य वर्गों के विशेष अवसरों की व्यवस्था करना।
4) परिणामों की समानता को सुनिश्चित करना।
5) कमजोर और नष्ट करने योग्य वर्गों के दुव्यर्वहार और शोषण का निवारण करना।
6) अल्पसंख्यकों के धर्म और संस्कृति की रक्षा करना और उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था और शान्ति को जोखिम में डाले बिना उसके अनुसरण करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना।

विश्व के किसी भी भाग में, जहाँ कहीं भी जाति, रंग या मत के नाम पर विभेदीकरण दुव्यर्वहार और शोषण विद्यमान होता है, साथ ही सामाजिक न्याय के लिए कुछ प्रकार की व्यवस्था भी अस्तित्व में होती है। यहाँ तक कि विश्व के सबसे विकसित देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, में अश्वेतों और आदिवासियों के विकास के लिए विशेष अवसरों के रूप में सकारात्मक क्रिया की एक व्यवस्था विद्यमान है। भारत में, इसके स्तरीकरण की व्यवस्था जाति के रूप में प्रसिद्ध है, भारतीय संविधान के लागू होने के समय से ही अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को विशेष सुविधायें दी जाती हैं। समय के यथाक्रम में, वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से प्रसिद्ध हैं। अब विभिन्न पदासीन राजनीतिक दल – कुछ राज्यों में और कुछ केन्द्र में, आने वाले चुनावों में कुछ लाभ पाने उद्देश्य से आर्थिक रूप से पिछड़ी उच्च जातियों और मुस्लिमों के लिए सामाजिक न्याय की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

नीति, स्पष्ट रूप से, एक रूपरेखा जिसमें अन्तर्गत एक निश्चित कार्य विधि को अपनाने के द्वारा जिसके दृढ़ उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, से सम्बन्धित होती है। सामाजिक नीति शब्द प्रायः स्वच्छन्द रूप से और अस्पष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है। आइडेन (1969:5) ने कहा है कि, ''सामाजिक नीति को सरकार द्वारा अपनायी गयी उन कार्य–विधियों सहित के रूप में ग्रहण किया जाता है जो जीवन, कार्य के सामाजिक पहलुओं से सम्बन्धित हैं और जो इसके नागरिकों के कल्याण को उन्नत करने के लिए सोद्येश्यपूर्वक नियोजित और ग्रहण की गयी है।'' कुलकर्णी (1987:94) के शब्दों में, ''महत्वपूर्ण शब्द नीति'' इच्छित उद्देश्य(यों) की प्राप्ति के प्रयोजन से एक दूरदर्शी कार्य – विधि को अन्तर्निहित करता है, ..... क्या व्यवहारिक है, नीति कहलाता है और क्या सिद्धान्तों पर आधारित है यह सिद्धान्तवादी के रूप में, से सम्बन्धित होता है'' इसके अतिरिक्त एक अन्य जगह उन्होंने (1978:15) लिखा है कि, ''सामाजिक नीति'' शब्द तीन विशिष्ट क्षेत्रों या पहलुओं को सूचित करने हेतु प्रयोग किया जाता है, जो कि विख्यात हैं : (1) राज्य की नीतियों के सामाजिक उद्देश्य, उनकी आर्थिक वृद्धि सहित (2) एक विकाशील अर्थव्यवस्था के एक सम्पूर्ण भाग के रूप में सामाजिक सेवाओं को प्रोत्साहन देने संबंधी नीति (3) विकास योजनाओं के एक भाग के रूप में समाज कल्याण सेवाओं के प्रोत्साहन के संचालन की नीति।''

इस प्रकार सामाजिक नीति का तात्पर्य है एक रूपरेखा जिसके अन्तर्गत या निश्चित कार्य – विधि को अपनाने के द्वारा जिसे राज्य इसके मामलों को संचालित करने हेतु समाज के हितों, इसी प्रकार लोगों के इच्छित मानवाधिकारों के संरक्षक और प्रोत्साहक के यप में ताकि पोषण, जल–वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, नियोजन और और मनोरंजन इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं के एक अनुक्रम की व्यवस्था के द्वारा सभी के कल्याण के लक्ष्य को बढ़ाया जा सके।

सामाजिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित प्रकार से है :

1) सामाजिक नीति, समाज के मामलों को संचालित करने के लिए राज्य के उत्तरदायित्वों की नीति है।

2) यह एक रूपरेखा जिसके अन्तर्गत और कार्य विधि को अपनाने के द्वारा जो समाज के मामलों को संचालित करने हेतु है, को व्यक्त करती है।

3) यह लोगों को सामाजिक सेवाओं की व्यवस्थाओं की व्यवस्था के साथ जो उनकी प्रकृति से प्रत्यक्ष की और सामान्य हैं, इसके साथ सामान्य रूप से और लगाव रखने के लिए जोड़ती है।

4) इसका लक्ष्य मानवीय और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।

यहाँ सामाजिक नीति और समाज कल्याण के बीच एक सूक्ष्म भेद स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जबकि, सामाजिक नीति स्वयं को सामान्य रूप से लोगों के जीवन और निर्वाह को प्रभावित करने हेतु सामाजिक सेवाओं के प्रावधान से सम्बन्धित करती है, समाज कल्याण नीति स्वयं को समाज के कमजोर और नष्ट करने योग्य वर्गों को अन्य वर्गों के साथ उनकी तरह बनने के लिए समर्थ करने हेतु विशेष रूप से नियोजित समाज कल्याण सेवाओं के संगठन से जोड़ती है।

सामाजिक नीति का क्षेत्र स्पष्ट रूप से व्यापक है। यह अपनी सीमा के अन्तर्गत इस प्रकार की सभी सेवाओं जो कि एक समाज में लोगों की जीवन–निर्वाह व्यवस्था पर प्रत्यक्ष

रूप से कार्य करती है और विभिन्न प्रकार के संबंधित मामले जो इस प्रकार की सेवाओं पर कार्य कर सकते हैं, को सम्मिलित करती है।

जैसा कि कुलकर्णी (1987:94) द्वारा कहा गया है, ''परिवर्तित और परिवर्तन हो रही आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुकूल होने हेतु तथा सामान्य रूप से समान अवसर के एक खुले, बहुलवादी समाज के प्रति कार्य करने के लिए, समाज का आधुनिकीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने को समाविष्ट करना, राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊपर उठाना, नागर एवं राजनीतिक संस्थाओं को उन्नत करना, ये सभी घटक सामाजिक नीति के सार और विषय – वस्तु के रूप में समझे जा सकते हैं।''

सामाजिक नीति के आधारभूत स्रोत किसी देश के संविधान और उसके अधीन निर्मित विभिन्न प्रकार के अधिनियमन हैं क्योंकि संविधान एक फव्वारे के शीर्ष के समान कार्य करता है जिससे सभी निर्देश प्रवाहित होते हैं जिसके प्रकाश में विशिष्ट कानून मानवीय और सामाजिक विकास को समुचित बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किये गये हैं।

भारत में सामाजि नीति संविधान के भाग प्ट में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को शीर्षक में विशिष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में प्रज्ञापित की गयी है। इसमें विशिष्ट अनुच्छेद जैसे 38 अज़ैर 46 हैं जो कि सामाजिक न्याय की सम्पूर्ण रूपरेखा के अन्तर्गत लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करते हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि 1991 के पश्चात् भारत सरकार की सामाजिक और समाज कल्याण नीति में प्रबल परिवर्तन आया है – यह वर्ष जिसमें संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के भाग के रूप में उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीति को अंगीकृत किया गया।

**बोध प्रश्न II**

**टिप्पणी** : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) सामाजिक न्याय के उद्देश्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 2.4 समाज कार्य और सामाजिक क्रिया

### समाज कार्य

समाज कार्य जो कि एक व्यवस्थित ढंग से असहायों को राहत का प्रबन्ध करने की आवश्यकताओं के रूप में उद्गमित हुआ है, क्रमिक रूप से, आवश्यकता ग्रस्त लोगों के लिए सहायता की प्रभावी व्यवस्था हेतु विशेषज्ञ ज्ञान और तकनीकी कौशल के साथ एक अर्द्ध – व्यवसाय या व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है। प्रारम्भिक अवस्था में यह लोगों को उनकी मनो सामाजिक समस्याओं जो कि उनकी प्रभावी सामाजिक क्रियाशीलता को अवरूद्ध करती है के समाधान हेतु सहायता करने से संबंधित था। काल के यथाक्रम

में, यह महसूस किया गया कि सामाजिक जीवन चूँकि व्यावहारिक धरातल पर संचालित होते हैं, उसके तीन पृथक और विचारणीय स्तर व्यक्ति, समूह और धरातल पर संचालित होते हैं, उसके तीन पृथक और विचारणीय स्तर व्यक्ति, समूह और समुदाय थे। वहाँ व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए वैयक्तिक समाज कार्य, समूह के साथ कार्य करने के लिए सामाजिक सामूहिक कार्य और समुदाय के साथ कार्य करने के लिए सामुदायिक संगठन की तीन भिन्न पद्धतियों के विकास द्वारा उनके साथ पृथक रूप से कार्य करने की आवश्यकता थी। काल के यथाक्रम में, इन्हें समाज कार्य की तीन प्राथमिक पद्धतियों के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो गयी। यह भी महसूस किया गया कि इन तीन पद्धतियों के उपयोग के द्वारा समाज कार्य सहायता प्रदान करने के दौरान, हमेशा कुछ सामाजिक सेवाओं/समाज कल्याण सेवाओं का प्रबन्ध करने और प्रमाणिक ज्ञान को संग्रहीत करने की एक आवश्यकता थी, और अन्ततः यह अनुभूति समाज कार्य की दो गौण/सहायक पद्धतियों, जो कि समाज कल्याण प्रशासन और समाज कार्य शोध के नाम से विख्यात हुई, के विकास के साथ चरम बिन्दु पर पहुँच गयी। काल के यथाक्रम में, यह गम्भीर रूप से अनुभव किया गया कि चूँकि मनो–सामाजिक समस्याओं की जड़ें दोषपूर्ण सामाजिक संरचना और व्यवस्था में हैं और इन समस्याओं का सामना करने वाला कोई सेवार्थी अपनी समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व की रक्षा नहीं कर सकता, अतः समाज कार्य के शस्त्रागार में कुछ अस्त्रों को विकसित करने और सम्मिलित करने की आवश्यकता थी जो कि समाज में इच्छित परिवर्तनों को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सके, और इस प्रकार समाज कार्य की एक सहायक/द्वितीयक पद्धति के रूप में सामाजिक क्रिया का उद्‌गमन हुआ।

यह देखते हुए कि सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयाम अविभाज्य है समाज सेवाओं मे अनवरत रूप से शोध कार्य स्थापित किये जा चुके हैं, सामाजिक वास्तविकता को एक एकीकृत समग्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये। परिणाम – स्वरूप, समाज कार्यकर्ता भी इसकी प्राथमिक और द्वितीयक पद्धतियों के पृथक अभ्यास के एकीकरण करने के विषय में विचार करते हैं और आज परिस्थिति विषयक आवश्यकताओं के अनुसार सभी छः पद्धतियों के प्रयोग को सम्मिलित करते हुए समाज कार्य के एकीकृत अभ्यास का विचार अच्छी तरह स्वीकृत है।

समाज कार्य क्या है का समझने के उद्‌देश्य से समय–समय पर दी गयी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को प्रस्तुत करना अनिवार्य प्रतीत होता है।

डॉ. अब्राहम फलेक्सनर (1915) समाज कार्य ''समुदाय में जीवन निर्वाह या कार्य की परिस्थितियों में सुधार हेतु या विपत्ति या तो चरित्र की दुर्बलता के कारण या फिर वाह्य परिस्थितियों के दबाव के कारण, से राहत देने, कम करने या निवारण करने हेतु चिरस्थायी और सुविचारित प्रयास का कोई ढंग है। इस प्रकार के सभी प्रयास दान, शिक्षा या न्याय के प्रमुख विषयों के अन्तर्गत स्थान पाने के रूप में कदाचित समझे जा सकते हैं, और वही कार्य कभी–कभी दृष्टिकोण के अनुसार एक या अन्य के रूप में दृष्टिगोचर हो सकते हैं।''

चेनी (1926) ने समाज कार्य में उन सभी ''स्वैच्छिक प्रयासों को सम्मिलित किया है जिनका उद्‌देश्य उन आवश्यताओं की सन्तुष्टि करना है, जिनका सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धों से है और जो वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करते हैं।''

हेलेन एल. विल्मर (1942:2) ने विचार व्यक्त किया है ''समाज कार्य का प्रमुख कार्य व्यक्तियों को एक संगठित समूह की सेवाओं के उनके द्वारा प्रयोग या एक संगठित समूह

के एक सदस्य के रूप में उनके निष्पादन में उनके द्वारा सामना करने वाली कठिनाइयों के विषय में सहायता प्रदान करना है।''

अर्थर ई. फिंक (1942:2) के अनुसार ''समाज कार्य सेवाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तियों को अकेले या समूहों में, ऐसी वर्तमान या भविष्य में आने वाली सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाओं से निपटने में सहायता प्रदान करता है जो उन्हें समाज में पूरी या प्रभावशाली सहभागिता करने से रोकती हैं।''

हडसन खिन्दुका में उल्लिखित, (1962:4) के अनुसार, समाज कार्य ''एक सेवा का ढंग है जो कि एक ओर, व्यक्ति या परिवार समूह को अस्तित्व के अभियान में अधिक व्यवस्थित रूप से लय प्राप्त करने हेतु, जो पायदान से बाहर है, सहायता देने के लिए और दूसरे जहाँ तक सम्भव हो, उन व्यवधानों को दूर करने, जो दूसरों को जिसके लिए वे समर्थ हैं की श्रेष्ठ प्राप्ति करने से रोकते हैं, के लिए प्रयास करता है।''

जे.पी. ऐण्डरसन (1945) कहते हैं : ''समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसका उद्देश्य लोगों की व्यक्तिगत या समूह रूप में सहायता करना है, जिससे कि वे अपनी विशेष इच्छाओं या योग्यताओं के अनुसार और सामाजिक इच्छाओं और योग्यताओं के अनुरूप सन्तोषजनक सम्बन्ध एवं जीवन स्तर प्राप्त कर सकें।''

हेलेन आई. क्लार्क (1945:16) ने कहा है ''समाज कार्य व्यावसायिक सेवा का एक ढंग है जिसका आधार ज्ञान एवं निपुणताओं के ऐसे मिश्रण पर है जिसका कुछ भाग समाज कार्य का विशेष भाग है और कुछ भाग समाज कार्य का विशेष भाग नहीं है और जो एक और सामाजिक पर्यावरण में आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करने में व्यक्ति की सहायता करने का प्रयाय करता है और दूसरी ओर इस बात का प्रयत्न करता है कि जहाँ तक सम्भव हो उन बाधाओं को दूर किया जा सके जो लोगों को सर्वोत्तम विकास से, जिसके वे योग्य हैं रोकती हैं।''

डब्ल्यू. ए. फ्रीडलेण्डर (1963:4) की राय में, ''समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, जो वैज्ञानिक ज्ञान और मानव सम्बन्धों की निपुणता पर आधारित है। यह व्यक्तियों की अकेले या समूह में सहायता करता है जिससे कि वे सामाजिक एवं व्यक्तिगत संतुष्टि एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें।''

बोएम (1959:54) ने समाज कार्य शिक्षा परिषद् द्वारा प्रायोजित पाठ्यचर्या अध्ययन में विचार व्यक्त किया है कि ''समाप्त कार्य व्यक्तियों की एकल रूप से या समूह में, सामाजिक क्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए ऐसी प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है जिनका सम्बन्ध मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर सम्बन्धी क्रियाओं से है। इन क्रियाओं को तीन कार्यों में विभाजित किया जा सकता है। विकृत क्षमता की पुनः स्थापना, वैयक्तिक एवं सामाजिक साधनों की व्यवस्था तथा सामाजिक अक्रमण्यता का निवारण।''

ऊपर दी गयीं परिभाषाओं का एक अवलोकन स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि समाज कार्य को परिभाषित करना कठिन है परन्तु इसके सेवा से लेकर व्यावसायिक सेवा तक के ऐतिहासिक विकास और सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने हेतु आवश्यकताग्रस्त लोगों की सहायता से इसकी सम्बद्धता को ध्यान में रखते हुए, हम समाज कार्य को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं :

''समाज कार्य एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है–जो आवश्यकताग्रस्त लोगों को उनकी सामाजिक भूमिकाओं को प्रभावपूर्ण रूप से सम्पादित करने और विशेष रूप से व्यक्तित्व और सामाजिक संरचना में आवश्यक परिवर्तनों को लाने के द्वारा एक मुक्त, सुसभ्य और

गौरवशाली ढंग से जीवन निर्वाह करने हेतु उनकी क्षमताओं की अनुकूलम अनुभूति के लिए उन्हें समर्थ करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय और प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कुशलताओं के प्रयोग द्वारा अवैतनिक या वैतनिक रूप से सम्पन्न किया जाता है।''

समाज कार्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसी कि आज ये विद्यमान हैं, विशेष रूप से भारत में जिसके समाज सेवा की महत्वपूर्ण परम्परा रही है, निम्नलिखित प्रकार से हैं।

1) समाज कार्य एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है।

2) यह कार्य उन व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है जो कि इस कार्य को करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है।

3) समाज कार्य के लिए शिक्षा/प्रशिक्षण समाज कार्यकर्ताओं को कुछ विशिष्ट प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कुशलताओं से लैस करता है और उनके बीच एक प्रजातान्त्रिक और मानवीय दृष्टिकोण तथा दिशा का विकास करता है।

4) समाज कार्य जिन समस्याओं के साथ कार्य करता है उनकी प्रकृति और उनके मूल कारणों के अनुसार आवश्यक रणनीति को अपनाता है जो कि एक समस्या का सामना करने वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना में या जिस गैर समतावादी और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का वह भाग है, में विद्यमान हो सकते हैं।

5) समाज कार्य में प्रयुक्त रणनीति समस्या का सामना कर रहे व्यक्ति के व्यक्तित्व संरचना में परिवर्तन को ला सकती है और/या सामाजिक संरचना तथा व्यवस्था में रूपान्तरण को उत्पन्न कर सकती है।

6) समाज कार्य मानवीय और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है, मानवाधिकारों की पूर्ति को सुनिश्चित करता है तथा सामाजिक दायित्वों के अनुपालन का आश्वासन देता है – पारिवारिक सदस्यों, समुदाय में लोगों और कुल मिलाकर समाज के सदस्यों के प्रति दायित्व।

7) समाज कार्यकर्ता अपने द्वारा किये जाने वाले कार्य के लिए या तो उससे जो उन्हें नियुक्त करे अथवा उनसे काम ले या उससे जो उनके कार्य से लाभ प्राप्त करें, क्षतिपूर्ति स्वीकार कर सकते हैं और प्रायः वह स्वीकार करते हैं। कभी–कभी परोपकार सम्बन्धी अनुचिन्तन के गतिमान होने पर कदाचित एक प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता को पूर्ण रूप से एक अवैतनिक तरीके से सेवायें प्रदान करते देखा जा सकता है।

## सामाजिक क्रिया

प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहने के विशुद्ध कर्तव्य परायणता द्वारा और एक सामाजिक प्राणी होने के कारण, सामाजिक क्रिया में भाग लेता है। सामाजिक क्रिया की अवधारणा, प्रायः तीन घटकों के समावेश को कहा जाता है : 1) सामाजिक प्राणी 2) सामाजिक प्रकरण या परिस्थिति, और 3) प्रेरणा।

एक अवधारणा के रूप में यह समाजशास्त्र – समाज के विज्ञान में उत्पन्न हुआ है। क्रिया व्यवहार से भिन्न हो सकती है इस कारण से कि इसमें अभिप्राय या उद्देश्य सम्मिलित होता है। ''समाज शास्त्र में सामाजिक क्रिया को कार्यवाहक लक्ष्यों, अपेक्षाओं और मूल्यों, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधनों, परिस्थिति की प्रकृति तथा उस परिस्थिति के कार्यवाहक

ज्ञान के निर्धारण द्वारा विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट कार्यवाहक के विशेष ढंग से विश्लेषित किया गया है'' (एम्बरकॉम्बी, हिल एवं टर्नर, 1986:14) क्रिया सिद्धांन्त के दो मुख्य प्रकार है। (1) व्याख्यात्मक, प्रत्यद्वावादी। व्याख्यात्मक सिद्धांन्तकार जैसे शुट्ज उस क्रिया का अनुरक्षण करते हैं जिसका अपरिवर्तित रूप से अभिप्राय होता है। प्रत्यक्षवादी जैसे पार्सन, क्रिया को सामाजिक संरचना और समाजीकरण के विशेष ढंग से अन्तर्ग्रस्त द्वारा परिभाषित लक्ष्यों और साधनों के विशेष ढंग से व्याख्या करते हैं।

समाज कार्य में सामाजिक क्रिया, जिसको इसकी सहायक पद्धतियों में से एक माना जाता है वह समाजशास्त्र में इसके अस्तित्व से भिन्न है। सामाजिक क्रिया पर उपलब्ध साहित्य का एक पुनर्विलोकन प्रदर्शित करता है कि सामाजिक क्रिया की अवधारणा पर कोई सर्वसम्मति नहीं है जो कि सामुदायिक संगठन, सामुदायिक कार्य और सामुदायिक क्रिया के साथ प्रायः संभ्रमित है। यह मेरी ई. रिचमण्ड थीं जिन्होंने 1922 में इस शब्द को प्रचार और सामाजिक विधान के माध्यम से जनसाधारण के आन्दोलन के लिएस प्रयुक्त किया। तब से, विभिन्न लेखकों द्वारा इस विषय पर अनेकों परिभाषायें दी गयी हैं। उनमें से कुछ विचारणीय निम्नलिखित प्रकार से हैं।

केनेथ एल. एन. प्रे (1945:348) : सामाजिक क्रिया उन मूलभूत सामाजिक दशाओं और समस्याओं को प्रभावित करने हेतु संचालित एक व्यवस्थित, चेतन प्रयास है जिससे सामाजिक समायोजन और कुसमायोजन की वह समस्यायें उत्पन्न होती है जिनके लिए समाज कार्यकर्ताओ के रूप में हमारी सेवायें संचालित की जाती है।''

एलिजाबेथ विकेन्डन (1956) : ''सामाजिक क्रिया एक ऐसा शब्द है जो उस समाज कल्याण क्रियाकलाप के उप पहलू पर लागू होता है जो उन सामाजिक संस्थाओं और समस्याओं को अनुकूल करने, संशोधन करने या अनुरक्षण करने की ओर निर्देशित होती है जो सामूहिक रूप से सामाजिक पर्यावरण बनाती है। सामाजिक क्रिया सामाजिक पर्यावरण के सतर्क समायोजन से संबंधित होती है जिससे व्यक्तियों की मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकें और उन संबंधों और समायोजनों जो इसकी स्वयं की श्रेष्ठ क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है की सुविधा प्रदान की जा सके।''

अर्थर डनहम (1958:52) : सामाजिक क्रिया को ''सम्भवतः शिक्षा, प्रचार, अनुनय या दबाव के माध्यम से सामाजिक क्रिया करने वाले के द्वारा सामाजिक रूप से इच्छित विश्वस्त उद्देश्यों के पक्ष में वर्तमान सामाजिक व्यवहारों या परिस्थितियों में परिवर्तन लाने या परिवर्तन का प्रतिरोध करने के प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।''

डब्ल्यू. ए. फ्रीडलेण्डर (1963:218) : ''सामाजिक क्रिया समाज कार्य' दर्शन और अभ्यास की रूपरेखा के अन्तर्गत, एक वैयक्तिक, सामूहिक या सामुदायिक प्रयास है जिसका लक्ष्य सामाजिक प्रगति की प्राप्ति, सामाजिक समस्याओं का संशोधन और सामाजिक विधान तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं में सुधार करना है।''

के. के. जेकब (1965:63) ''सामाजिक क्रिया अनिवार्य रूप से वह प्रयास है जिसका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार और बेहतर सामाजिक पर्यावरण के लिए उपयुक्त परिवर्तनों और सुधारों की पहल करना है।''

एम. वी. मूर्ति (1968:217) ''सामाजिक क्रिया समाज कार्य का एक प्रविधि है जो सम्पूर्ण समुदाय या कम से कम इसके सदस्यों के एक बड़े भाग को, मुद्दों की असन्तोषजनक स्थिति के प्रति चेतना और प्रभावी समाधानों की अभिलाषा को उत्पन्न करती है।''

इस प्रकार सामाजिक क्रिया को सम्भवतः समाज कार्य की एक पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत कुछ सम्भ्रान्त व्यक्ति और/या लोगों के

द्वारा स्वयं, व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता के नेतृत्व के अधीन व्यवस्था में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए सचेतन, व्यवस्थित तथा संगठित प्रयास किये जाते हैं जो समस्या समाधान और बुराइयों के उन्मूलन को सुगम बनाते हैं, फलस्वरूप लोगों, विशेषरूप से कमजोर और नष्ट करने योग्य वर्गों जिससे वे अपनी शक्तियों की अनुकूल रूप से अनुभूति कर सकें और समाज की मुख्य धारा के भाग और अंश के रूप में प्रभावपूर्ण रूप से कार्य कर सकें, को समर्थ करने के लिए समाज की परिस्थितियों में सुधार होता है। सामाजिक क्रिया की महत्वपूर्ण विशेषतायें जो कि समाज कार्य में प्रयुक्त होती है। वे इस प्रकार हैं :

1) यह समाज कार्य की एक पद्धति है जो कि अन्य पद्धतियों के घनिष्ट सहयोग के साथ कार्य करती है।

2) इसका लक्ष्य सामाजिक संरचना और व्यवस्था में परिवर्तन लाना है जिससे लोग अपनी अन्तर्निहित एवं सहज क्षमताओं की अनुभूति करने के योग्य हो सकें और समान धरातल पर सामाजिक क्रियाशीलता में भाग ले सकें। सामाजिक क्रिया का मूलभूत लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना तथा अन्याय, दुर्व्यवहार और शोषण को रोकना है।

3) सामाजिक क्रिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है जो कि सम्भवतः सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के प्रति स्वभाव से सुधारात्मक निर्देशित हो सकती है या यह सम्भवः नयी संस्थाओं के सृजन अथवा विद्यमान संस्थाओं को समाज के कुछ निश्चित प्रबंल वर्गों के निहित स्वार्थों द्वारा संकटग्रस्त कर देने पर उनके प्रबलीकरण के प्रति विकासात्मक युक्त हो सकती है।

4) सामाजिक क्रिया की पद्धति आत्मविवेकीकरण, जागरूकता उत्पन्न करने, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने, लोगों के स्वयं के संगठनों के निर्माण करने एवे प्रबलीकरण करने, संवाहक नीतियों के निरूपण करने, सामाजिक रूप से स्वस्थ्य कानूनों का अधिनियमन करने, विद्यमान सामाजिक बुराइयों जो लोगों के इच्छित विकास में बाधा डालती है और सामाजिक प्रगति को अवरूद्ध करती हैं, का उन्मूलन करने के माध्यम से समाज में इच्छित परिवर्तनों में सहायक होने के उपायों का पता लगाती है।

5) सामाजिक क्रिया अपनी मूलभूत प्रकृति से अहिंसात्मक है। निश्चितरूप से, समाज में जिस समय निहित स्वार्थ विद्यमान होते हैं – वह शक्तियां जो कि प्रभुत्व और आधिपत्य का उपयोग करती हैं तथा यथापूर्व स्थिति को कायम रखना चाहती हैं। वे सामाजिक क्रिया एवं संचालन एवं सरकारी संयंत्र में सम्मिलित लोगों की संगठित क्षमता के परिणामस्वरूप विरोध के स्वर का दमन, यहां तक कि हिंसा की विधियों का आश्रय लेते हुए, करने हेतु बेचैन हो जाती है। यद्यपि कुछ लेखकों जैसे बिट्टो 1980 जो सामाजिक क्रिया प्रणाली की संघर्षात्मक प्रकृति का समर्थन करता है सम्भवतः इस कारण से कि यह विशेष सुविधा प्राप्त लोगों और समृद्धों के निहित स्वार्थों तथा सुविधावंचित एवं हताश लोगों के स्वाभाविक हितों के बीच संघर्ष के कुछ प्रकारों को उत्पन्न करती है) तो भी व्यावहारिक धरातल पर ऐसी पद्धतियों और प्रविधियों को अपनाना और उनका अनुसरण करना चाहिये, जो कि हिंसा और रक्तपात को न प्रारम्भ करें।

6) एक पद्धति के रूप में सामाजिक क्रिया इरादा रखती है कि सभी शक्तियां तथा कथित 'अच्छा कार्य करने वालों से दूर हों और यह वास्तविक रूप से ऐसे लोगों जो अभीष्ट हिताधिकारी हैं, को स्थानान्तरित कर दी जानी चाहिये और इसकी प्राप्ति

के उद्देश्य से यह सामाजिक नीतियों, कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों में इच्छित परिवर्तनों के लिए पुर्नप्रक्रिया को ग्रहण करता है।

**बोध प्रश्न III**

**टिप्पणी** : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समाजशास्त्र के अन्तर्गत सामाजिक क्रिया की अवधारणा किस प्रकार समाज कार्य में इसके विद्यमान अस्तित्व से भिन्न है।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 2.5 सारांश

हम समाज कार्य से संबंधित आधारभूत अवधारणाओं और इससे संबंधित विषयों की अपनी प्रस्तावना के अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे–जैसे पाठ्यक्रम आगे बढ़ेगा आप इन अवधारणाओं को बारम्बार प्राप्त करेंगे और आपका ज्ञान अधिक स्पष्ट हो जायेगा। जब आप समाज कार्य की पद्धतियों या शोध के संचालन हेतु क्षेत्र में जायेंगे तो इन अवधारणाओं की अत्यधिक परीक्षा हो जायेगी। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवायें, समाज कल्याण और सामाजिक प्रतिरक्षा मौलिक रूप से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बन्धित हैं। सामाजिक सेवायें समाज को प्रदत्त कोई अनुदान या सहायता से सम्बन्धित होती हैं जो इसके सदस्यों को एक नागरिक के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाती हैं। दूसरे शब्दों में, इसमें समाज के मानवीय संसाधनों को सुधारने के सभी प्रयास सम्मिलित हैं। दूसरे ओर सामाजिक प्रतिरक्षा में समाज द्वारा विचलित व्यवहारों, जो सामाजिक विघटन उत्पन्न कर सकते हैं, के निवारण के सभी प्रयास सम्मिलित हैं।

साामाजिक सेवा प्रोत्साहक है परन्तु इसके विपरीत सामाजिक प्रतिरक्षा, निवारक तथा पुर्नवासनात्मक है। सामाजिक सुरक्षा विभिन्न जोखिमों जैसे बीमारी, अभाव बेरोजगारी और आलस्य से नागरिकों के संरक्षण से सम्बन्धित होती है। समाज कल्याण नागरिकों को उन सेवाओं और वस्तुओं जो नागरिकों को एक उत्पादक और संतोषजनक जीवन के लिए आगे बढ़ने से सहायता करेगा, की व्यवस्था करने के लिए समाज सेवाओं की संगठित व्यवस्था और संस्था है।

हमारे देश में सामाजिक न्याय एक अत्यधिक विचारणीय विषय हैं। स्पष्ट रूप से इस अवधारणा में बहुत से आयाम हैं। मूलरूप से इसका तात्पर्य है कि समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी परिलब्धि को प्राप्त करें, यह एक निष्कपट व्यवहार है। यह उन सभी मूल्यों जो असमानता, हिसा, विशेषाधिकारों के अतिक्रमण इत्यादि का समर्थन करते हैं उनके विरूद्ध होता है। सामाजिक न्याय, सामाजिक नीति का अधिक बड़ा भाग है जिसकी भी चर्चा की जा चुकी है। नीति को एक रूपरेखा के रूप में जिसके अन्तर्गत निश्चित प्रक्रिया को कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु अपनाया जाता है परिभाषित किया जा सकता है।

अन्ततः हमने समाज कार्य के विषय में चर्चा की और इस पर एक संक्षिप्त विचार प्रस्तुत किया। निःसन्देह, बाद में आप समाज कार्य के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यद्यपि समाज कार्य के अन्तर्गत छः पद्धतियाँ हैं, हमने केवल एक पद्धति, सामाजिक क्रिया की चर्चा की और शब्द विभिन्न विषयों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त होता है।

## 2.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

एन्डरसन, जे.पी., (1945), ''सोशल वर्क ऐज ए प्रोफेशन'', इन सोशल वर्क ईयर बुक, रसेल सेज फाण्उडशेन, न्यूयार्क।

ऐलेन, सी.के., (1950), ऐस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस, स्टीवेन्स एण्ड सन्स, लंदन।

बेवेरिज, सर विलियम, (1941), सोशल इन्श्योरेन्स एण्ड एलाइड सर्विसेज–रिपोट प्रेजेन्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेन्ट।

बोएम, डब्ल्यू, एच., (1959), ऑबजेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क करिकुलम ऑफ दि फ्यूचर, काउन्सिल आन सोशल वर्क एजुकेशन, न्यूयार्क।

चेनी, ऐलिस, (1926), नेचर एण्ड स्कोप ऑफ सोशल वर्क अमेरिकन ऐसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क्स, न्यूयार्क।

क्लार्क, हेलेन आई., (1947), प्रिंसिपिल्स एण्ड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, एप्पलेटन सेन्चुरी–क्रॉफ्ट्स, न्यूयार्क।

दासगुप्ता, सुगाता, ''सोशल एक्शन'', इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेल्फेयर, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (सम्पादित), इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, वाल्यूम थ्री, पब्लिकेशन्स डाइमेन्शन्स, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, न्यू डेल्ही।

देशमुख, दुर्गाबाई, (1960), ''प्रीफेस'', दि प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (सम्पादित) सोशल वेल्फेयर इन इण्डिया, दि पब्लिकेशन्स डाइमेन्शन्स, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया।

डायस, आर.डब्ल्यू.एम., (1985), ज्यूरिसप्रूडेन्स, बटरवर्थ, लंदन।

आइडेन, जान एल.एम., (1969), सोशल पॉलिसी इन एक्शन, रूटलेज एण्ड केगन पॉल, लंदन।

फिंक, अर्थर ई., (1942), दि फील्ड ऑफ सोशल वर्क, हेनरी हॉल्ट कं., न्यूयार्क।

फ्लेक्सनर, अब्राहम, (1915), ''इज सोशल वर्क ए प्रोफेशन?'' ऐन स्टडीज इन सोशल वर्क, वाल्यूम–4, न्यूयार्क स्कूल ऑफ फिलेन्थ्रोपी, न्यूयार्क।

फ्रीडलेन्डर, वाल्टर ए., (1963), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल ऑफ इण्डिया (प्रा) लि., न्यू डेल्ही।

गोविन्द, के.बी. (1995), रिफॉर्मेटिव लॉ एण्ड सोशल जस्टिस इन इण्डियन सोसाइटी, रीजेन्सी पब्लिकेशन्स, न्यू डेल्ही।

इण्टरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन, (1942), ऐप्रोचेज़ टू सोशल सिक्योरिटी : ऐन इण्टरनेशनल सर्वे, आई.एल.ओ. जेनेवा।

खिन्दुका, एस. के., (1962), ''दि मीनिंग ऑफ सोशल वर्क'' इन एस. के. खिन्दुका (सम्पादित), सोशल वर्क इन इण्डिया, सर्वोदय साहित्य समाज, जयपुर।

कुभष्णा अय्यर, जस्टिस, वी.आर., (1980), जस्टिस एण्ड बियान्ड, दीप एण्ड दीप, न्यू डेल्ही।

कृभणमूर्थी, एस., (1982), इम्पैक्ट ऑफ सोशल लेजिस्टलेशन ऑन दि क्रिमिनल लॉ ऑफ इण्डिया, आर.आर. पब्लिशर्स, बैंगलोर।

कुलकर्णी, पी.डी., (1979), सोशल पॉलिसी एण्ड सोशल डेवलेपमेन्ट, ऐसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, मद्रास।

कुलकर्णी, पी.डी., (1987), ''सोशल पॉलिसी'' इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेल्फेयर, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (सम्पादित), इनसाक्लोपीडिया ऑु सोशल वर्क इन इण्डिया, वाल्यूक थ्री, पब्लिकेशन्स डिवीजन, गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, न्यू डेल्ही।

मिलर, डेविड, (1976), सोशल जस्टिस, क्लारेन्डन प्रेस, आक्सफोर्ड।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लायमेन्ट एण्ड रिहैबिलिटेशन, (1969), गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट ऑफ दि नेशनल कमीशन ऑन लेबर इन इण्डिया।

पेटिट, पी., (1989), जजिंग जस्टिस–ऐन इन्ट्रोडक्शन टू कन्टेम्पोरेरी पॉलिटिकल फिलॉस्फी, रूटलेज एण्ड केगन पॉल, लन्दन।

सिंह, सुरेन्द्र, (1998), ''सोशल जस्टिस थ्रू रिसर्वेशन,'' जस्टिफिकेशन एण्ड स्ट्रेटेजीज फॉर इन्क्रीजिंग इट्स इफेक्टिवनेस'' इन बर्थवाल सी.पी. (सम्पादित), सोशल जस्टिस इन इण्डिया, भारत बुक डिपो, लखनऊ।

स्किडमोर, रेक्स ए. मिल्टन जी. थैकेरे एवं ओ. विलियम फेयर्ले, इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, प्रेन्टिस हाल, इन्गलवुड चिफ्स, न्यू जर्सी, 1991।

विलेन्स्की, हारोल्ड एल एण्ड चाल्स एन. लेबेआउक्स, इण्डस्ट्रियल सोसाइटी एण्ड सोशल वेल्फेयर, रस्सेल सेज फाउण्डेशन, न्यूयार्क, 1958।

विलेन्सी, हारोल्ड एल, एण्ड चाल्स एन. लेबेआउक्स, कन्सेप्शन ऑफ सोशल वेल्फेयर, इन एम. एन. जाल्ड (सम्पादित), सोशल वेल्फेयर इन्सटिट्यूशन्स–ए सोशियोलॉजिकल रीडर, जॉन विले एण्ड सन्स, न्यूयार्क, 1965।

जास्त्रो, चार्ल्स, इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर इन्सटिट्यूशन्स–सोशल प्रॉब्लेम्स, सर्विसेज एण्ड करेन्ट इश्यूज, दि डॉर्से प्रेस, होमबुड, इल्लिनोइस, 1978।

## 2.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

### बोध प्रश्न I

1) सामाजिक प्रतिरक्षा में बाल अपराध एवं अपराध के निवारण और नियन्त्रण, कारागारों में कल्याण सेवाओं, मुक्त किये गये कैदियों के लिए उत्तरकालीन देखभाल सेवाओं, परीवीक्षा सेवाओं, अनैतिक आचरणों के उन्मूलन, भिक्षावृत्ति के निवारण एवं भिक्षुकों के पुर्नवासन, मादक द्रव्यों के दुरूपयोग एवं मद्य व्यसनता के निवारण एवं नियन्त्रण तथा मादक द्रव्य व्यसनियों तथा मदिरा पान करने वालों के उपचार एवं पुर्नवासन से सम्बन्धित मानक सम्मिलित होते हैं।

### बोध प्रश्न II

1) सामाजिक न्याय के विशिष्ट उद्देश्य हैः

   i) यह सुनिश्चित करना कि 'कानून के नियमों' समाज में प्रचलित हैं।

ii) 'अवसरों की समानता' का आश्वासन प्रदान करना।

iii) कमजोर और नष्ट करने योग्य वर्गो के लिए विशेष अवसरों की व्यस्था करना।

iv) परिणामों की समानता को सुनिश्चितकरना।

v) कमजोर और नष्ट करने योग्य वर्गों के दुव्यर्वहार और शोषणा का निवारण करना।

vi) अल्पसंख्यकों के धर्म और संस्कृति की रक्षा करना और उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था और शान्ति को जोखिम में डाले बिना उसके अनुसरण करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना।

**बोध प्रश्न III**

1) समाजशास्त्र के अन्तर्गत सामाजिक क्रिया एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित होती है जिसमें एक कार्य करने वाला एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति में कार्य विशेष को सम्पन्न करता है। इस कार्य का एक लक्ष्य होता है और स्वयं में एक क्रिया होती है जो कि समाज के प्रतिमानों और मूल्यों, जहाँ यह क्रिया स्थान ग्रहण करती है, द्वारा संचालित होती है। समाज कार्य की एक पद्धति के रूप में सामाजिक क्रिया व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु अन्य लोगों या स्वयं लोगों के नेतृत्व के अधीन किया जाने वाला चेतन, व्यवस्थित तथा संगठित प्रयास है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

# इकाई 3 विदेशों में समाज कार्य का आविर्भाव

## रूपरेखा

* *जोशलीन लोबो*

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 ब्रिटेन में समाज कार्य का इतिहास

3.3 अमरीका में समाज कार्य का इतिहास

3.4 समाज कार्य प्रणालियों का विकास

3.5 व्यावसायिक स्थिति की खोज

3.6 समाज कार्य शिक्षा

3.7 व्यावसायिक संगठनों का उदय

3.8 आधुनिक प्रवृत्तियाँ और व्यवहार

3.9 सारांश

3.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

## 3.0 उद्देश्य

एक व्यावसायिक विद्या विशेष के रूप में समाज कार्य पश्चिम, मुख्यतः यूरोप तथा अमरीका में विकसित हुआ। इस समय अफ्रीका तथा एशिया सहित विश्व के विभिन्न महाद्वीपों एवं देशों में इस व्यवसाय को अभ्यास में लाया जा रहा है। यह इकाई आपको समझने योग्य बनाए कि आप :

- एक व्यावसायिक विद्या विशेष के रूप में समाज कार्य के इतिहास तथा विकास को रेखांकित कर सकें;
- यू.के. तथा यू.एस.ए. में समाज कार्य व्यवसाय की ऐतिहासिक जड़ों को जान सकें;
- उत्तरी अमरीका एवं विश्व के अन्य क्षेत्रों में समाज कार्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण के उदय को रेखांकित कर सकें; और
- व्यावसायिक समाज कार्य की आधुनिक प्रवृत्तियों की एक झलक पा सकें।

## 3.1 प्रस्तावना

समाज कार्य एक व्यावसायिक विद्या विशेष है, तथा इस समय विभिन्न क्षेत्रों तथा बहुत से देशों में इसका अभ्यास किया जा रहा है। समाजकार्यकर्त्ता, आजकल, सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं औद्योगिक क्षेत्रों तथा निजी अभ्यासकर्ताओं के रूप में सेवायोजित हैं। यू.के. एवं यू.एस.ए. में व्यवसाय के रूप में विकसित होने के उपरान्त इसका अब विस्तार यूरोप, लैटिन अमरीका, बहुत से एशिया एवं अफ्रीका के देशों में हो चुका है।

**श्री जोशलीन लोबो, रोशिनी निलाया, बैंगलोर*

व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का उदय बीसवी शताब्दी में हुआ तथा आजकल यह व्यवसाय महाद्वीपों में व्यक्तियों की भलाई एवं जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करने के समाज कल्याण प्रदेश (मैनडेट) को पूर्ण करने से सम्बन्धित है। यह अध्ययन का क्षेत्र है जिसने अपने स्वयं के मूल्यों, ज्ञान एवं कुशलताओं के साथ अन्य विद्याविशेषों, विशेषकर प्राणिशास्त्रीय एवं समाज विज्ञानों से अलग परिप्रेक्ष्यों का प्रदर्शन किया है।

समाज कार्य के दार्शनिक एवं ऐतिहासिक आधार तथा समाज कल्याण इस व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है। आधुनिक समय की अभ्यास की प्रवृत्तियों को समाज कार्य व्यवसाय एवं अभ्यास के इतिहास के सन्दर्भ अच्छी तरह से समझा जा सकता है। समाज कार्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विषय में अभिवृत्तियों, विभिन्न समाज कार्य प्रणालियों के विकास तथाा प्रशिक्षण एवं शिक्षा की प्रकृति जिसका उदय उन व्यक्तियों के लिए हुआ हे जो कि अधिक क्रमबद्ध तरीके से सहायता उपलबध कराने में स्वैच्छिक रूप से आगे आते हैं, के अंतर्गत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अर्तदृष्टि प्रदान करता है।

## 3.2 ब्रिटेन में समाज कार्य का इतिहास

आदिम समाज, जिसे 'लोक समाज' के नाम से सम्बोधित किया जाता है, में बड़े परिवार अथवा जनजातियों ने उन व्यक्तियों की सहायता की जिनकी आवश्यकतायें सामान्य ढंग से पूर्ण नहीं होती थी। माता–पिता की सहायता से वंचित बच्चों को रिश्तेदारों के घरों में रखा गया अथवा इनको सन्तान रहित युगलों द्वारा गोद लिया गया। कालान्तर में, जब सामन्ती व्यवस्था ने मजदूरी पर आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया तो गरीबों द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु विधान पारित किए गए। भीख मांगन वालों पर कोड़े बरसाने, जेल भेजने एवं मृत्युदण्ड देने तक से दण्डित किया जाता था।

### चर्च की भूमिका

यूरोप में, क्रिश्चियन काल के प्रारम्भिक समय में यह लोक परम्परा जारी रही एवं यह विश्वास किया गया कि समूह के जो सदस्य अपनी देख–भाल स्वयं नहीं कर सकते हैं, उनकी देखभाल करना धार्मिक जिम्मेदारी है। धर्म ने दान के लिए महानतम संप्रेरणा प्रदान की। चर्च, विशेष रूप से मठ, भोजन, चिकित्सकीय सहायता तथा आश्रय देने के केन्द्र बन गए। पादरी के प्रदेश में भीख का संकलन किया जाता था तथा व्यक्तियों एवं उनकी परिस्थितियों से अवगत प्रदेश के पादरी तथा अन्य पादरियों द्वारा इसको बांटा जाता था।

### कल्याण का राज्य उत्तरदायित्व के रूप में हो जाना

सहायता के लिए चर्च उत्तरदायित्व से सरकारी उत्तरदायित्व की ओर बदलाव भीख मांगने तथा आवारागर्दी के मना करने के निरोधात्मक विधान में पहली बार देखने को मिला। इंग्लैण्ड मं 1350 एवं 1530 के मध्य गरीबों को कार्य करने हेतु बाध्य करने के लिए ''श्रमिकों के नियमों'' के नाम से विधानों की एक श्रृंखला पारित की गई। चर्च के घटते हुए अधिकार तथा सरकारी अधिकारियों के उत्तरदाायित्व देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से इंग्लैण्ड में उपायों की एक श्रृंखला का उदय हुआ जो 1601 के प्रसिद्ध इलिज़ावेथन पुअर ला के रूप में सामने आया।

### एलिजाबेथन पुअर ला 1601

1601 के पुअर ला पहले के गरीबों हेतु सहायता उपलब्ध कराने के विधान संहिताकरण है। इस अधिनियम ने सरकारी क्रिया की आवश्यकता वाले राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिवर्तनों की तीन पीढ़ियों के बाद इंग्लैण्ड में गरीबों की सहायता हेतु विधान के अन्तिम स्वरूप का प्रतिनिधित्व किया।

इस कानून में गरीबों को तीन वर्गों में बाँटा गया :

1) शारीरिक रूप से सक्षम गरीब जिन्हें 'ह्रस्टपुष्ट' भिखारियों की संज्ञा दी गई। इन्हें सुधारगुहों अथवा कार्यगृहों में कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। जो सुधार गृहों में कार्य करने से मना करते थें उन्हें पशुओं के बाड़ों अवथा जेलों में रखा जाता था।

2) अक्षम गरीब जो कार्य करने के योग्य नहीं थे, इनमें बीमार वृद्ध, नेत्रहीन, बधिर–गूंगे, लंगड़े पागल एवं नवजात शिशुओं वाली माताओं को रखा गया। इन्हें भिक्षा गृहों में रखा गया जो वहाँ पर अपनी क्षमताओं की सीमाओं के अनुरूप सहायता करते थे। अगर उनके पास रहने का स्थान उपलब्ध था तो उन्हें खाने, कपड़े एवं ईधन के रूप में बाहरी सहायता दी जाती थी।

3) आश्रित बच्चे वे बच्चे थे जो कि अनाथ थे तथा इनमें वे बच्चे भी सम्मिलित किए गए जिनके माता–पिता ने उन्हें त्याग दिया था अथवा माता–पिता इतने गरीब थे कि वे उनका लालन–पालन नहीं कर सकते थे। घरेलू अथवा अन्य कार्य करने योग्य आठ वर्ष एवं इससे अधिक आयु के बच्चों को शहर के व्यक्तियों को संविदा पर दिया जाता था।

1601 के पुअर ला ने ग्रेट ब्रिटेन के लिए 300 वर्षों हेतु सरकारी उत्तरायित्व के अंतर्गत सार्वजनिक सहायता सहायता के प्रतिमाना को निर्धारित किया। इसने इस सिद्धान्त की स्थापना की कि पादरी के प्रदेश के नाम से जाने वाला स्थानीय समुदाय के अपने निवासियों के लिए गरीबों की सहायता को संगठित करना तथा इसके लिए वित्तीय व्यवस्था करनी थी। गरीबों को देखने वाले पादरी प्रदेश पुअर ला को क्रियान्वित करते थे। उनका यह कार्य था कि वे गरीब व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराने के लिए उससे आवेदन पत्र प्राप्त करें, उसकी दशा के बारे में पता लगावें एवं इस बात का निर्णय करें कि वह सहायता प्राप्त करने के लिए अर्ह है कि नहीं।

### एलिजाबेथन पुअर ला का प्रभाव

यद्यपि योरोप में समान प्रकार की गई सुधार योजनाओं की वकालत की गई, परन्तु 1601 के पुअर ला जिसे कभी–कभी 43 एलिजाबेथ भी कहा जाता है, ने सार्वजनिक कल्याण एवं समाज कार्य के विकास को अत्यधिक रूप से प्रभावित किया है। इंग्लिश पुअर लॉ में ऐसे कई सिद्धान्त है जिन्होंने बाद के चार दशकों के कल्याण सम्बन्धी विधान पर अपना प्रभुत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

1) सहायता के लिए राज्य के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को सार्वभौमिक रूप से अंगीकृत किया गया तथा इस पर कभी भी गम्भीर रूप से प्रश्न नहीं उठाया गया। इसका तालमेल प्रजातांत्रिक दर्शन तथा चर्चा एवं राज्य को अलग करने के सिद्धान्त से रहा है।

2) पुअर ला में कल्याण के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन 1388 से ही है जिसकी संरचना आवारागर्दी को कम करने के लिए की गई थी। इसमें यह व्यवस्था की गई कि 'हस्टपुष्ट भिखारी' अपने जन्म स्थान पर लौटकर सहायता प्राप्त करेंगे।

3) अर्ह गरीब व्यक्तियों के विरूद्ध अनर्ह गरीब व्यक्ति, बच्चे वृद्ध एवं बीमार जैसी श्रेणियों के अनुसार व्यक्तियों को विभेदीकृत निदान को उपलब्ध कराने को तृतीय सिद्धान्त में रखा गया है। यह सिद्धान्त इस बात पर आधारित है कि कुछ तरह के भाग्यहीन व्यक्ति अन्य प्रकार के व्यक्तियों की तुलना में समुदाय पर अपना अधिक दावा रखते हैं।

4) पुअर ला ने इस बात का भी वर्णन किया कि आश्रितों की सहायत करना परिवार का उत्तरदायित्व है। बच्चे, पौत्र, माता–पिता, पौत्र माता–पिता को वैधानिक दायित्व वाले संबंधी बताया गया।

एलिजाबेथन पुअर ला, पारित होने के समय से ही महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील रहा है। यह इंग्लिश एवं अमरीका दोनों के सार्वजनिक कल्याण का आधार रहा है।

## पुअर ला संशोधन : 1834–1909

1834 में संसदीय आयोग ने एजिलाबेथन तथा बाद के एलिजाबेथन पुअर लॉज़ के संशोधन करने के उद्देश्य से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित सिद्धान्तों को वर्णित करते हुए विधान का निर्माण किया गयाः

क) कम से कम अर्हता का सिद्धान्त

ख) कार्यगृह परीक्षण का पुर्नस्थापन

ग) नियन्त्रण का केन्द्रीकरण

कम से कम अर्हता के सिद्धान्त का अर्थ था कि कंगालों की दशा किसी स्थिति में इतनी अर्ह नहीं होनी चाहिए जितनी निचले वर्ग की दशा जो कि अपने उद्यम द्वारा अपना जीवनयापन करते हैं। अन्य शब्दों में, सहायता प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति धनी नहीं होना चाहिए। द्वितीय सिद्धान्त के अनुसार, शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति सार्वजनिक कार्यगृहों में सहायता के लिए आवेदन दे सकते थे, परन्तु कार्यगृहों में रहने तथा इनके किराये को स्वीकृत करने से मना करने के कारण किसी भी सहायता को प्राप्त करने के लिए उन्हें रोक दिया गया। बाहरी सहायता को पूर्ण रूपेण न्यूनतम कर दिया गया। तृतीय सिद्धान्त के आधार पर, तीन पुअर ला आयुक्तों को केन्द्रीय प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया कि वे पूरे देश में पुअर ला सेवाओं को एकत्रित कर एवं इन्हें समन्वित करें। पादरी के प्रदेशों को अब प्रशासकीय इकाइयों के रूप में नहीं रखा गया।

1834 एवं 1909 के मध्य पुअर ला विधान में अनेक परिवर्तन किए गए जिसका संयुक्त प्रभाव यह पड़ा कि पूर्णव्यवस्था 1834 के सिद्धान्तों से दूर हट गई। कुछ सुविधा वंचित समूहों की विशेषीकृत देखभाल को विकसित करने की शुरूआत महत्वपूर्ण परिवर्तनों में एक परिवर्तन था। उदाहरणार्थ आश्रित बच्चों के लिए जिला विद्यालयों एवं पोषण गृहों की सेवायें उपलब्ध करायी गयी तथा पागल एवं कम दिमाग वालों के लिए विशेषीकृत संस्थाओं को प्रारम्भ किया गया।

1909 पुअर ला प्रतिवेदन में पुअर लाज के प्रति अधिक सकारात्मक अभिगम को देखा जा सकता है। इस प्रतिवेदन में दबाव की अपेक्षा निरोगात्मक निदान एवं पुर्नवासन पर बल दिया गया तथा कुछ चयनित कार्यगृह परीक्षण के स्थान पर सभी के लिए प्रावधान किया गया। 1834 के सिद्धान्तों ने यदि 'दबाव के ढाँचों' का प्रतिस्थापन करते थे तो 1909 के सिद्धान्तों ने 'निरोध के ढाँचे' का प्रतिस्थापन किया।

## बेवरिज़ प्रतिवेदन

1942 में सामाजिक बीमा तथा संबंधित सेवाओं पर अन्तर्विभागीय समिति के अध्यक्ष सर विलियम बेवरिज़ ने समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में चार सिद्धान्तों पर बल दिया गया :

1) प्रत्येक नागरिक को आच्छादित किया जाना।

2) बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, वैधत्व, मातृत्व इत्यादि, जैसी मुख्य बातें जोकि कमाने वाली शक्ति में ह्रास करती हैं, को एक ही प्रकार के बीमा में सम्मिलित किया गया।

3) योगदान देने वाले की आय के बावजूद एक निश्चित दर पर योगदान का भुगतान किया जाए।

4) आय की मात्रा के बावजूद जो व्यक्ति लाभ लेने के अर्ह हैं उन्हें एक निश्चित दर पर अधिकार के रूप में लाभ का भुगतान किया जाए।

बेवरित ने इस बात पर बल दिया कि उनकी योजना के अंतर्गत सामाजिक दर्शन ब्रिटिश नागरिकों को आवश्यकता एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध संरक्षण उपलब्ध कराना है। प्रत्येक व्यक्ति लाभों के अर्ह हैं जिसमें मातृत्व बीमारी, बेरोजगारी, औद्योगिक चोट, सेवानिवृत्ति एवं विधवाओं को सहायता देना सम्मिलित है। पारिवारिक भत्ते, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवायें एवं राष्ट्रीय सहायता इससे संबंधित सेवायें है।

इंग्लिश पुअर ला इतिहास – 1601, 1837, 1909 एवं 1942 में 1942 का बेवरिज प्रतिवेदन एक बहुत ही प्रतिष्ठित अभिलेख है। यह प्रतिवेदन यू.के. के लिए आधुनिक समाज कल्याण का आधार बन गया।

## परोपकार संगठन समाज (चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी–कास) आन्दोलन तथा सेटेलमेण्ट हाउस आन्दोलन का प्रारम्भ

इंग्लैण्ड में, लन्दन में अन्तर्गत कई वर्षों में समाज सेवाओं के मध्य प्रतिस्पर्द्धा एवं परस्पर व्यापी होने की समस्या के कारण सार्वजनिक रूप से जागरूक नागरिकों के एक समूह ने 1869 में लन्दन चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी (कास) का गठन किया जिसके संस्थापक आक्टिवहिल एवं सैम्युअल बारनेट नामक दो व्यक्ति थे। अपने आवासीय सुधारक के रूप में आक्टिवाहिल द्वारा मलिन बस्ती की आवासीय स्थिति को सुधारने के ढंग के रूप में ''मित्रतापूर्वक किराया संग्रहीत करने'' की व्यवस्था को लागू किया गया।

साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से आक्टिवाहिल ने स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को अपनी क्रियाएं सम्पन्न करने के संबंध में अनुगमन करने के उद्देश्य से कुछ सिद्धान्त एवं कानून बतायें एवं ''कार्यकर्ताओं के अनुगमन हेतु कुछ अक्षर/पत्र'' दिए। उसने इस बात पर बल दिया कि 'प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक स्थिति' वैयक्तीकृत है। प्रत्येक का इलाज उसकी एकातंता एवं स्वतन्त्रता के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। उसने अपने कार्यकर्ताओं को यह सलाह दी कि किरायेदारों के विषय में उन्हें निर्णय उनके व्यक्तिगत मानकों पर नहीं लेना चाहिए। वह अपने सबसे अधिक निम्नस्तरीय किरायेदार के भी सम्मान के मूल्य में विश्वास रखती थी।

सैम्मुअल अगस्तस वारनेट प्रथम सेटेलमेण्ट हाउस टोयन्वी हाल के संस्थापक थे, जिसमें हवाइट चैपल की मलिन बस्तियों में रहने की दशाओं में सुधार हेतु एक प्रयास करने के लिए धनी आक्सफोर्ड के विद्यार्थियों ने निवास किया। इसका मूल विचार था कि आपसी लाभ के लिए शिक्षित व्यक्तियों को गरीब व्यक्तों के सम्पर्क में लाया जाए। क्रिश्चियन समाजवादियों ने भी यह महसू किया कि केवल दान के वितरण से ही समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। गरीबी एवं अर्द्ध विकास की स्थिति को अच्छी तरह से समझने के लिए, गरीब व्यक्तियों के साथ रहना एवं उनकी समस्याओं को सुनने आवश्यक है।

इंग्लैण्ड में शुरूआत को रेखांकित करने के पश्चात् अब हम संयुक्त राज्य अमरीका में समाजकार्य व्यवसाय की अभिवृद्धि एवं विचार को देखेंगे।

**टिप्पणी** : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) बेवरिज समिति की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

## 3.3 अमरीका में समाज कार्य का इतिहास

इंग्लिश पुअर ला एवं इससे संबंधित किए गए कार्यों ने सहायता देने की अमरीकी व्यवस्था को विकसित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार की। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य एवं इसके पहले इंग्लैण्ड की बस्तियों से आने वाले व्यक्ति अपने साथ अंग्रेजी विधान, प्रथाएं, संस्थाएं एवं विचार लाए और उन्हें अमरीका में प्रतिस्थापित किया।

### तीन सामाजिक आन्दोलन

गत उन्नीसवीं शताब्दी की आधी अवधि के दौरान, संयुक्त राज्य अमरीका ने औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं प्रब्रजन की तीव्रगति तथा जनसंख्या की अत्यधिक अभिवृद्धि के कारण सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होना महसूस किया। इन समस्याओं के प्रत्युत्तर में, तीन सामाजिक आन्दोलनों की शुरूआत की गई जोकि समाज कार्य व्यवसाय को विकसित करने के लिए आधार बनें

1) परोपकार संगठन समितियों (चैरिओ आर्गनाइजेशन सोसाइटीज़) का आन्दोलन जिसका प्रारम्भ न्यूयार्क के बफैलों में 1877 में हुआ।

2) सेटेलमण्ट हाउस आन्दोलन जिसका प्रारम्भ न्यूयार्क में 1886 में हुआ।

3) बाल कल्याण आन्दोलन, जोकि ढीले तरीके से किए गए अनेक कार्यों का परिणाम था। इन कार्यों में विशेषरूप से न्यूयार्क शहर में 1853 की चिल्ड्रेन ऐड सोसाइटी एवं 1875 की सोसाइटी फॉर दि प्रिवेन्शन ऑफ क्रुअल्टी टु चिल्ड्रेन का उल्लेख किया जा सकता हैं।

अब इन आन्दोलनों की अधिक विस्तार में चर्चा की जाएगी क्योंकि भविष्य के कार्यों पर ही आन्दोलन बनते हैं।

### परोपकार संगठन समिति (चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी) आन्दोलन

सेटेलमेण्ट हाउस आन्दोलन तथा बाल कल्याण आन्दोलन ने समाज कार्य व्यवसाय को विकसित करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिए, परन्तु इस व्यवसाय के उद्‌गम को परोपकार संगठन समिति (चैरिटी आर्गलनाइजेशन सोसाइटी) आन्दोलन में पाया गया। एक इंग्लिश पादरी एस. हम्फ्रीज गुरटीन द्वारा लन्दन के परोपकार संगठन से प्रभावित होकर 1877 में संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूयार्क के बफैलो में पहली दान संगठन समिति का गठन किया गया। बफोलो की इस परोपकार संगठन समिति ने इसी तरह के

संगठनों को विकसित करने के आदर्श के रूप में कार्य किया। इसके परिणाम स्वरूप, 15 वर्षों के अंतर्गत 92 अमरीकी शहरों में परोपकार संगठन समिति संस्थाओं का गठन हुआ।

मानव आवश्यकताओं की समस्याओं के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण की शुरूआत को परोपकार संगठन समिति आन्दोलन में देखा जा सकता है। परोपकार संगठन समिति द्वारा अंगीकृत ''वैज्ञानिक परोपकार'' प्रवृत्ति ने उन्हें इस योग्य बनाया कि वे गरीबों को केवल सहायता ही उपलब्ध न कराकर बल्कि गरीबी एवं पारिवारिक विघटन को समझें एवं इनका इलाज करें। परोपकार संगठन समाज कल्याण पर विज्ञान उसी प्रकार से लागू करना चाहते थे जिस प्रकार से चिकित्सा एवं अभियंत्रण पर इसे लागू किया गया।

परोपकार संगठन समिति के नेताओं द्वारा यह प्रयास किया गया कि अस्त व्यस्त दान को जाँच, समन्वय एवं व्यक्तिगत सेवा पर बल देने वाली विवेकपूर्ण व्यवस्था के रूप में बदला जाए। प्रत्येक केस के बारे में व्यक्तिगत रूप से विचार करना था, इसकी गहराई से जाँच की जानी थी इस इसे 'मित्र अभ्यागत' को दे देना था। मित्र अभ्यागतों द्वारा व्यक्तिगत गुणों जैसे सहानुभूति, निपुणता, धैर्य तथा बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह से युक्त प्रविधियों का प्रयोग किया जाता था। परोपकार संगठन समिति के 'मित्र अभ्यागत' जिसमें अधिकतर महिलाएँ थी, आजकल के समाजकार्य कर्ताओं के यथार्थ रूप में अग्रगामी हैं।

इसके अतिरिक्त, परोपकार संगठन समिति आन्दोलन द्वारा आज की परिवार सेवा संस्थाओं, परिवार वैयक्तिक सेवा कार्य के अभ्यास, परिवार सलाह, समाज के विद्यालयों, सेवायोजन सेवाओं, विधिक सहायता एवं अन्य अनेक कार्यक्रमों जोकि आज के समाज कार्य के अभिन्न अंग है, के विकास को पोषित किया गया।

इसके अतिरिक्त, इन योगदानों में 'चैरिटीज रिव्यू' नामक प्रथम समाजकर्ता प्रकाशन को सूचीबद्ध किया जा सकता हैं इसको 1907 में 'सर्वे' में मिला दिया गया तथा इस प्रकाशन को 1852 तक चलाया गया।

## सेटलमेण्ट हाउस आन्दोलन

अमरीका की समाज सेवाओं के अन्तर्गत् दूसरा महत्पूर्ण विकास सेटेलमेण्ट हाउस का था। अठारह सौ के आखिर में संयुक्त राज्य अमरीका सेटेलमेण्ट हाउसेज को स्थापित करने की शुरूआत की गई तथा इग्लैण्ड में सैम्युअल वारनेट द्वारा 1884 में स्थापित टयान्वी हाल की स्थापना के उपरान्त ये आदर्श रूप में सामने आए। देश के कई शहरों में अनेक सेटेलमेण्ट हाउस स्थापित किए गए जिनमें 1889 में जेन एडम्स एवं एलेन गेट्स स्टार द्वारा प्रारम्भ किया गया चिकागो हल हाउस सम्मिलित है।

सामाजिक वकालत एवं समाज सेवाओं से युक्त सेटेलमेण्ट हाउस आन्दोलन अत्यधिक औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं प्रवजन के परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक विघटन के प्रत्युत्तर में था। समूह कार्य एवं पड़ोस को संगठित करने की रणनीतियों द्वारा सेटेलमेण्ट हाउस कार्यकर्ताओं द्वारा पड़ोसी केन्द्रों को स्थापित किया गया तथा दिवा संरक्षण जैसी सेवाएँ उपलब्ध करायी गयीं।

सेटेलमेण्ट हाउस कार्यकर्ता धनी परिवारों के युवा एवं आदर्शों से युक्त महाविद्यालयों के स्नातक थे जो गरीबों के मध्य रहते थे। इस प्रकार से वे कठोर वास्तविकताओं को महसूस करते थे। अधिकांशतः वे स्वैच्छिक कार्यकर्ता एवं सामुदायिक नेता थे तथा समाज कार्य व्यवसायिकों के रूप में सेवायोजित नहीं थे।

सेटेलमेण्ट हाउस के नेताओं का यह विश्वास था कि पड़ोस को परिवर्तित करके वे समुदाय की दशाओं में सुधार ला सकते हैं तथा समुदायों में परिवर्तन लाकर अच्छे समाज

को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार से समूह कार्य, सामाजिक क्रिया एवं सामुदायिक संगठन नामक समाजकार्य ढंगों के बीच सेटेलमेण्ट हाउस आन्दोलन में बोये गए।

### बाल कल्याण आन्दोलन

न्यूयार्क शहर में प्रारम्भ की गई चिल्ड्रेन्स ऐड सोसाइटी (1853) तथा सोसाइटी फॉर दि प्रिवेन्शन ऑफ क्रुअल्टी टु चिल्ड्रेन (1875) ने बाल कल्याण आन्दोलन के मूलभूत तत्व के रूप में थी। परन्तु, बाल कल्याण आन्दोलन की शुरूआत को 1 729 से देखा जा सकता है जबकि भारतीयों द्वारा मारे गये माता–पिताओं के बच्चों के लिए न्यू ओरलीन्स में उर्सलीन बहनों द्वारा एक संस्था की स्थापना की।

बाल कल्याण संस्थायें सीमित उद्देश्य रखती है। वे मूलभूत रूप से अनौचित्यपूर्ण घरों अथवा गलियों से बच्चों को लाने तथा उन्हें अपना जीवन बिताने के लिए पूरी सुविधायें उपलब्ध कराने से संबंधित होती है। एक बार जब उनके लक्ष्यों की पूर्ति हो जाती है तो ये संस्थायें यह समझती है कि उनका कार्य पूर्ण हो गया है।

## 3.4 समाज कार्य प्रणालियों का विकास

आधुनिक समाज कार्य जिन अनेक मूलभूत सिद्धान्तों तथा ढंगों पर आधारित है, वे अधिकतर उपरिलिखित समितियों एवं आन्दोलनों की प्रत्यक्ष शाखाएं हैं। केस अभिलेखों को सावधानी पूर्वक रखना, एक व्यक्ति के रूप में सेवार्थी का आदर करना समस्याओं के प्रति पुनर्वास अभिगम रखना, व्यवहार की सीधे निन्दा न करने के स्थान पर कारणों का विश्लेषण करना – ऐसे सभी मूलभूत सिद्धान्त हैं जिनके अंतर्गत दान संगठन समितियाँ कार्य करती रही हैं।

आगे की इकाइयों में वैयक्तिक सेवा कार्य, सामूहिक सेवाकार्य एवं सामुदायिक संगठन नामक समाज कार्य ढंगों का वर्णन किया जाएगा। फिर भी, इनके विकास का संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है :

### सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य

समाज कार्य ढंगों में सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य पहला ढंग है तथा सब ढंगों की अपेक्षा इस ढंग का अध्ययन बहुत अधिक किया गया है।

इस ढंग का विकास अधिकतर स्वैच्छिक संस्थाओं में हुआ जिनकी स्थापना दान संगठन समिति आन्दोलन के प्रारम्भ के पश्चात् हुई थी। सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य इन संस्थाओं में कार्यरत कार्यकर्ताओं के संचयित एवं सूचीबद्ध अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है।

मेरी रिचमण्ड द्वारा सर्वप्रथम 'सोशल डाइग्नोसिस' (1917) तथा 'ह्वाट इज सोशल केश वर्क?' (1922) में सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य अथवा व्यक्तियों के साथ समाजकार्य के नियमों, सिद्धान्तों एवं ढंगों की पहचान की गई। रिचमण्ड के अनुसार सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य चार प्रक्रियाओं से युक्त होता है; व्यक्ति के अंतर्गत अर्न्तदृष्टि, सामाजिक वातावरण में अर्न्तदृष्टि, मस्तिष्क के मस्तिष्क से संबंधित प्रत्यक्ष क्रिया तथा सामाजिक वातावरण के द्वारा अप्रत्यक्ष क्रिया। (लूबो : 1965)।

रोगी के रहने की दशाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से 1905 में चिकित्सीय समाजकार्य की स्थापना डा. रिचर्ड सी. केबट के प्रयोजकत्व में मैसाचुसेट्स सामान्य अस्पताल में की गई।

इसके बाद के वर्षों में, कम गम्भीर समस्याओं से युक्त व्यक्तियों की समस्याओं से निपटने हेतु सामाजिक संस्थाओं द्वारा फ्रायडवादी अवधारणाओं को धीरे–धीरे अंगीकृत किया गया। समाज कार्यकर्ताओं ने मनोवैज्ञानिक शोधों से प्राप्त अर्न्तदृष्टियों को उन्मुक्त रूप से स्वीकार किया। ये सभी अवधारणाओं जैसे कि मानव व्यवहार के अचेतन कारकों का महत्व प्रारम्भिक जीवन के निर्माण के वर्षों का बाद के जीवन के लिए प्रामाणिक महत्व, द्वैधवृत्ति (एक ही समय में दो विरोधी संवेगों की भावना) के परिणाम वैयक्तिक सेवा कार्य के लिए अधिक कार्यात्मक एवं लाभकारी सिद्ध हुई। नवीन रूप से विकसित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों एवं बुद्धिलब्धि के व्यापक प्रयोग ने मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में समाज कार्य की अभिरुचि को पुर्नस्थापित किया।

### समूह कार्य एवं सामुदायिक संगठन

सामाजिक सामूहिक कार्य एवं सामुदायिक संगठन के विधि तंत्रों को 1940 एवं 1950 के दशकों में हस्तक्षेपों के रूप में औपचारिक स्वीकृति एवं पहचान मिली। समूह कार्य जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक साधन के रूप में छोटे समूह की अतःक्रिया का उपयोग करता है तथा सामुदायिक संगठन जोकि बड़े समूहों एवं संगठनात्मक इकाइयों में परिवर्तन करने पर बल देने से संबंधित है, दोनो व्यवहार परिवर्तन के स्थिति संबंधी सन्दर्भ पर बल देते हैं।

स्वैच्छिक मनोरंजनात्मक संस्थाओं तथा सेटेलमेण्ट हाउसेज ने व्यावसायिक समूह कार्य के विकास का प्रारम्भ किया। अमरीका की सामुदायिक चेस्ट्स एवं परिषद्, अब अमरीका की संयुक्त सामुदायिक कोष एवं परिषदें, 1918 में स्थापित की गई जिन्हें अब सामुदायिक संगठन के नाम से जाना जाता है।

समूह कार्य एवं सामुदायिक संगठन को स्वीकृत समाजकार्य ढंगों से सम्मिलित करने से समाजकार्य व्यवसाय का महत्वपूर्ण रूपान्तर हुआ है। पूर्व में समाजकार्य को वैयक्तिक कार्य के पर्याय के रूप में लिया जाता था। समाज कार्य की आवश्यकताओं की कुशलतायुक्त प्रत्युत्तर देने के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित हुई।

### सामान्य प्रतिरूप (माडल)

समाज कार्य अभ्यास का निर्माण करने वाले वैयक्तिक कार्य, समूह कार्य एवं सामुदायिक संगठन के तीनों ढ़ंगों को एकीकृत करने की व्यावसायिक इच्छा ने समाज कार्य अभ्यास के सामान्य आधार को विकसित करने की दिशा में प्रयास किए गए। हालिस–टेलर प्रतिवेदन (1951) के प्रकाश के उपरान्त बहु–ढंगीय अभिगम अथवा संयुक्त अभ्यास को लोकप्रिय बनाया गया।

1970 एवं 1980 के दशकों में अभ्यास की सामान्य अवधारणा की पहचान की गई एवं स्वीकृति दी गई। समाज कार्य अभ्यास की तीन ढंगों वाली अवधारणा को एकीकृत कर सामान्य ढ़ाचे में परिवर्तित करने हेतु अनेक प्रतिरूपों (माडलों) को निर्मित किया गया।

## 3.5 व्यावसायिक स्थिति की खोज

1890 के दशक तक परोपकार संगठन समिति के कार्मिकों में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई तथा उनमें यह महती इच्छा जागृत हुई कि समाज कार्य को एक व्यावसायिक स्थिति प्रदान की जाए। इस व्यावसायिकता के प्रति इच्छा जागृत होने के लिए कई कारण उत्तरदायी थेः

1) प्रथम, उस समय के दौरान व्यावसायिकता के प्रति मुख्य झुकाव था। चिकित्सा एवं अभियन्त्रण ने आश्चर्यों का प्रदर्शन किया। यह तभी संभव हो पाया जबकि एक व्यवसाय के माध्यम से व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु विज्ञान का प्रयोग किया गया।

2) द्वितीय, परोपकार संगठन समिति के अधिकांश कार्यकर्ता वैयक्तिक कार्यकर्ता थे जिन्हें अपने जीवन यापन हेतु धन अर्जन की आवश्यकता थी तथा वे अपने कार्य को एक वांछित कार्य एवं अच्छी मजदूरी देने वाले कार्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे।

3) तृतीय, महिलाओं का एक नया वर्ग, जो शिक्षित तथा घर के बाहर अपनी जीवन वृत्ति चलाना चाहता था, का उदय हुआ। परोपकार को एक पूर्ण व्यवसाय में विकसित करने में उनके लिंग के कारण उन पर रोक न लगायी जाए, एक बेहतर रणनीति थी।

4) चतुर्थ, भुगतान प्राप्त करने वाले परोपकार कार्यकर्ता तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ता उनके द्वारा किए जा रहे कार्य में अत्यन्त जटिलता महसूस कर रहे थे। व्यक्तियों को परिवारिक टूटन एवं गरीबी जैसी समस्याओं में सहायता करना एक जटिल कार्य था जैसे कि चिकित्सकों एवं अधिवक्ताओं का कार्य होता है। इसलिए इनको किसी प्रकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई।

इन उपरिलिखित कारणों के कारण 1890 के दशक तक परोपकार करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्रों की स्थापना करने के शक्तिशाली आन्दोलन का विकास हुआ।

## व्यावसायिक स्थिति पर फ्लेक्सनर के विचार

यह प्रश्न कि समाज कार्य वास्तव में एक व्यवसाय है, समाज कार्यकर्ताओं को करीब एक शताब्दी से चुनौती बना हुआ है। समाजकार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन 1915 में अब्राहम फ्लेक्सनर ने किया था एवं उनका निष्कर्ष तभी से समाज कार्यकर्ताओं के मध्य गूंजता रहा है।

दान एवं सुधार (चैरिटीज एवं करेशन) पर बाल्टीमोर सभा की 1915 में हुई बैठक में फ्लेक्सनर द्वारा 'क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है?' विषय पर दिया गया भाषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। फ्लेक्सनर जोकि व्यावसायिक शिक्षा के एक उल्लेखनीय विशेषज्ञ थे, ने छह गुणों का उल्लेख किया जिन्हें उन्होंने एक व्यवसाय की पहचान करने के अंग की संज्ञा दी। फ्लेक्सनर के अनुसार–

''व्यवसाय बड़ी मात्रा में वैयक्तिक उत्तरदायित्व के साथ बौद्धिक क्रियाओं से आवश्यक रूप से सम्बद्ध होते हैं, विज्ञान एवं सीखने से कच्ची सामग्री पाते हैं, इस सामग्री का वे व्यावहारिक एवं निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य में लाते हैं, एक शैक्षणिक संक्रामक प्रविधि को रखते हैं, स्वयं को संगठित करते हैं एवं संप्रेरणा में बढ़ते हुए परोपकारी बनते हैं।''

1915 में फ्लेक्सनर ने निष्कर्ष निकाला कि समाज कार्य निम्नलिखित कारणों से अभी तक व्यवसाय नहीं था :

1) क्योंकि समाज कार्य ने अन्य व्यवसायों के मध्य मध्यस्थता की इसके पास एक सही मायने में व्यवसाय की शक्ति का उत्तरदायित्व नहीं था।

2) जबकि समाज कार्य अपने ज्ञान का समूह, तथ्यों एवं विचारों को प्रयोगशाला एवं संगोष्ठियों दोनों से प्राप्त करता है, फिर भी यह उद्देश्यपूर्ण संगठित शैक्षणिक विद्या विशेष पर आधारित नहीं था।

3) यह एक व्यवसाय के लिए आवश्यक विशेषीकृत क्षमता की उच्च मात्रा से युक्त नहीं था, क्योंकि उस समय समाज कार्य अभ्यास का वृहद् क्षेत्र था।

फ्लेक्सनर ने फिर भी 'व्यावसायिक स्वयं चेतना' के तीव्र विकास को स्वीकार किया, इस बात को माना कि समाज कार्य व्यावसायीकरण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में था एवं समाज कार्यकर्ताओं की परोपकारी सम्प्रेरणा को तथा अच्छा कार्य करने के प्रति समर्पण की भावना को सराहा।

जिस समय से फ्लेक्सनर ने समाज कार्य की अव्यावसायिक स्थिति की घोषणा की, तभी से इसकी व्यावसायिक स्थिति के लिए व्यग्रतापूर्ण चाह रही है। इसके पश्चात् हड़बड़ाहट की क्रिया में समाज कार्य के विद्यालयों में वृद्धि, व्यावसायिक प्रमाण पत्र देने वाले निकाय का गठन, शैक्षणिक पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना, सभी समाज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु वकालत करना तथा किसी भी क्षेत्र में लागू समाज कार्य कुशलताओं की एकात्मक, सामान्य प्रकृति का परीक्षण करने हेतु श्रृंखलाबद्ध सभायें करना सम्मिलित है।

## ग्रीनवुड का प्रतिरूप (मॉडल)

अरनेस्ट ग्रीनवुड (1957) का ''अटरीव्यूट्स ऑफ ए प्रोफेशन'' विषय पर अत्युत्तम लेख समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति के मूल्यांकन में एक दूसरे सीमा चिन्ह के रूप में है। ग्रीनवुड ने एक व्यवसाय के निम्नलिखित सूचकों का वर्णन किया है :

1) एक व्यवसाय मौलिक ज्ञान से युक्त होता है तथा सिद्धान्त के क्रमबद्ध निकाय को विकसित करता है जोकि अभ्यास की कुशलताओं को निर्देशित करता है। शैक्षणिक तैयारी बौद्धिक होने के साथ–साथ अभ्यास परक भी होती है।

2) व्यावसायिक प्राधिकरण तथा सेवार्थी व्यावसायिक संबंध में व्यावसायिक निर्णय तथा सक्षमता के प्रयोग पर आधारित रहते हैं।

3) एक व्यवसाय अपनी सदस्यता, व्यावसायिक अभ्यास, शिक्षा एवं निष्पत्ति मानकों को नियमित एवं नियन्त्रित करने की शक्ति से युक्त होता है। समुदाय नियामक शक्तियों तथा व्यावसायिक सुविधा का अनुमोदन करती है।

4) एक व्यवसाय लागू करने योग्य, स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं बांधने वाली नियामक आचार संहिता से युक्त होता है। यह आचार संहिता व्यवसाय के सदस्यों को नीतिगत व्यवहार प्रदर्शित करने हेतु बाध्य करती है।

5) एक व्यवसाय औपचारिक एवं अनौपचारिक समूहों के संगठनात्मक जाल के अंतर्गत् मूल्यों, सिद्धांतों तथा प्रतीकों की संस्कृति के द्वारा निर्देशित होता है। इसके माध्यम से व्यवसाय कार्य करता है तथा अपनी सेवायें उपलब्ध कराता है।

उपरिलिखित प्रतिरूप (मॉडल) का प्रयोग करते हुए, 1957 में ग्रीनवुड का विचार था कि समाज कार्य पहले से ही एक व्यवसाय है। यह अन्य प्रकार के विभाजन योग्य होने वाले प्रतिरूप (मॉडल) के साथ समरूपता के बहुत से बिन्दुओं से युक्त होता है।

अत्याधुनिक वर्षों में, क्या समाज कार्य, समाज कार्य सेवाओं के प्रावधान करने में एकाधिकार रखता है?, को मूल्यांकित करते हुए समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति की जांच की जाती रही है।

वाल्टर ए. फ्रीडलेण्ढर एवं राबर्ट जेड आप्टे के अनुसार किसी भी व्यवसाय के लिए निम्नलिखित कसौटियां होती है।

1) बौद्धिक प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त विशेष सक्षमता जोकि कुशलताओं को विकसित करती है तथा इस बात की अपेक्षा करती है कि केवल यन्त्रवत कुशलताओं के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय के आधार पर इसका उपयोग हो।

2) विद्वतापूर्ण सीखने के आधार पर ज्ञान एवं कुशलताओं के लागू करने के साथ एक नियमित एवं विशेषीकृत शैक्षणिक विद्या विशेष के माध्यम से संचार के लिए सक्षम भिन्न प्रविधियां।

3) ऐसे अभ्यासकर्ता जो कि सामान्य बन्धनों की चेतना से युक्त होते हैं तथा सामान्य अभिरूचियों तथा उच्च मानकों की अभिवृद्धि के लिए व्यावसायिक संघ के रूप में संगठित होते हैं।

4) एक व्यावसायिक संघ का होना जोकि जन–अभिरूचि में विशेषीकृत ज्ञान एवं कुशलताओं के उपयोग तथा विशेषीकृत शिक्षा के लिए प्रावधानों तथा आचार संहिता के द्वारा प्रकटन के रूप में अपनी सम्पूर्णता में व्यवसाय के लिए मानकों को विकसित करने से संबद्ध होता है।

5) ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों का होना जोकि समान क्षेत्र में अपने लिए निर्धारित मानकों के प्रकारों के लिए अन्य व्यक्तियों के प्रति वैयक्तिक उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही की भावना रखते हैं।

एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य कसौटियों की पूर्ति करता है :

- समाज कार्यकर्ताओं को मानव व्यवहार के वैज्ञानिक सिद्धान्तों एवं सामाजिक संस्थाओं की संरचना एवं संगठन का अध्ययन करना पड़ता है।
- समाज कार्यकर्ताओं को विशेष सामाजिक, आर्थिक एवं संवेगात्मक दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए प्रश्न एवं निपुणता को विकसित करना पड़ता है।
- समाज कार्य एक नियमित एवं विशेषकृत शैक्षणिक विद्या विशेष के माध्यम से संचार के लिए सक्षम अपनी भिन्न प्रविधियों एवं सिद्धान्तों से युक्त है।
- समाज कार्य ऐसे संगठित व्यावसायिक संघों से युक्त है जोकि निष्पत्ति के मानकों तथा आचार संहिता में समावेशित व्यवहार को बनाए रखते हैं।
- समाज कार्य जिन व्यक्तियों की सेवा करता है उनके कल्याण के लिए सक्षम सेवा उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व का वहन करता है।

## व्यावसायिक शिक्षा

परोपकार को व्यवसाय के रूप में प्रतिस्थापित करने के प्रयास में प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना करने का प्रयास इस दिशा में पहला कदम था। अनेक समाज कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से अन्ना दावेश (1893) एवं मेरी रिचमण्ड (1897) ने कार्मिकों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा समाज कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त संचयित ज्ञान एवं विशेषज्ञता को विकसित करने तथा क्रमबद्ध करने की आवश्यकता के लिए दलील (अपने प्रकाशित लेखों के माध्यम से) दी।

न्यूयार्क चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी के प्रयोजकत्व के अन्तर्गत् 1898 में प्रारम्भ किया गया ''द समर स्कूल ऑफ फिलन्थ्रापी'' नामक 6 सप्ताह का कार्यक्रम औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में एक दिशा निर्धारित करने वाला प्रयास था। न्यूयार्क के इस नेतृत्व वाले प्रयास को देखकर शीघ्रता से शिकागों, बोस्टन, मिशूरी तथा फिलेडेल्फिया नामक अन्य शहरों में परोपकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की गई।

अब हम यूरोप में समाज कार्य के आविर्भाव एवं सम्पूर्ण विश्व में इसके प्रसार के परिप्रेक्ष्य में समाज कार्य शिक्षा के अभ्युदय की चर्चा अधिक विस्तृत रूप से करेंगे।

**बोध प्रश्न II**

**टिप्पणी** : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) ग्रीनवुड के अनुसार एक व्यवसाय की क्या अकांक्षाएं होती हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

## 3.6 समाज कार्य शिक्षा

समाज कार्य शिक्षा की जड़ों को उन्नीसवीं सदी के अन्त में ब्रिटेन तथा यूरोप के अन्य देशों में उसकी अंतर्राष्ट्रीय शुरूआत में देखा जा सकता है। इस व्यवसाय का प्रसार यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका, अफरीका, एशिया तथा साउथ अमरीका में हुआ।

### यूरोप में आविर्भाव

समाज कार्य शिक्षा लन्दन में विक्टोरियन्स के कार्य से विकसित हुई जिन्होंने परोपकार कार्य के प्रतिरूपों (माडल्स) तथा 1899 अमेस्ट्रडम में समाज कार्य में दो वर्ष का पहला पूर्णकालिक शिक्षण को विकसित करने का प्रयास किया। दि अमेस्ट्रडम इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क ट्रेनिंग (अमेस्ट्रडम इन्स्टीट्यूट के समाज कार्य प्रशिक्षण) को सिद्धान्त एवं अभ्यास के साथ दो वर्ष का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम होने का गौरव प्राप्त है।

यद्यपि नीदरलैण्ड में समाज कार्य का प्रथम विद्यालय था, परन्तु 1870 के दशक में समाज कार्य शिक्षा की वास्तविक शुरूआत को अक्टीवाहिल के आवासीय प्रबन्धन तथा 'मित्रतापूर्ण भेंट करने की क्रिया' में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में पया जाता है। उसने लन्दन स्थित मलिन बस्ती पड़ोसों में कार्य किया तथा प्रारम्भिक रूप से स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को तथा बाद में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। जान रस्किन् जो एक कला आलोचक थे, ने आक्टिवाहिल को उनके कार्य में सप्रेरित किया तथा उनकी क्रियाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था की।

बारनेट्स, जिन्होंने पुरुषों के लिए टयोन्वी हाल की स्थापना की, प्रशिक्षण में अभिरूचि नहीं रखते थे। इसलिए, प्रशिक्षण क्रियाओं के लिए पहल महिलाओं की बस्तियों (सेटेलमेण्ट्स) ने किया। इनमें से अग्रणी आक्स्फोर्ड तथा कैम्ब्रिज की महिला स्नातकों द्वारा लन्दन में

1887 में स्थापित वूमेन्स यूनिवर्सिटी सेटेलमेण्ट था। इस समूह द्वारा नयी दिशा दिखाने वाला प्रशिक्षण संगठित पाठ्यक्रमों के रूप में विकसित हुआ तथा अन्तिम रूप से समाज कार्य की व्यावसायिक शिक्षा के रूप में सामने आया।

यूरोप में दूसरी उल्लेखनीय शुरूआत 1899 में एलिस सालोमन द्वारा जर्मनी में युवा महिलाओं के लिए समाज कार्य में एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रारम्भ किए जाने के रूप में थी। सालोमन समाज कार्य के विद्यालय के अंर्तराष्ट्रीय संघ की संस्थापकों मे एक थी तथा वे समाज कार्य शिक्षा तथा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट मंत्री थी। 1903 में उनका पाठ्यक्रम एलिस सालोमन स्कूल ऑफ सोशल वर्क बन गया, जो कि कई वर्षों तक जर्मनी में समाज कार्य शिक्षा के लिए एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता रहा।

इस प्रकार उन्नीसवीं सदी की समाप्ति में ब्रिटेन में की गई शुरूआत यूरोप एवं उत्तरी अमरीका में उन्नीसवीं सदी के दशक में एवं कुछ बाद में अन्य महाद्वीपों में समाज कार्य के लिए संगठित शिक्षा का विकास हुआ।

### उत्तरी अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका में ''समर स्कूल ऑफ फिलन्थ्रोपिक वर्क'' नामक पाठ्यक्रम ने समाज कार्य के लिए व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत की घोषणा की। यह मेरी रिचमण्ड द्वारा संप्रेरित किया गया था तथा न्यूयार्क की परोपकार संगठन समिति द्वारा चलाया गया। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान, चर्चाएं, जांचे करना, संस्थाओं एवं संगठनों में जाना एवं अनुभव प्राप्त संस्था के निर्देशकों के अधीक्षण के अंतर्गत कार्य करना सम्मिलित था। यह पाठ्यक्रम 1904 में एक वर्षीय कार्यक्रम में न्यूयार्क स्कूल ऑफ फिलन्थ्रोपी के रूप में विकसित हुआ तथा 1911 में इसमें दूसरा वर्ष भी जोड़ दिया गया।

इसी प्रकार शिकागों में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागों के सहयोग से हल हाउस तथा शिकागों कामन्स ने 1903 में एक वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया गया जो बाद में शिकागों इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज बन गया। 1920 में इसका नाम परिवर्तित करके यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागों स्कूल ऑफ सोशल सर्विस ऐडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया जो किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत समाज कार्य का पहला स्वायत्तशासी विद्यालय था।

### अन्य महाद्वीप

बाद के वर्षों में, यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका के दिशा निर्देशक प्रयासों का प्रसार उत्तरी अमरीका, अफरीका, एशिया तथा आस्ट्रेलिया तक हुआ।

### क) दक्षिणी अमरीका

1925 में दक्षिण अमरीका में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों–बेल्जिम के डॉ. रेने सैन्ड तथा चिली के डा. अलजान्ड्रों डेल रिओ ने पहले विद्यालय को प्रारम्भ किया। दोनों चिकित्सक, सामाजिक चिकित्सा एवं समाज कल्याण में दिशा निर्देशक थे। बाद में इस विद्यालय का नाम अलजान्ड्रो डेल रियो स्कूल ऑफ सोशल वर्क रखा गया जिसमें दो वर्ष का कार्यक्रम चलाया गया। इस पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य से संबंधित विषय एवं क्षेत्रीय निर्धारण पर अधिक बल दिया गया। जैसे–जैसे इस विद्यालय की प्रगति हुई, इससे निकले हुए स्नातक पूरे लैटिन अमरीका में समाज कार्य शिक्षा के दिशा निर्देशक बन गए।

### ख) अफ्रीका

1924 से दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटिश प्रतिरूप (माडल) पर आधारित विद्यालयों की स्थापना की गई। तीन वर्षीय डिप्लोमा वाला पहला संस्थान केप टाउन एवं ट्रान्सवाल यूनिवर्सिटी

कालेज के रूप में था। 1932 में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेलेनवोस में पहले स्नातक पाठ्यक्रम की स्थापना की गई।

साउथ अफ्रीका के प्रारम्भिक विद्यालयों में कुछ अपवादों को छोड़कर केवल श्वेत विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाता थां। 1947 में जोहन्सवर्ग में वाई एम सी ए ऐसा पहला विद्यालय था जिसमें समाज कार्यकर्ता के रूप में श्वेत विद्यार्थियों के अतिरिक्त विद्यार्थी आते थे। इस विद्यालय की स्थापना के लिए लोकोपकारक एवं संसद के सदस्य हाफमेयर तथा धर्म प्रचारक डॉ. रेफिलिप्स उत्तरदायी थे। इस विद्यालय के बहुत से स्नातक, जिनमें विनी मण्डेला एक थी, सरकार राजनीति एवं समाज कल्याण संस्थाओं में सक्रिय हैं।

### ग) एशिया

1922 में ऐन्विंग यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र एवं समाज कार्य विभाग की स्थापना हुई जो एशिया का पहला संस्थान था। यह कला में स्नातक की उपाधि सहित चार वर्ष का पाठ्यक्रम था। फिर भी यह साम्यवादी क्रान्ति को जीवित नहीं रख सका अतः इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया।

इसलिए एशिया में समाज कार्य के प्रथम स्कूल को स्थापित करने का श्रेय 1936 में स्थापित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज को जाता है जिसे 1964 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। शिकागों से आए अमरीकी धर्म प्रचारक क्लीफर्ड मैन्सर्डट ने बम्बई में नागप्पा नेबर हुड हाउस की स्थापना की तथा बाद में सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट से उनके संस्थान में अपने स्कूल को लाने के पश्चात् उन्हें संस्थान का पहला निदेशक बनाया गया। उनके सहयोगी डॉ. जे. एम. कुमारप्पा, जो कि एक जाने–माने शिक्षाविद् तथा कोलम्बिया विश्वविद्यालय से एम.ए. एवं पी.एच.डी. उपाधियों से युक्त थे, उनके पश्चात् संस्थान के पहले भारतीय निदेशक बने। ऐतिहासिक कारणों के फलस्वरूप, अमरीका तथा ब्रिटिश पद्धति से समाज कार्य के भारतीय स्कूलों में एक अन्तर रखा गया है वह है श्रम कल्याण एवं कार्मिक प्रबन्ध का सम्मिलित किया जाना।

### घ) आस्ट्रेलिया

प्रारम्भिक रूप से ब्रिटेन एवं अमरीकी प्रतिरूपों (मॉडल्स) से अधिकाशतः ली गई समाज कार्य परम्परा को आस्ट्रेलिया में प्रारम्भिक रूप से विकसित किया गया एवं काफी समय बाद वहां पर स्वदेशी सिद्धान्त, अभ्यास एवं प्रकाशन अधिक मात्रा में विकसित हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले 1929 एवं 1937 के मध्य) विश्वविद्यालय के बाहर पहले समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थान जिनकी संख्या पांच थी, सिडनी, मेलबोर्न तथा एडेलैड शहरों में स्थापित किए गए। ये पहले विद्यालय दो वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के मार्ग से सामान्य समाज कार्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराते थे। सामान्य प्रशिक्षण के उपरान्त एक वर्षीय चिकित्सकीय समाज कार्य में विशेषीकरण करना पड़ता था। इन कार्यक्रमों का प्रारम्भिक नेतृत्व चिकित्सीय एवं मनश्चिकित्सीय समाज कार्य में प्रशिक्षित ब्रिटिश महिलाओं द्वारा किया गया।

आस्ट्रेलिया में, समाज कार्य के अभ्यास अधिकांशतः सरकारी तत्वाधान में होता है, तथा गैर सरकारी स्वैच्छिक) तथा धार्मिक तत्वाधानों में कम मात्रा में सम्पन्न किया जाता है। अनुमानतः तीन चौथाई समाज कार्यकर्ता संघीय एवं राज्य सरकारों की समाज सेवा संस्थाओं में सेवायोजित हैं जबकि बचे हुए एक चौथाई गैर–सरकारी एवं धार्मिक संगठनों में सेवायोजित हैं।

## 3.7 व्यावसायिक संगठनों का उदय

अपने स्नातकों को कार्य उपलब्ध कराने की क्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से बहुत से महिला महाविद्यालयों द्वारा न्ययार्क शहर के अंतर्गत 1911 में इण्टर कालेजिएट ब्यूरों ऑफ अकूपेशन्स नामक व्यावसायिक संगठन की स्थापना की गई। शैक्षणिक समुदाय में स्वीकृति पाने के लिए प्रयास करने के उद्देश्य से समाज कार्य शिक्षकों द्वारा व्यावसायिक संघों के निर्माण ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया। जैसे–जैसे विशेषीकरणयुक्त क्षेत्रों का उदय हुआ, अमेरिकन असोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क्स (1918), दि नेशनल असोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क्स (19190 तथा दि असोसिएशन फार दि स्टडी ऑफ कम्युनिटी अर्गनाइजेशन (1946) जैसे अन्य संगठनों का गठन हुआ।

### नेशनल असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क्स (समाज कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय संगठन)

व्यावसायिक एकता की चाह के कारण 1955 में विभिन्न समाज कार्य संगठनों द्वारा आपस में मिलकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स (एन ए एस डब्ल्यू) का गठन किया गया। एन ए एस डब्ल्यू की 1,00,000 से ऊपर सदस्यता होने के कारण यह संगठन विश्व में सबसे बड़ा समाज कार्य संगठन है। एन ए एस डब्ल्यू की पूर्ण सदस्यता काउन्सिल ऑन सोशन वर्क एजुकेशन (सी एस डब्ल्यू ई) द्वारा मान्यता प्राप्त समाज कार्य कार्यक्रमों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को उपलब्ध है। अन्य मानव सेवा अभ्यासकर्ताओं के लिए ए.ए.एस. डब्ल्यू की असोसिएट सदस्यता उपलब्ध है। सदस्यता युक्त संघ के रूप में एन.ए.एस.डब्ल्यू. समाज कार्य अभ्यास कर्ताओं को सहयोग तथा संसाधन उपलब्ध कराता है, व्यावसायिक विकास को बढ़ाता है, अभ्यास के मानकों तथा आचार संहिता को स्थापित करता है एवं समाज कार्य के मानवतावादी आदर्शों तथा मूल्यों में बढ़ोत्तरी करता है।

### काउन्सिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन (समाज कार्य शिक्षा परिषद)

1952 में काउन्सिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन (सी एस डब्ल्यू ई) का गठन समाज कार्य शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करने वाले संगठन के रूप में किया गया था। यद्यपि प्रारंभ में स्नातक उपाधि कार्यक्रमों को परीक्षित कर मान्यता देने का काम इस परिषद् (काउन्सिल) का था, परन्तु 1974 से काउन्सिल ऑन सोशन वर्क एजुकेशन (सी एस डब्ल्यू ई) समाज कार्य शिक्षा के सभी स्तरों, जिसमें उपाधि के लिए तैयारी भी सम्मिलित है, से सम्बद्ध है। सन् 2000 तक काउन्सिल ऑन सोशन वर्क एजुकेशन द्वारा 421 वी एस डब्ल्यू कार्यक्रमों एवं 139 एम एस डब्ल्यू कार्यक्रम का परीक्षण कर मान्यता दी जा चुकी है। सी एस डब्ल्यू ई का प्रमुख उद्देश्य, उच्च गुणवत्ता वाली समाज कार्य शिक्षा का आगे बढ़ाना है जिसकी पूर्ति वह कार्यक्रमों की गुणवत्ता की जाँच कर इन्हें मान्यता दे करके शिक्षकों हेतु सभायें आयोजित करके, व्यावसायिक विकास क्रियाओं को सम्पन्न करके, शैक्षणिक कार्यक्रम बनाने पर कार्य दल गठित करके एवं जर्नलों को प्रकाशित करके कर रही है।

## 3.8 आधुनिक प्रवृत्तियाँ और व्यवहार

समाज कार्य व्यवसाय ने अपने को कई देशों में दृढ़तापूर्वक प्रतिस्थापित कर लिया है तथा प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं की मांग सतत रूप से बढ़ रही है। आजकल समाज कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं जैसे कि चिकित्सालय, मानसिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक केन्द्र, विद्यालय, समाज सेवा संस्थायें, सेवायोजन क्षेत्र, न्यायालय एवं अपराध

सुधार। निजी अभ्यास में वे चिकित्सकीय अथवा नैदानिक परीक्षण करने की सेवायें उपलब्ध कराते हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में वैयक्तिक असामान्य व्यवहारों को आच्छादित करती है। यद्यपि अधिकांश समाज कार्यकर्ता शहरों एवं छोटे कस्बों में सेवायोजित है, परन्तु कुछ समाज कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यरत है।

## जीवनवृत्ति के अवसर

समाज कार्यकर्ताओं के सेवायोजन में 2010 तक सभी व्यवसायों के लिए औसत वृद्धि की तुलना में अधिकतम वृद्धि की आशा की जाती है। वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है जिसका परिणाम यह होगा कि समाज कार्यकर्ताओं के लिए वृद्धावस्था के क्षेत्र में कार्य करने के अवसरों की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, अपराध एवं बाल अपराध के प्रति लगातार बढ़ती हुई चिन्ता एवं मानसिक रूप से बीमारों, मानसिक रूप से मन्दितों, शारीरिक रूप से विकलांगों, एड्स रोगियों एवं संकटग्रस्त व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए सेवाओं की आवश्यकता समाज कार्यकर्ताओं की मांग को बढ़ाएगी। समाज कार्यकर्ताओं के लिए जीवन वृत्ति के अन्य विकल्पों में शिक्षण कार्य, अनुसंधान एवं सलाह प्राप्त करना सम्मिलित है। कुछ समाज कार्यकर्त्ता सरकारी संस्थाओं एवं अनुसंधान संस्थानों की नीति सम्बन्धी स्थितियों का विश्लेषण तथा वकालत कर सरकारी नीतियों के निर्माण में सहायता पहुँचाते हैं।

## वैधानिक नियमन अभ्यास का निजीकरण

परम्परागत रूप से, समाज कार्य अभ्यास सरकारी अथवा निजी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। फिर भी ऐसे समाज कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है जो या तो निजी शुल्क के साथ सेवा क्षेत्रों में एवं निजी शुल्क के साथ लाभकारी व्यवसाय के रूप में अभ्यास कर रहे हैं। निजी शुल्क सेवा संगठन वे अभ्यास वाले संगठन हैं जो विशेषरूप से व्यवसायों जैसे चिकित्सकों एवं वकीलों द्वारा उपयोग किए जाते हैं जिनमें समाज कार्यकर्ता सामान्य रूप से प्रति घण्टे शुल्क (फीस) के आधार पर सलाह अथवा इलाज की सेवायें उपलब्ध कराते हैं। समाज कार्यकर्ताओं को सेवायोजित करने वाले (अथवा स्वयं के स्वामित्व वाले) निजी लाभकारी व्यापारों का प्रयास हुआ है जिनमें मादक द्रव्य व्यसन एवं शराब सेवन के निदान कार्यक्रम, नर्सिंग, गृह (होम), खाने से उत्पन्न असामान्य व्यवहारों सम्बन्धी क्लीनिक, प्रौढ़ दिवा संरक्षण केन्द्र एवं साथी सेवायें सम्मिलित हैं। श्रम सांख्यिकी ब्यूरों ने यह अनुमान लगाया है कि ऐसे समाज कार्यकर्ताओं की संख्या, जो कि स्वयं सेवायोजित है, 1990 एवं 2005 के मध्य 20 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

### बोध प्रश्न III

**टिप्पणी :** क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) ऐसी कौन सी संस्थान को श्रेय प्राप्त है जिसने समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास के साथ पहला द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की?

.....

.....

.....

.....

.....

## 3.9 सारांश

हमने देखा कि एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का अम्युदय किस प्रकार से चर्च के दान अभिमुखीकरण से सार्वजनिक कल्याण में राज्य की भूमिका से हुआ। ग्रेट ब्रिटेन में जन्में आन्दोलनों एवं संगठनों की पुर्नस्थापना संयुक्त राज्य अमरीका में हुई जबकि इंग्लिश बस्तियाँ नए विश्व मं जाकर बसी। इसकक्के पश्चात अन्य महाद्वीपों में समाज कार्य व्यवसाय का विस्तार हुआ तथा सम्पूर्ण विश्व में अनेक विश्वविद्यालयों के अंतर्गत समाज कार्य के विद्यालयों द्वारा वी एस उब्ल्यू की उपाधियाँ तथा कुछ जगहों पर डिप्लोमा उपलब्ध कराए जा रह हैं।

आजकल समाज कार्य एवं समाज कार्य शिक्षा के लिए एक चुनौती है कि वह अपने विश्वासों एवं मूल्यों पर रहते हुए इस परिवर्तनशील समय में लचीले व्यवहार पर अमल करे तथा सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकारों के प्रति बचनवद्ध रहे। समाज कार्य, जिसने कि मानव अधिकारों के प्रति बचनवद्ध रहे। समाज कार्य, जिसने एक सदी की परिवर्तनशील परिस्थितियों में अपने को आगे बढ़ाया है तथा समायोजित किया है, आने वाले वर्षों में भी अपनी अभिवृद्धि एवं परिवर्तन को जारी रखेगा तथा यह इस सहस्राब्दी की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों से आत्मविश्वास के साथ निपटने के लिए सक्षम है।

## 3.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डुबोस, ब्रेन्दा ऐण्ड कारला क्रोग्सरूड मिले : सोशल वर्क : एन इम्पावरिंग प्रोफेशन : बोस्टन : अले ऐण्ड वेकन, 1932।

इन साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क, उन्नीसवाँ संस्करण : वांशिगटन डी.सी., नेशनल एशोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, 1995।

फरगूशन, एजिलाबेथ ए. : सोशलवर्क : एन इन्ट्रोडक्शन : द्वितीय संस्करण : न्यूयार्क : जे. बी. लिटिनकाट कम्पनी, 1969।

फ्रीडलैण्डर, बाल्टर ए. ऐण्ड राबर्ट जेड आप्टे : इन्ट्रोडक्शन टु सोशल वेल्फेयर : पाँचवा संस्करण : नई दिल्ली : प्रेन्टिस हाल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, 1982।

केन्डाल, कैथरीन ए. ''वर्ल्ड–वाइड विगनिंग्स ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन'', दि इण्डियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, अप्रैल 2000, पृ. 141–156।

## 3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

**बोध प्रश्न I**

1) वेवरिज प्रतिवेदन की मुख्य संस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं :

- प्रत्येक नागरिक के लिए कल्याण प्रावधान
- बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था तथा बैधव्य के विरूद्ध एकल बीमा
- व्यक्ति की आय पर ध्यान दिए बिना समान योगदन
- आय पर ध्यान दिए बिना एक ही प्रकार की समस्या के लिए एक ही प्रकार की वित्तीय सहायता

**बोध प्रश्न II**

1) ग्रीनवुड के अनुसार एक व्यवसाय में निम्नलिखित गुण होने चाहिए :

- मौलिक ज्ञान एवं सिद्धान्त का क्रमबद्ध निकाय जो कि अभ्यास की कुशलताओं को निर्देशित करता है।
- सेवार्थी–व्यावसायिक सम्बन्ध में व्यावसायिक अधिकार एवं विश्वसनीयता
- व्यवसाय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी सदस्यता, व्यावसायिक अभ्यास, शिक्षा एवं निष्पत्ति मानकों तथा एवं इस प्राधिकरण के समाज द्वारा स्वीकृति को नियमित एवं नियन्त्रित करें।
- नियामक कार्य से युक्त एक औपचारिक आचार संहिता एवं
- व्यवसाय के अन्तर्गत विकसित विशेषीकृत मूल्य एवं मान्यतायें।

**बोध प्रश्न III**

1) ऐसे किस यूरोप के संस्थान को यह श्रेय प्राप्त है जिसने सबसे पहले समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास में दो वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया।

दि अमेस्ट्रडम इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क ट्रेनिंग।

# इकाई 4 भारत में समाज कार्य परम्परा और शिक्षा का विकास

* *उमा*

## इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 भारत में समाज कार्य और समाज सेवा परम्परा का विकास

4.3 गाँधीवादी विचारधारा और सर्वोदय आन्दोलन

4.4 स्वैच्छिक और व्यावसायिक समाज कार्य के बीच समान आधार

4.4 स्वैच्छिक और व्यावसायिक समाज कार्य के बीच समान आधार

4.5 भारत में समाज कार्य शिक्षा

4.6 सारांश

4.7 शब्दावली

4.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

## 4.0 उद्देश्य

इस इकाई के पढ़ने के पश्चात् आप :

- भारत वर्ष में समाज कार्य एवं समाज सेवा परम्परा को समझ सकेंगे;
- प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल के सामाजिक परिवर्तन हेतु विचारधाराओं के भारतीय इतिहास की प्रशंसा कर सकेंगे;
- गाँधीवादी विचार धारा एवं सर्वोदय आन्दोलन को समझ सकेंगे;
- व्यावसायिक तथा स्वैच्छिक समाज कार्य के मध्य अर्न्तदृश्य को समझ सकेंगे; और
- भारत वर्ष में समाज कार्य शिक्षा के अंतर्गत् अर्न्तदृष्टि पास सकेंगे।

## 4.1 प्रस्तावना

यथेष्ट सन्दर्भ के पश्चात् ही समाज कार्य, इसके दर्शन, मूल्यों एवं सिद्धान्तों के क्रमबद्ध विश्लेषण को समझा जा सकता है तथा इस बात का प्रयास किया गया है कि भारत वर्ष में समाज कार्य की अवधारणा एवं इसके विकास को समझा जाए। इसके अंतर्गत् इसकी अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित विभिन्न पर्यवेक्षण तथा विचार सम्मिलित है।

समाज कार्य व्यवसाय प्राथमिक रूप से समाज के सीमान्त वर्गों की अभिरुचियों के साथ घनिष्ठता रखता है। ऐसे व्यक्तियों के मौलिक मानव अधिकारों का अक्सर उल्लंघन होता है जिनके पास आर्थिक, भौतिक, मानसिक, सामाजिक और अथवा संवेगात्मक संसाधनों की कमी होती है। संसाधनों की कमी व्यक्तियों को शक्तिहीन बनाती है तथा उन्हें

**सुश्री उमा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली*

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सहायता की कमी व्यक्तियों को शक्तिहीन बनाती है तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं में सीमान्त की ओर ले जाती है। सीमांत व्यक्ति संसाधनों पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्तियों के संसाधनों से वचित रहने एवं शोषण का शिकार होते हैं। इस प्रकार से, समाज कार्य व्यवसाय इस बात की मान्यता देता है कि सीमान्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण की आवश्यकता है जिससे कि वे स्वयं अपने विकास एवं कल्याण के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकें। सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वयं पर तथा संसाधनों पर नियन्त्रण प्राप्त करता हे जो शक्ति का निर्धारण करते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है व्यवस्था संबंधी शक्तियों की प्रकृति एवं दिशा में सुधार लाना जो कि शक्तिहीन व्यक्तियों को सीमान्त की स्थिति में ले जाती है।

यह व्यवसाय दशाओं को अच्छा बनाने के लिए क्रमबद्ध एवं संगठित प्रयासों पर बल देता है तथा व्यक्तियों, समूहों एवं समुदाय का उनके सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण से समायोजन को सुगम बनाता है। यह कल्याण दृष्टिकोण एवं मूल्य व्यवस्था समस्त मानव क्रियाओं में न्याय एवं समानता के मौलिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। अतः यह समीचीन होगा कि भारतीय समाज के सिद्धान्त के रूप में इस मूल्य व्यवस्था तथा इसकी मान्यता की उत्पत्ति को समझा जाए।

## 4.2 भारत में समाज कार्य तथा समाज सेवा परम्परा का विकास

समाज सुधार एवं समाज कार्य की शुरूआत को उन्नीसवीं सदी, विशेषकर राजा राम मोहन राय के समय से खोजा जा सकता है। इसके पहले की अवधि का कोई सन्दर्भ कुछ मुसलमान अथवा मराठा शासकों की सुधार क्रियाओं का वर्णन करता है। फिर भी, प्राचीन भारत में समाज कल्याण क्रियाओं का संदिग्ध सन्दर्भ देखने को मिलता है जोकि अधिकतर पूर्व समय की प्रशंसा के रूप में है। प्राचीन समय के विषय के परिदृश्य को तीन कालखण्डों में विभाजित किया जा सकता है। ये काल खण्ड है 2500 बी.सी से 1000 ई. प्राचीन काल, 1100 ई. अथवा 1200 ई. से 1800 ई. तक माध्यमिक काल तथा 1800 ई. के उपरान्त आधुनिक काल के रूपों में।

इस भाग में प्राचीन काल पर विशेष ध्यान दिया गया है जोकि अनुमानतः आठ सदी एडी अतः वृहत् कार्य में अथवा संभवतः उसके कुछ समय पहले की समयावधि है। यह ध्यान में रखने वाली बात हे कि यह समयावधि लगभग तीन हजार वर्षो की है जिसमें विशेषकर सामाजिक संरचना के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, अतः वृहत् कार्य में जिस कालानुसार दृष्टिकोण को अपनाया गया है, उसका उद्देश्य समाज कल्याण अवधारणा के विकास की दिशा तथा झलक को प्रस्तुत करना है।

### प्राचीन काल में समाज सुधार

प्राचीन काल में दान एवं धर्मनिष्ठा भारतीय संस्कृति की मुख्य बातें रही हैं। सभी व्यक्तियों का कल्याण एवं सामान्य भलाई करना अथवा इसके लिए पहल करना मुख्य विशेषता रही है, जिसकी झलक पौराणिक कथाओं एवं गाथाओं–स्मृतियों अथवा धर्मशास्त्रों में देखी जा सकती है। पहले वर्णित दान को ऋग्वेद से प्राप्त किया जा सकता है जो दान देने के लिए यह कहते हुए प्रेरित करता है कि ''जो व्यक्ति देता है वह सबसे अधिक चमकता है''। कौटिल्य के नाम से जुड़ा हुआ 'अर्थशास्त्र' राजनीति के क्षेत्र में एक प्राचीनतम कार्य हे जोकि इस बात को कहता है कि सार्वजनिक भलाई के लिए ग्रामीणों द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। यह इस बात का भी वर्णन करता है समाज कार्य

ऐसे बच्चों, वृद्धों अथवा अशक्तों के संरक्षण के रूप में है जिनका संरक्षण कोई नहीं है। शहरों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सामान्य भलाई हेतु विशेष नियम स्थापित किए गए। सामूहिक दान समाज कार्य का लोकप्रिय स्वरूप था जिसमें से शिक्षा की प्रगति अथवा विद्यादान महत्वपूर्ण था जोकि अनेकां 'जटकास' प्रतिबिम्बित करते हैं अन्य उपनिषद् जैसे 'वृहदाण्डकारण्या, 'चान्डोग्या' एवं 'तैत्रीया' इस बात को कहते हैं कि प्रत्येक निवासी (व्यक्ति) को दान देना चाहिए।

शिक्षा के पश्चात्, धर्म का सन्दर्भ दिया जा सकता है, जोकि प्राचीन भारत के व्यक्तियों के लिए प्रत्येक पस्तु से ऊपर समझा जाता था। इसलिए सामाजिक क्रियाओं को सम्पन्न करने का एक लोकप्रिय ढंग 'यज्ञ' था। यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ अथवा लाभ से हटकर सभी का सामान्यत कल्याण करना था। बहुत सी यज्ञशालायें थी जिसमें विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष के रूप में अहम पर केन्द्रित इच्छाओं से परे रखते हुए उनमें धीरे–धीरे कार्य करने की भावना को विकसित किया जाता था। यह सीख एवं उत्साह घर, कार्यस्थल तथा साधारण सामुदायिक जीवन में जाता था। समुदाय को एक अस्तित्व के रूप में आगे बढ़ने एवं प्रगति प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाता था। सुविधायुक्त वर्गों को चाहिए कि वे गरीबों, बाधितों एवं सुविधावंचित व्यक्तियों को सेवा करने के अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। (गीता)

वैदिक समय के प्रारम्भिक काल की समुदाय आधारित संरचना एक विस्तृत परिवार के रूप में कार्य करती थी जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। क्रियाओं की इस साधारण प्रकृति एवं संबंधों के कारण सामुदायिक कल्याण से प्रत्येक व्यक्ति संबद्ध था। कृषि आधारित समाज के धीरे–धीर विकसित होने के साथ, भूमि एवं दान के निजी स्वामित्व की परम्परा स्थापित हुई। भिक्षा देना अथवा दान सुविधायुक्त व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिया जाने वाला संयंत्र बन गया। वैदिक काल के बाद की अवधि में भिक्षा देना संस्थागत हो गया तथाा धार्मिक विचारधारा इससे संबद्ध हो गयी। यह एक प्रिय गुण के रूप में प्रशंसित किया जाता था।

बुद्धवाद के उदय ने समाज के चरित्र को वर्ग आधारित कृषक समाज के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके दर्शन द्वारा वर्ग अन्तरों को स्पष्ट करने का प्रयास किया तथा पुण्य एवं दान (भिक्षा देना) पर बल दिया गया। दान (भिक्षा देना) सीमान्तजनों की दशाओं में सुधार लाने का केवल एक साधन नहीं था परन्तु 'संघ' को भेंट देने के रूप में था जोकि आश्रय एवं ज्ञान के केन्द्र थे। संघों का महत्वपूर्ण संयुक्त निकाय के रूप में उदय हुआ जिनको इस अवधि में राजनैतिक एवं आर्थिक कार्य दिए गए थे। ये समाज के दबे हुए वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते थे तथा इनके कोषों का कुछ भाग नेत्रहीनों, निराश्रित व्यक्तियों, अशक्तों, दुर्बलों, अनाथों एवं विधवाओं की सहायता में उपयोग किया जाता था।

मगध राज्यों में नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के साथ, प्रशासकीय व्यवस्था की स्थापना हेतु प्रारम्भिक प्रयास किए गए। सामान्य कल्याण, सड़कों के निर्माण, कृषि इत्यादि पर ध्यान दिया गया। कौटिल्य द्वारा अपनी प्रजा के कल्याण एवं खुशहाली के लिए राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया। अशोक तथा बाद में कनिष्क की राज्यावधि में इसी प्रकार की समाज कल्याण क्रियाओं की पहल की गई जिनमें महिलाओं का कल्याण, कैदियों का पुनर्वासन, ग्रामीण विकास, शुल्क विहीन चिकित्सकीय इलाज, वेश्यावृत्ति का नियमन, जन सुविधा सेवाओं का प्रावधान इत्यादि सम्मिलित थी।

### मध्यकाल (1206–1706) में समाज सुधार

मध्य काल में समाज सुधार क्रियाओं को वर्णित करने में जिस दृष्टिकोण का अनुगमन किया गया वह राजाओं पर व्यक्तिगत रूप से तथा उनकी प्राप्तियों पर केन्द्रीत नहीं था

बल्कि सामाजिक संस्थाओं एवं संरचना के परिवर्तनों में उनके योगदान की मात्रा पर केन्द्रित थी मुसलमान सल्तनत, जोकि मध्य काल के महतवपूर्ण समय का निर्माण करती है, धर्म एवं शिक्षा के क्षेत्रों में सामाजिक सेवा के इसी उत्साह से प्रेरित एवं कार्यरत थी।जीते हुए क्षेत्र की व्यावहारिक आवश्यकताओं को एक करने तथा विदेश में कुशल प्रशासन उपलब्ध कराने ने राजाओं की भूमिका तथा कार्यों के वर्णन को आवश्यक कर दिया। इन कर्तव्यों में शान्ति बनाए रखना, बाहरी शक्तियों से संरक्षण, करों को लगाना तथा प्रजा को न्याय दिलाना सम्मिलित थें। इन सीमित लौकिक कार्यों के अतिरिक्त, शासकों ने जनता के सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि में बहुत कम अभिरुचि दिखाई। धर्म मुसलकानों को 'जकात' के माध्यम से सुविधावंचित व्यक्तियों की सहायता करने से जोड़ता है। 'जकात' धन, पशु, अनाज, फल एवं व्यापारी माल, नाम पांच वस्तुओं की वार्षिक विधिक भिक्षा है। पीने के पानी की व्यवस्था, मस्ज़िदों का निर्माण, सरायों का प्रावधान करने, गरीबों को दान देने के पवित्र कार्य के रूप में समझे जाते थे।

मुसलमान शासकों में हुमायूँ सबसे अग्रणी शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अकबर एक प्रख्यात शासक था जिसने 1583 में दासता को समाप्त कर भारतीय समाज में सुधार लाने की पहल की। उसने वर्ग एवं धर्म पर ध्यान दिये बिना व्यक्तियों के मध्य समानता को स्थापित किया एवं गरीबों की सहायता के लिए एक विस्तृत व्यवस्था की स्थापना की जोकि दो प्रकार थी : प्रत्येक आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति को नकद वस्तु के रूप में सहायता देना जो इसके लिए प्रार्थना करता है तथा अन्य व्यवस्था थी – क्रमबद्ध एवं संगठित रूप से नियमित सहायता देना।

## आधुनिक काल (1800 ई. से लेकर) में समाज सुधार

इस अवधि में भारतीय समाज राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में कई प्रमुख परिवर्तनों से धीरे–धीरे गुजरा। पश्चिमी सभ्यता पर आधारित सम्पत्ति के अधिकारों की विधिक व्यवस्था, कानून का शासन, न्यायपालिका एवं बाज़ार अर्थ व्यवस्था का अम्युदय, रेलवे तथा संचार व्यवस्था, तथा नवीन शैक्षणिक व्यवस्था जिसने स्वतंत्रता, न्याय एवं समानता के आदर्शों की अर्न्तदृष्टि को खोला, ऐसे कुछ प्रमुख परिवर्तन थे जिनकी गूंज पूरी संरचना में प्रतिध्वनित हुई । इन परिवर्तनों ने परिवार, नातेदारी, विवाह एवं जाति को प्रभावित किया। इसने पश्चिमी उदार विवेक पूर्ण अर्न्तदृष्टि वाले एक अभिजात्य वर्ग की अभिवृद्धि को प्रभावित किया तथा इसमें मदद की जिसने उन्नीसवीं सदी के दौरान समाज सुधार आन्दोलन को आग बढ़ाया।

समाज सुधार आन्दोलन की शुरूआत राम मोहन राय के कार्य में देखी जा सकती है जिन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के बीज बोए। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, ज्योतिवाफूले, सशीपदा बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकाननद, बाल शास्त्री जाम्बेकर जैसे अनेक सुधारक थे जिन्होंने लगभग एक शताब्दी तक देश के विभिन्न भागो में भारतीय समाज की कुछ बातों जैसे जाति व्यवस्था, बाल विवाह, सती, वैधव्य, मूर्तिपूजा इत्यादि में सुधार लाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता के आदर्श इन सुधार आन्दोलनों के अन्तर्गत् निहित सिद्धान्त थे। इनमें से कई व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों एवं संस्थाओं की स्थापना की। इन सामाजिक व्यवहारों का उन्मूलन करने के लिए विधान बनाने हेतु सरकारों को प्रेरित करने के लिए शिक्षा तथा प्रचार करने को अपने प्रहार का आधार बनाया। इस आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ संगठन हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थिसोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, इण्डियन सोशल कान्फ्रेन्स, सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी इत्यादि।

फिर भी, यह समाज सुधार आनदोलन अधिकांशतः आंग्लभाषा भाषी मध्यम वर्ग से युक्त जनता के एक लघु अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रहा। परन्तु गाँधी जी के आने पर,

सम्पूर्ण समाज सुधार एवं राजनैतिक स्वतंत्रता आन्दोलन में परिवर्तन हुआ। विशेषीकृत रूप से, गांधी जी ने राजनैतिक आन्दोलन को सामाजिक आन्दोलन से जोड़ा तथा जनसंख्या के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं एवं कृषि से जुड़े कामगारों तथा निम्नजातियों की सहभागिता के साथ इसको जन आन्दोलन में बदला।

1936 में बम्बई शहर में समाज कार्य व्यवसाय के प्रशिक्षण एवं शिक्षण के व्यवसाय करने में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशलवर्क नामक पहले समाज कार्य के स्कल की स्थापना उल्लेखनीय है। इसके पश्चात्, देश के कई भागों में समाज कार्य के अनेक संस्थान स्थापित किए गए।

स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने कल्याण दृष्टिकोण की तरफ अपना झुकाव किया तथा अपने परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज कार्य के कई क्षेत्र समाहित किए। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, संस्थात्मक परिवर्तन के विचारों तथा परिवार नियोजन, व्यक्तियों की गरीबी का उन्मूलन तथा जनसंख्या के मध्य आय के अन्तरों को कम करने के कार्यक्रमों की लोकप्रियता लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा इस दिशा में कार्य करने के लिए सामाजिक अभिमुखीकरण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं।

**बोध प्रश्न I**

**टिप्पणी** : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) भारत में प्राचीन काल में समाज सुधार आन्दोलन की प्रमुख विशेषताएँ क्या है? कुछ उदाहरण दीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारतवर्ष में सामजिक धार्मिक आन्दोलन का जन्म राम मोहन राय से क्यों जोड़ा जाता है?

.....

.....

.....

.....

## 4.4 गाँधीवादी विचारधारा और सर्वोदय आन्दोलन

भारतवर्ष में समाज कार्य के इतिहास एवं विकास पर कोई चर्चा महात्मा गाँधी के योगदान के वर्णन किए बिना पूर्ण नहीं होगी क्योंकि वे एक समाज सुधारक, तथा महत्वपूर्ण धर्मयोद्धा थे। उन्होंने राजनैतिक एवं समाज सुधार के एकीकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया एवं इस बात की वकालत की कि देश को केवल विदेशी दासता से ही मुक्त नहीं होना चाहिए बल्कि यह वास्तविक रूप से तभी विकसित होगा जबकि इस प्रक्रिया में सामाजिक बुराइयाँ बाधक नहीं बनेगी।

गाँधी जी के परिदृश्य में आने पर समाज सुधार आन्दोलन में परिवर्तन हुए। प्रथम, समाज सुधार क्रियायें, सामाजिक एवं राजनैतिक आन्दोलन के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में राजनैतिक स्वतंत्रता हेतु आन्दोलन से सम्बद्ध की गयी। द्वितीय, यह महिलाओं एवं कृषि में लगे कामगारों एवं हरिजन जेसी निम्न जातियों की सहभागिता से जन आन्दोलन बन या। तृतीय, जनमत जागृत करने तथा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने वाले पूर्व के ढंगों के अतिरिक्त नए सामाजिक आर्थिक आन्दोलन ने व्यक्तियों को अपने स्वयं अथवा सामूहिक प्रयास द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। अन्य शब्दों में, धरना देने, व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करने, असहयोग करने एवं कुछ स्थितियों में मृत्यु पर्यन्त भूख हड़ताल पर भी जाने जैसे कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों द्वारा सामाजिक क्रिया करने पर बल दिया गया।

इसी समय एक विभिन्न प्रकार का समाज कल्याण का प्रतिरूप (माडल) अचानक लागू किया गया। यह उस समय की देश की सामाजिक दशाओं एवं समाज सुधार तथा समाज कल्याण की राष्ट्रीय विरासत से पूर्ण रूपेण मेल नहीं खाता था। यह श्रम के विभाजन की बढ़ती हुई जटिलता, सामाजिक विभेदीकरण एवं कार्य के विशेषीकरण द्वारा विशेषीकृत एक औद्योगिक नागरिक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक प्रतिरूप (माडल) था। यह सुधारवादी, व्यक्तिवादी एवं सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा सामाजिक नियन्त्रण की प्रक्रियाओं से अधिक जुड़ा हुआ था। व्यावसायिक कार्यकर्ताओं का उदीयमान समूह उस समय सामने आए समाज कल्याण के स्वदेशी प्रतिरूप (माडल) से अपने आप को जोड़ नहीं सके। अपनी यथार्थता की चाह में उनका झुकाव पूर्व गांधीवादी समाज सुधार की ओर हो गया। पश्चिमी शिक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति होने तथा अधिकांशतः नए शहरी मध्यम वर्ग के होने के कारण उन्होंने गाँधी एवं उत्तरगाँधी सर्वोदय समूह की अपेक्षा गाँधीवादियों से अपने को अधिक निकट पाया।

स्वतंत्रता प्राप्ति से, गाँधी जी की मूल्य व्यवस्था ने भारत की सरकार की सामाजिक नीति को मोड़ दिया। उनके प्रयास संविधान को अंगीकृत करने में परिलक्षित होते हैं जिसमें अन्तःकरण, पूजा, बोलने, प्रकटन की स्वतंत्रता की गारण्टी दी गई है तथा धर्म, कुल, जाति अथवा लिंग के आधार पर विभेदीकरण करने को मना किया गया है, देश को राजनैतिक एवं प्रशासकीय दृष्टि से एकीकृत किया गया है, समाज कल्याण की समस्याओं पर संकेन्द्रित करते हुए कल्याणकारी राज्य की ओर प्रगति की गई है तथा इनसे संबंधित मुद्दों के गहन परीक्षण की व्यवस्था की गई है।

## सर्वोदय एवं समाज कल्याण

गाँधी जी ने समाज कल्याण की अवधारणा सर्वोदय के रूप में प्रस्तुत की जिसका अर्थ,''जीवन के समस्त क्षेत्रों में सबकी भलाई'', उसी समय उन्होंने सबसे निम्न वर्ग, दीन एवं सुविधा वंचितों जैसे हरिजनों, महिलाओं, निराश्रितों, गाँव निवासियों इत्यादि के कल्याण पर विशेष बल दिया। उनका रचनात्मक कार्यक्रम केवल सभी व्यक्तियों की भलाई पर ही बल नहीं देता था बल्कि व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रीय जीवन के समस्त पहलुओं से संबंधित था।

महात्मा गाँधी ने जब समाज सुधार के मुद्दे की की वकालत की तथा अपने को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन से संबद्ध किया तो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी क्रिया की विशेष योजनाएं सामने आयीं। उन्होंने अर्न्तसामूहिक संबंधों को बढ़ावा दिया, अनुकूल जनमत तैयार किया, जन कार्यक्रमों को चलाया तथा जन स्तर पर परिवर्तनों को लागू किया। गाँधी जी के दर्शन का आधार व्यक्ति के सम्मान एवं महत्ता पर आधारित था। उन्होंने श्रम के महत्व तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवनयापन करने के अधिकार में विश्वास

किया। उन्होंने अपने विचार दूसरे व्यक्तियों पर नहीं थोपे लेकिन उनके प्रति समझ एवं प्यार प्रदर्शित किया।

सर्वोदय का मुख्य आधार 'स्वराज' एवं 'लोकनीति' के मूल्यों पर बल देना है जिसका अर्थ है समानता एवं न्याय प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को स्वयं अपने को शासित करना चाहिए। इस दर्शन ने यह स्वीकार किया कि व्यक्ति को अपनी स्थिति तथा उसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने पर वह इनका प्रबन्ध करने के विषय में ज्ञानवान होता हैं। इसने यह स्वीकार किया कि व्यक्ति को अपने स्वयं के भाग्य के विषय में योजना बनाने का तथा जीवनशैली निर्धारण का अधिकार है एवं इस बात को ठीक माना कि स्थानीय समाधान स्थानीय संसाधन की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए।

सर्वोदय समूह सामाजिक पुर्ननिर्माण में विश्वास करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी रचनात्मक क्रियाओं का लक्ष्य था। उनका उद्देश्य एक समतापूर्वक समाज की स्थापना था जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण से मुक्त था। उनके कार्य करने का केन्द्र निराश्रितता से ग्रसित व्यक्तियों का समूह न होकर ग्रामीण समुदाय थे। उनका प्रमुख उद्देश्य अस्पृश्यता के अभ्यास जैसी सामाजिक समस्याओं को हल करना था जो तभी संभव है जब शोषण पर आधारित सामाजिक, व्यवस्था का मौलिक रूप से पुनर्निर्माण किया जाए।

इस दृष्टि से देखने पर यह कहना गलत नहीं होगा कि गांधी जी तथा सर्वोदय ने भारतवर्ष में समाज कार्य व्यवसाय को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने ऐसे मूल्यों का सृजन किया जोकि व्यावसायिक समाज कार्य के अभ्यासों, लक्ष्यों दर्शन एवं ढंगों के अनुरूप है। फिर भी गांधी जी की अवधारणा, प्राथमिकतायें एंव प्रविधियाँ विशेष रूप से व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं से भिन्न थी क्योंकि समाज कार्य की उनकी योजना में ग्रामीण समाज एवं इसकी समस्याओं पर अधिक प्रकाश डाला गया। समाज कार्य केवल उन्नति करने वाला एवं सुधारात्मक ही नहीं है बल्कि समतामूलक समाज की स्थापना हेतु सामाजिक संरचना के पुनर्निर्माण से भी संबंधित हैं उन्होंने शहरी समाज पर अधिक ध्यान नहीं दिया।

समाज कार्य के व्यवसाय की प्रविधियों के संबंध में योगदान देने के अतिरिक्त उन्होंने समाज के दो लक्ष्यों–समाज सुधार एवं वैयक्तिक समायोजन को एक दूसरे के साथ सम्बद्ध किया। समाज कार्य के मूल्य मौलिक रूप से दोहरे है एक तरफ समाज कार्य समाज सुधार में अभिरुचि रखता है तथा दूसरी तरफ अपनी वर्तमान परिस्थितियों के साथ व्यक्ति के समायोजन में सहायता करता है। इस प्रकार से गांधी जी ने भारतवर्ष में व्यावसायिक समाज कार्य की अभिवृद्धि हेतु बौद्धिक वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

**बोध प्रश्न II**

**टिप्पणी** : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) गांधीवादी काल के व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता अपने को पूर्व गांधीवादी सुधारकों के साथ क्यों अधिक समतुल्य समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

2) भारतवर्ष में सामजिक धार्मिक आन्दोलन का जन्म राम मोहन राय से क्यों जोड़ा जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 4.4 स्वैच्छिक और व्यावसायिक समाज कार्य के बीच समान आधार

स्वैच्छिक समाज कार्य को सदैव वैयक्तिक एवं सामूहिक साधनों के माध्यम से 'दरिद्रता के लिए सहायता' अथवा समाज के सुविधावंचित एवं सीमान्त वर्गों के लिए सहायता उपलब्ध कराने के रूप में समझा जाता है। विपत्ति से ग्रस्त व्यक्तियों को दान, सहानूभूति, लोकोपाकरक भावना एवं आध्यात्मिक इच्छा से सहायता पहुंचाने से संबंधित होने के कारण स्वैच्छिक समाज कार्य मूल्यों में एक उच्च मूल्य समझा जाता है। यह कुछ अथवा बिना किसी व्यक्तिगत बढ़ोत्तरी लाभ, इज्जत अथवा राजनैतिक लाभ के समर्पण की वास्तविक भावना से कार्य करने को उल्लिखित करता है।

वास्तविक रूप से स्वैच्छिक समाज कार्य भारतवर्ष में बहुत पुरातन काल से चली आ रही परम्परा है। जैसा कि परम्परागत समुदाय आधारित समाज में सामान्य है कि दान, लोकोपकार, सहयोग के गुणों एवं गरीबी के प्रति दातव्य प्रबन्धों की सदैव प्रशंसा की जाती है। यह स्वैच्छिक सेवा अवैतनिक अथवा बिना भुगतान के सेवा का पर्यायवाची है एवं इस प्रकार भुगतान प्राप्त कार्यकर्ता वह आदर नहीं पाता है एवं व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता को कम आदर प्राप्त होता है। यद्यपि वर्तमान सन्दर्भ में ''स्वैच्छिक'' शब्द समस्त संगठित समाज कार्य को सम्मिलित करता है चाहे वह भुगतान पा रहा हो अथवा न पा रहा हो, सरकारी प्रबन्धन के अन्तर्गत कार्यरत है अथवा गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हो। फिर भी, स्वैच्छिक समाज कार्य भारतीय समाज में अभी भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

यह तथ्य कि समाज कार्य/कल्याण का इतिहास सभ्यता के जन्म से ही अस्तित्व में है, को इस बात से प्रमाणित किया जा रहा है कि प्रारम्भिक अवस्था में खतरे के समय कमजोर व्यक्तियों को सहायता एवं संरक्षण के लिए अन्य व्यक्तियों द्वारा पहल एवं प्रयास किए जाते थे। इसके अतिरिक्त खतरे के समय वृद्ध एवं कमजोर सदस्यों को ग्राम पंचायतों, संयुक्त परिवार एवं समुदाय द्वारा उपलब्ध संरक्षण एक सामाजिक बीमा के रूप में देखा जा सकता था। व्यक्ति की सामान्य लोकोपकारक चाह के अतिरिक्त धर्म ने भी आवश्यकताग्रस्त एवं सुविधावंचित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था द्वारा स्वैच्छिक समाज कार्य को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्रिश्चियन मिशनरियों ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में तथा सेवा के क्षेत्रों में कार्य करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। धार्मिक उत्साह से प्रभावित स्वैच्छिक समाज कार्य बीसवीं शताब्दी में प्रवेश किया एवं सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी का जन्म हुआ। शीघ्र ही, राजनैतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी के आने पर समाज कार्य दर्शन तथा विकासात्मक क्रियाओं को नया उत्साह मिला। उनके विचार समाज की कुछ बुराइयों में सुधार लाने के लिए विभिन्न रचनात्मक परियोजनाओं के रूप में सामने आए। स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने स्वयं

समाजकार्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार की कोई सामाजिक सेवायें नहीं थी, परन्तु 'कल्याणकारी राज्य' के आदर्श की प्राप्ति की ओर झुकाव हुआ। समाजवादी व्यवस्था पर आधारित समाज की स्वीकृति यह परिणाम हुआ कि सरकार ने अपने परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत और समाज कार्य के क्षेत्रों को ले लिया। इसका यह अर्थ है कि यह पूर्ण रूप से समाज कार्य नहीं है परन्तु सरकार द्वारा कुछ समाज सेवाओं का प्रबन्धन एवं प्रशासन करना है जो कि साधारण स्थिति में स्वैच्छिक समाज कार्य के क्षेत्र होते।

औद्योगिक समाजों की बदलती हुई मांगों के प्रत्युत्तर में इस अवधारणा एवं स्पष्टीकरण का विस्तार हुआ तथा इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए। यह आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को केवल सहायता एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अपने विशेषीकृत वातावरण के साथ व्यक्ति, समूहों एवं समुदाय के सामन्जस्य को आसान बनाने के लिए सहायता एवं सहायता देने वाली सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक संगठित एवं क्रमबद्ध क्रिया के रूप में विकसित हुई।

सामाजिक वास्तविकताओं का यह परिवर्तन समाज सुधार आन्दोलनों की परिपूर्णता के साथ क्रमबद्ध तरीके से कल्याणक्रियाओं को सामने लाया। इसने एकीकृत कुशलताओं एवं ज्ञान को प्रदान करने की आवश्यकता को जन्म दिया ताकि सामाजिक विकास के उद्देश्यों को अच्छे ढंग से पूर्ति करने हेतु क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए सक्षम एवं वचनबद्ध मानवशक्ति का विकास हो सके। इस प्रकार, प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जिससे कि भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले जटिल मुद्दों से निपटा जाए तथा इनका उत्तर प्राप्त किया जाए। यद्यपि स्वैच्छिक एवं व्यावसायिक कार्यकर्ताओं, दोनों का मानवतावादी दृष्टिकोण एक तरह का होता है, जो उनको आपस में अलग करती है, वह है, व्यावसायिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण। फिर भी, स्वैच्छिक एवं व्यावसायिक समाज कार्य में अन्तर है, यह अन्तर प्रविधि एवं सेवा देने के ढंग के रूप में होता है। इस बात पर अधिक संकेन्द्रण बढ़ रहा है कि विकासशील कार्यक्रमों के प्रबन्धन की प्रभाव पूर्णता के लिए किस प्रकार से राज्य संस्थाओं एवं स्वैच्छिक क्षेत्र में संबंध स्थापित कर जोड़ा जाए।

## 4.5 भारत में समाज कार्य शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार समाज कार्य में पहला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (सोशलवर्क एजूकेशन इन इण्डियन यूनीवर्सिटीज, 1965), बम्बई में सोशल लीग द्वारा 1920 में चलाया गया। यह कल्याण कार्य में लगे हुए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के लिए कम समय का पाठ्यक्रम था। समाज कार्य में जीवनकृत के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दृष्टि से बम्बई में पहली व्यावसायिक संस्था 1936 में स्थापित की गई। भारतवर्ष मे समाजकार्य शिक्षा की उत्पत्ति की जड़े सर दोराबाजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क (टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज के नाम में परिवर्तित) की स्थापना में है। इसमें मुख्य रूप से स्नातकों (कुछ समय कुछ पूर्व स्नातक भी) की भर्ती की जाती थी एवं प्रशिक्षण के दो वर्ष के पाठ्यक्रम के उपरान्त डिप्लोमा इन सोशल सर्विस ऐडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किया जाता था। 1942 तक, संस्थान ने प्रत्येक एक वर्ष छोड़कर विद्यार्थियों की भर्ती की। इसने विश्वविद्यालय से सम्बद्धता नहीं प्राप्त की क्योंकि संस्थान के प्रबन्धन का विचार था कि इससे इस प्रयोग की स्वतंत्रता में कमी आएगी। फिर भी, टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1947 में काशी विद्यापीठ, वाराणसी तथा कलेज ऑफ सोशल सर्विस, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की स्थापना हुई। 1948 में अमरीका की यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन के विदेश अनुभाग की सहायता से उत्तरी यंग वूमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन के तत्वाधान के अंतर्गत दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई। यह स्नातक स्तर की उपाधि प्रदान करने वाले दो वर्ष की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को प्राप्त की तथा 1961 में इस विश्वविद्यालय ने इस स्कूल के प्रबन्धन को अपने हाथों में ले लिया। विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में पहला स्कूल 1949–50 में बड़ौदा में स्थापित किया गया तथा लखनउ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग की स्थापना 1949 में हुई। इसके पश्चात् मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1952 एवं अन्य संस्थान पूरे देश की लम्बाई एवं चौड़ाई के अन्तर्गत् स्थापित किए गए।

उदीयमान सामाजिक परिदृश्य ने इस बात की आवश्यकता को जन्म दिया कि सामाजिक परिवर्तन हेतु तथा कल्याण तथा संकट के समय हस्तक्षेप करने के लिए कार्यक्रमों एवं सेवाओं का प्रबन्ध किया जाए, विशेषीकृत ज्ञान एवं निपुणताओं के साथ व्यावसायिक रूप से योग्यता वाली मानवशक्ति की आवश्यकता है। इस प्रकार से, इस प्रक्रिया में भाग लेने हेतु समाज के सीमान्त वर्गों को सक्षम बनाने के लिए विकासात्मक पहलें, समाज सुधार एवं सामाजिक क्रिया की प्रभावपूर्णता एवं कार्यकुशलता, सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों प्रकार के विकासशील एवं कल्याण संस्थाओं में मानव संसाधन की गुणवत्ता से आवश्यक रूप से जुड़ी हुई है।

विगत छह दशकों के दौरान विश्वविद्यालय व्यवस्था में व्यावसायिक समाज कार्य पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने वाले शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्तमान समय में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या सौ से अधिक है, इनमे से कुछ समाज कार्य में स्नातक उपाधि कुछ स्नातकोत्तर उपाधि तथा कुछ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। कुछ पीएच.डी. कार्यक्रम भी चलाते हैं।

आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे हैं जहां पर लगभग 50 ऐसे संस्थान स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार जहां महाराष्ट्र, तमिलनाडुं एवं कर्नाटक संस्थानों के एक गुच्छ से युक्त हैं, वहीं पर अभी तक दक्षिण एवं उत्तर के दूरस्थ क्षेत्र जैसे पंजाब, जम्मू एवं काश्मीर, हिमालय तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्यों में अभी भी कोई समाज कार्य शिक्षा देने वाला संस्थान नहीं है इससे स्पष्ट है कि समाज कार्य शिक्षा देने वाली संस्थाओं का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रकृति तिरछी है तथा इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से समाज कार्य का क्रमबद्ध विकास किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1960 में समाज कार्य शिक्षा के लिए पुनरावलोकन समिति तथा समाज कार्य शिक्षा के मानकों की अभिवृद्धि एवं अनुरक्षण हेतु समाज कार्य शिक्षा के समन्वय, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं अभ्यास के लिए 1975 में द्वितीय पुनरावलोकन समिति की नियुक्ति की गई। यह प्रतिवेदन इस विचार के परिप्रेक्ष्य मे तैयार किया गया कि किसी भी व्यवसाय को अपने अतीत का पुनरावलोकन करना चाहिए तथा भविष्य को देखना चाहिए ताकि वह उसके सदस्य अभ्यास हेतु साधन सम्पन्न हो सकें। भारतवर्ष में समाज कार्य शिक्षा की बढ़ोत्तरी एवं विकास हेतु समाज कार्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना किया जाना एक महत्वपूर्ण निर्णय था। सन् 2001 की समाज कार्य शिक्षा की तृतीय पुनरावलोकन समिति ने इस बात पर बल दिया कि समाज कार्य शिक्षा को उन सामाजिक वास्तविकताओं से जोड़ा जाए जहां पर इस व्यवसाय का अभ्यास किया जाता है। इसने यह वकालत कि समाज कार्य के पाठ्यक्रम को चार सेटों एवं प्रभाव क्षेत्रों में

बांटा जा सकता है। चार प्रभाव क्षेत्रों के नाम है : कोर प्रभाव क्षेत्र, सहायक प्रभाव क्षेत्र, अन्तर्विषयक प्रभा वक्षेत्र कोर प्रभाव क्षेत्र तथा चुनाव करने वाला प्रभाव क्षेत्र। कोर प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत दर्शन, विचारधारा, मूल्य, नीतिशास्त्र, सिद्धान्त एवं अवधारणायें सम्मिलित हैं। सहायक प्रभाव क्षेत्र, कोर प्रभाव क्षेत्र को सहायता देने के लिए ज्ञान एंव कुशलतायें उपलब्ध कराता है। अन्तर्विषयक प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत समाज कार्य व्यवसाय से संबंधित अन्य विषयों से लिए गए सिद्धान्त एवं अवधारणायें आती है। चुने जाने योग्य अभाव क्षेत्र के अंतर्गत विकल्पीय पाठ्यक्रम आते हैं। इस समिति ने अभ्यास को सीखने हेतु सीखने वालों के अवसरों को महत्व दिए जाने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, इसने विद्यार्थी के सम्पूर्ण विकास हेतु अध्ययन के विभिन्न ढंगों के प्रयोग की भी संस्तुति की। एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशलवर्क इन इंडिया, प्रशिक्षण संस्थाओं के मानक निर्धारण का एक स्वैच्छिक संगठन है तथा यह समाज कार्य शिक्षकों के लिए प्रवक्ता का कार्य करती है। 1959 में स्थापित यह समाज कार्य शिक्षा के समस्त मामलों हेतु एक राष्ट्रीय मंच है। इसने कर्मचारियों के विकास हेतु संगोष्ठियों को संगठित करने, पाठ्यक्रम एवं इसकी विषयवस्तु को लगातार पुनरावलोकित करने, समाज कार्य शिक्षा से संबंधित अनुसंधान करने, अध्यापन सामग्री तैयार करने इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने सदैव अध्यापन मानकों को स्थापित करने का प्रयास किया है लेकिन इसकी स्वैच्छिक प्रकृति होने के कारण इसे लागू करने में बहुत सफल नहीं रही है।

इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दूर शिक्षा की एक अग्रणी संस्था है, जिसने समाजकार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल की है। क्षेत्रीय कार्य एवं कक्षा कक्ष अध्यापन दोनों की निरन्तर शिक्षा के माडल को दोहराते हुए इसने पढने वाले के परिप्रेक्ष्य से पाठ्यक्रम को निर्धारित लक्ष्यों को अन्तिम रूप से प्राप्त करने वाली क्रियाओं एवं कार्यों को करना, सक्षम व्यावसायिक मानवशक्ति को विकसित करना इसका उद्देश्य है। इस क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने का यह नवीन कदम समाज कार्य की व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। समाज कार्य शिक्षा की अनेक कमियां दूर करने के लिए अनेक औचित्यपूर्ण कार्य किए गए हैं, उदाहरणार्थ शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं एवं संगठनों के साथ पाठ्यक्रम का निर्माण करना, अध्यापन में सहायता देने वाले संयंत्रों एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम बनाना, तथा व्यक्तियों के साथ काम करने के एकीकृत ज्ञान एवं कुशलताओं को विकसित करना।

## समाज कार्य शिक्षा के विकास के विषय में संबंधित क्षेत्र

इस चर्चा की समाप्ति के अवसर पर, हमने समाज कार्य शिक्षा के विकास हेतु विषय से संबंधित क्षेत्रों को संक्षिप्त रूप से वर्णित करने के प्रयास किए हैं। इसकी मुख्य सम्बद्धता इस बात से है कि भौगोलिक वितरण एवं मान्यता प्राप्त परिषदों तथा विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता के रूप में समाज कार्य शिक्षा का क्रमबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। देश में नौकरी के कार्यों से संबंधित विभिन्न समाप्ति बिन्दुओं से युक्त श्रृंखलाबद्ध शैक्षणिक कार्यक्रम के विकास के लिए एक पूर्ण संरचना उपलब्ध कराने के लिए स्थिर प्रयास किए जाने चाहिए तथा प्रत्येक अवस्था को दूसरी अवस्था से संबंधित होना चाहिए। सामाजिक वास्तविकताओं के लिए वांछित पाठ्यक्रम को विकसित करने हेतु लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। इनके साथ–साथ, अन्य प्रभाव सम्बद्धतायें समस्त स्तरों के लिए समाज कार्य शिक्षा हेतु अध्यापन/अनुसन्धान सामग्री को विकसित करना तथा अनुसंधान विशेषज्ञता को विकसित करने एवं अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन जुटाने इत्यादि से संबंधित है। इच्छित दिशा में इस प्रगति के लिए परिवर्तन, विकास तथा प्रगति में स्थिरता लाने हेतु संगठनात्मक संरचनायें आवश्यक है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग अन्य विद्यार्थियों के अनुरूप समाज कार्य शिक्षा से संबंधित पैनल रखता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने प्लानिंग, रिसर्च, इवेलुएशन ऐण्ड मानीटरिंग के लिए अलग से अनुभाग की स्थापना की हैं जिसके व्यावसायिक अभ्यासों के बढ़ाने में दूरगामी परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके योजना आयोग के साथ अनुसंधान अध्ययनों एवं सांख्यिीकी की गणना के कार्य ने ऑकड़ों तक की पहुंच को सुगम बनाया है।

**बोध प्रश्न II**

**टिप्पणी** : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समाज कार्यकर्ताओं के लिए 'प्रशिक्षण' की आवश्यकता को क्यों महसूस किया गया?

.....

.....

.....

.....

## 4.6 सारांश

जनसंख्या के सीमान्त वर्गों की दशाओं में क्रमबद्ध एवं संगठित साधनों के साथ समाज कार्य व्यवसाय स्पष्ट रूप से एक नवीन व्यवसाय है। फिर भी, इसके मूल्यों, सिद्धान्तों एवं दर्शन को अच्छी तरह से जानते हुए व्यवसाय के विद्यार्थियों द्वारा समाज कार्य की अवधारणा एवं इसके विकास के तरीके को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए।

भारतीय समाज एवं संस्कृति के समाज कल्याण आधार की ओर दान एवं धर्म निर्देश देने वाले कारक थे। प्राचीन भारतीय काल में भिक्षा एवं दान प्रिय मूल्यों के रूप में प्रशंसित थे जोकि विभिन्न शास्त्रों, उपनिषदों इत्यादि से प्रदर्शित होता है। समाज का कृषि संरचना में रूपान्तरण ने दान को एक मूल्य के रूप में प्रतिस्थापित किया। इस काल में एक विस्तृत समाज कल्याण नीति को स्थापित करने के प्रारम्भिक प्रयासों को देखा गया। इस समान दृष्टिकोण ने मध्यकाल के दौरान समाज कल्याण क्रियाओं के लिए प्रेरित किया। फिर भी, कर लगाने, शान्ति को बनाए रखने, बाहरी शक्तियों से संरक्षण देने, न्याय प्रदान करने जैसे कर्तव्यों, जोकि राजा के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित थे, के अतिरिक्त जनता के सामान्य कल्याण के लिए शासक ने बहुत कम कार्य किए। फिर भी, मुसलमान शासकों जैसे हुमायूं अकबर ने सतीप्रथा, दासता इत्यादि जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाए। आधुनिक काल के दौरान सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था मे हुए परिवर्तनों के कारण परिवार, नातेदारी, शिक्षा, राजनीति इत्यादि जैसी समाज की विभिन्न संस्थाओं एवं संरचनाओं में समान परिवर्तन देखने को मिले। सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलनों को राम मोहन राय से महान उर्जा मिली जिन्हें इन आन्दोलनों का पिता समझा जाता है। यह आन्दोलन पश्चिम में शिक्षित मध्यम वर्ग के व्यक्तियों तक सीमित था जिसने गांधी जी को परिदृश्य पर उतारा। राजनीतिक एवं समाज सुधार आन्दोलन जोड़ने के उनके दर्शन के कारण से बहुत बड़े जन आन्दोलन को भारतवर्ष में देखा गया। उनका योगदान केवल अभ्यासकर्ताओं एवं नीतियोजना निर्माताओं द्वारा समाज कल्याण अभिगम को केवल प्रभावित करने तक सीमित नहीं था बल्कि समाज कार्य के व्यवसाय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता की पूर्ति करने से भी

संबंधित था। भारतवर्ष में 1936 से समाज कार्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण की दिशा में प्रगति हुई जबकि बम्बई में समाज कार्य के पहले स्कूल सर दोरा व जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई। इसके पश्चात् देश के विभिन्न भागों में समाज कार्य के अनेक विद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना की गई।

## 4.7 शब्दावली

अर्थशास्त्र — कौटिल्य द्वारा लिखित 'अर्थशास्त्र' भारतवर्ष के राजनीतिक दर्शन से संबंधित प्राचीनतम कार्यों में से एक है।

सर्वोदय — सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ है ''जीवन के समस्त क्षेत्रों में सबकी भलाई''। सर्वोदय का मुख्य आधार 'स्वराज' एवं 'लोकनीति' के मूल्यों पर बल देना जिसका अर्थ है समानता एवं न्याय प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को स्वयं अपने की शामित करना। यह गांधी जी का एक मुख्य दर्शन था जोकि व्यक्ति के सम्मान एवं महत्व पर आधारित है।

## 4.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

मदन, जी.आर. (1966), इण्डियन सोशल प्राबलम्स : सोशल डिसआर्गनाइजेशन ऐण्ड रिकान्ट्रक्शन, अलाइड पब्लिशर्स, बम्बई।

गोरे एम.एस. (1965), सोशल वर्क ऐण्ड सोशल वर्क एजूकेशन, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई।

बाडिया, ए.आर. (एडिटेड), हिस्ट्री ऐण्ड फिलास्फी ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, अलाइड पब्लिशर्स।

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन (1972), रिव्यू ऑफ सोशल ऑफ वर्क एजूकेशन इन इण्डिया।

पाठक, एस.एच. (1981), सोशल वेलफेयर, इन इव्यूल्यूशनरी ऐण्ड डेवलेपमेण्ट परस्पेक्टिवस, मैक्मिलन पब्लिकेशन्स, दिल्ली।

दिवाकर, वी.डी. (एडिटेड) (1991), सोशल रिफार्म मूवमेन्ट्स इन इण्डिया : ए हिस्ट्रारिकल परस्पेक्टिव, पापुलर प्रकाशन पब्लिकेशन, बम्बई।

## 4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

**बोध प्रश्न I**

1) प्राचीन काल में समाज कल्याण की प्रमुख विशेषता ''समस्त व्यक्तियों के कल्याण एवं सामान्य भलाई करना अथवा इसके लिए पहल करना'' था। पुरातन साहिंत्यकीय कार्यो–स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों की पौराणिक कथाओं एवं लोक गाथाओं द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। ऋग्वेद में दान का सबसे प्रारम्भिक वर्णन देखा जाता है, जो दान को प्रेरित करते हुए यह कहता है ''जो व्यक्ति देता है सबसे अधिक चमकता है।'' कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इस बात का वर्णन करता है कि सार्वजनिक भलाई के लिए निर्माण कार्य ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों द्वारा होने चाहिए।

2) राम मोहन राय जो अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से थे, वास्तव में सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलनों के पिता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पहल भारतीय समाज की कुछ बातों में सुधार लाने हेतु प्रयासों पर केन्द्रित थी जिनमें से जाति व्यवस्था, बाल विवाह, सती, वैधव्य एवं मूर्ति पूजा उल्लेखनीय है। अन्य सुधारकों के साथ उन्होंने शिक्षा एवं वैज्ञानिक स्वभाव के प्रसार को बढ़ावा दिया जिसने प्रगतिशील आदर्शों–धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक की धाराओं को मुक्त किया।

**बोध प्रश्न II**

1) नवीन उदीयमान व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं का समूह समाज कल्याण के स्वदेशी प्रारूप जो कि गांधीवादी काल में उदय हुआ, के साथ अपने को जोड़ने में असफल रहा। उनके बारे में यह तथ्य स्पष्ट था कि वे पश्चिमी शिक्षा के युक्त तथा नए शहरी मध्यम वर्ग से थे। इस कारण से वे पूर्व–गांधीवादियों के साथ गांधीजी की तथा उत्तर गांधी सर्वोदय समूह के साथ अधिक सम्बन्ध की भावना रखते थे।

2) गांधी जी के परिदृश्य पर आने से समाज सुधार आन्दोलन में प्रमुख रूप से तीन कारणों से परिवर्तन हुए। प्रथम, समाज सुधार क्रियाओं सामाजिक एवं राजनैतिक आन्दोलन के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए आन्दोलन से जुड़ी हुई थी। द्वितीय, यह महिलाओं एवं कृषि में लगे हुए कामगारों एवं हरिजन जैसी निम्न जातियों की सहभागिता से आन्दोलन बन गया। तृतीय, जनमत जागृत करने तथा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने वाले पूर्व के ढंगों के अतिरिक्त नए सामाजिक आर्थिक आन्दोलन ने व्यक्तियों को अपने स्वयं अथवा सामूहिक प्रयास द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।

**बोध प्रश्न III**

1) समाज की बदलती हुई मांगों के साथ समाज कल्याण आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को केवल सहायता एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अपने विशेषीकृत वातावरण के साथ व्यक्ति, समूहों एवं समुदाय के सामंजस्य को आसान बनाने के लिए सहायता एवं सहायता देने वाली सेवाओं को उपलब्ध कराने लिए एक संगठित एवं क्रमबद्ध क्रिया के रूप में विकसित हुआ। इसने एकीकृत कुशलताओं एवं ज्ञान को प्रदान करने की आवश्यकता को जन्म दिया ताकि सामाजिक विकास के उद्देश्य को अच्छे ढंग से पूर्ति करने हेतु क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए सक्षम एवं वचनबद्ध मानवशक्ति का विकास हो सके। इस प्रकार से प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जिससे कि भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले जटिल मुद्दों से निपटा जाए तथा इनका उत्तर प्राप्त किया जाए।